# बेंचमार्क मूल उधार दर के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई
अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

## प्रेषण पत्र

गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

20 अक्तूबर 2009
27 आश्विन 1931 (शक)

प्रिय महोदय,

हम इसके साथ बेंचमार्क मूल उधार दर के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक मोहन्ती)
अध्यक्ष

(अभिजित सेन)
सदस्य

(एच.एस.उपेन्द्र कामत)
सदस्य

(जहाँगीर अजीज)
सदस्य

(जनक राज)
सदस्य

(के.रामकृष्णन)
सदस्य

(एन.एस.कन्नन)
सदस्य

(पी.विजय भास्कर)
सदस्य

(आर.सी.अरोड़ा)
सदस्य

(आर.के.गुप्ता)
सदस्य

(एस.एस.रंजन)
सदस्य

(टी.टी.राममोहन)
सदस्य

(हिमांशु जोशी)
Member Secretary

मौद्रिक नीति विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 406, मुंबई - 400 001 भारत
फोन : (91-22) 2260 1000 फैक्स : (91-22) 2261 0430 / 2270 0850 / 2261 0432 / 2263 1006 ई-मेल : helpmpd@rbi.org.in

Monetary Policy Department, Central Office, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, P.B. No. 406, Mumbai - 400 001. India
Tel. : (91-22) 2260 1000 Fax : (91-22) 2261 0430 / 2270 0850 / 2261 0432 / 2263 1006 E-mail: helpmpd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

# विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्रेषण-पत्र

आदिवर्णिक शब्द ..... i

कार्यपालक सारांश ..... iii

1. परिचय ..... 1

2. भारत में बेंचमार्क मूल उधार दर का विकास ..... 3

3. ऋण कीमत-निर्धारण प्रणाली : मुद्दे और विकल्प ..... 15

4. अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए बेंचमार्क ..... 29

5. नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा ..... 31

6. कार्यदल की सिफारिशें ..... 37

## बॉक्सों की सूची

बॉक्स 1 : मूल दर की गणना के लिए कार्यप्रणाली ..... 24

## सारणियों की सूची

सारणी 1 भारत में बीपीएलआर का विकास : एक संक्षिप्त दृश्य ..... 7

सारणी 2 : नीति दरों और चलनिधि स्थिति के प्रति रूपात्मक बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता ..... 8

सारणी 3 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का उप-बीपीएलआर उधार - ऋण प्रकार ..... 11

सारणी 4 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का उप-बीपीएलआर उधार ..... 12

सारणी 5 : मौद्रिक नीति लिखतों और बीपीएलआर में उतार-चढ़ाव ..... 13

सारणी 6 : एससीबी की ब्याज दर सीमा और बकाया ऋण - मार्च 2008 ..... 14

सारणी 7 : चालू, बचत और मीयादी जमाराशियों का वितरण - मार्च 2008 ..... 19

सारणी 8 : बैंक जमाराशियों का स्वामित्व पैटर्न (31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार) ..... 19

सारणी 9 : बकाया मीयादी जमाराशियाँ : परिपक्वता के अनुसार वितरण - मार्च 2008 ..... 20

Page No.

सारणी 10 : ऋण सीमा के आकार के अनुसार ऋण खाते - मार्च 2008 ..... 20

सारणी 11 : निधियों की लागत, निधियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन ..... 21

सारणी 12 : प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मूल दर का प्राक्कलन ..... 25

सारणी 13 : सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा लगाया गया प्रभार (मार्च 2006) ..... 33

सारणी 14 : 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर - जून 2009 ..... 36

## चार्टों की सूची

चार्ट 1 : बैंक समूहवार रूपात्मक बीपीएलआर ..... 8

चार्ट 2 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अधिकतम और न्यूनतम उधार दरें ..... 9

चार्ट 3 : निजी क्षेत्र के बैंकों की अधिकतम और न्यूनतम उधार दरें ..... 9

चार्ट 4 : पाँच प्रमुख विदेशी बैंकों की अधिकतम और न्यूनतम उधार दरें ..... 9

चार्ट 5 : रूपात्मक बीपीएलआर और एससीबी द्वारा उप-बीपीएलआर उधार ..... 10

चार्ट 6 : भारित औसत उधार दरें (अंत-मार्च) ..... 11

चार्ट 7 : उधार दरों का निर्धारण ..... 23

चार्ट 8 : उधार दरें और आर्थिक सहायता ..... 31

चार्ट 9 : एससीबी द्वारा 2 लाख रुपये तक के ऋण : बकाया राशि (अंत-मार्च) ..... 32

अनुबंध ..... 43-56

# आदिवर्णिक शब्द

| | | |
|---|---|---|
| बीपीएलआर | - | बेंचमार्क मूल उधार दर |
| सीएएसए | - | चालू खाता और बचत खाता जमाराशियाँ |
| सीडी | - | जमा प्रमाणपत्र |
| सीडीआइ | - | ब्राजील की एक दिवसीय अंतर-बैंक उधार दर |
| सीपी | - | वाणिज्यिक पत्र |
| सीआरआर | - | नकदी आरक्षित निधि अनुपात |
| सीओएफ | - | निधियों की लागत |
| डीआरआइ | - | विभेदक ब्याज दर |
| एफसीएनआर(बी) | - | विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) |
| जी-सिक | - | सरकारी प्रतिभूतियाँ |
| आइबीए | - | भारतीय बैंक संघ |
| जेआइबीएआर | - | जोहान्सबर्ग अंतर-बैंक तयशुदा दर |
| एलएएफ | - | चलनिधि समायोजन सुविधा |
| एमएफआइ | - | सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ |
| एमएसएस | - | बाजार स्थिरीकरण योजना |
| एनडीटीएल | - | निवल माँग और मीयादी देयताएँ |
| एनआइएम | - | निवल ब्याज मार्जिन |
| एनआर(ई)आरए | - | अनिवासी(बाह्य)रुपया खाता |
| ओएलएस | - | साधारण न्यूनतम वर्ग |
| पीएलआर | - | मूल उधार दर |
| पीटीएलआर | - | मूल मीयादी उधार दर |
| पीएसबी | - | सरकारी क्षेत्र के बैंक |
| पीएसयू | - | सरकारी क्षेत्र के उपक्रम |
| आरओए | - | अग्रिमों पर प्रतिलाभ |
| आरआरबी | - | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| एसबीआइ | - | भारतीय स्टेट बैंक |
| एससीबी | - | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| एसएचजी | - | स्वयं सहायता समूह |
| एसएमई | - | लघु और मझौले उद्यम |
| टीपीएलआर | - | टेनोर सहबद्ध मूल उधार दर |
| टीएसएलएस | - | दो प्रक्रमों वाले न्यूनतम वर्ग |
| डब्लूआइबीओआर | - | वारसॉ अंतर-बैंक उधार दर |
| डब्लूएसएस | - | साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक |

# कार्यपालक सारांश

*रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बेंचमार्क मूल उधार दर के संबंध में एक कार्यदल का गठन किये जाने की घोषणा की थी (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहन्ती), जो बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा करे और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव दे, ताकि ऋण कीमत-निर्धारण को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। कार्यदल को निम्नलिखित विचारार्थ विषय सौंपे गये (i) बीपीएलआर की अवधारणा और इसकी गणना की रीति की समीक्षा करना; (ii) उप-बीपीएलआर उधार की सीमा और उसके कारणों का परीक्षण करना; (iii) प्रमुख बैंकों के बीपीएलआर में व्यापक अपसरण का परीक्षण करना; (iv) बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित युक्तियुक्त ऋण कीमत-निर्धारण प्रणाली का सुझाव देना; (v) 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों के लिए और निर्यातकों के लिए नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा करना; (vi) फुटकर खंड में अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए उपयुक्त बेंचमार्क का सुझाव देना; और (vii) बैंकों की उधार दरों से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना। कार्यदल की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गयी हैं :*

- बीपीएलआर की प्रवृत्ति बाजार स्थितियों की तुल्यकालिकता से बाहर होने की रही है और यह मौद्रिक नीति में परिवर्तनों के प्रति पर्याप्त अनुक्रिया नहीं दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों की बड़े पैमाने पर उप-बीपीएलआर दरों पर उधार देने की प्रवृत्ति से पारदर्शिता संबंधी चिंता उत्पन्न होती है। कार्यदल ने यह भी नोट किया कि प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के चलते बैंक उन दरों पर उधार देते हैं, जिनका अधिक वाणिज्यिक अर्थ नहीं होता। तदनुसार, कार्यदल का विचार है कि वर्तमान बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली बैंकों द्वारा प्रभारित उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के मूल अभिप्राय को पूरा करने के संबंध में उम्मीद से कम रही है और इसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है।

- विविध प्रकार के संभव विकल्पों, उद्योग संघों से विभिन्न पणधारियों के विचारों और आम जनता से प्राप्त विचारों तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद इस कार्यदल का विचार है कि वर्तमान बीपीएलआर प्रणाली के स्थान पर मूल दर की प्रणाली आरंभ करने की बात में दम है।

- प्रस्तावित मूल दर में उन सभी लागत-तत्वों को शामिल किया जायेगा, जिनकी स्पष्ट पहचान की जा सकेगी और जो सभी उधारकर्ताओं के लिए सामान्य होंगे। मूल दर के घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे (i) फुटकर जमाराशियों (15 लाख रुपये से कम की जमाराशि), जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष हो (सीएएसए जमाराशियों के लिए समायोजित), पर कार्ड ब्याज दर; (ii) सीआरआर और एसएलआर के संबंध में ऋणात्मक प्रभार के लिए समायोजन; (iii) बैंकों के लिए अनावंटनीय उपरि-व्यय लागत, जिसमें उपरि-व्यय लागत का न्यूनतम सेट शामिल होगा; और (iv) निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ।

- उधारकर्ताओं से ली जाने वाली वास्तविक उधार दरें होंगी मूल दर और उधारकर्ता-विशिष्ट प्रभार, जिसमें उत्पाद-विशिष्ट परिचालन लागत, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम शामिल होंगे।

- कार्यदल ने बैंकों के लिए मूल दर की गणना करने के लिए एक निदर्शनात्मक कार्यप्रणाली तैयार की है। वर्ष 2008-09 के लिए प्रतिनिधि आँकड़ों के साथ इस कार्यप्रणाली के अनुसार निदर्शनात्मक मूल दर 8.55 प्रतिशत निकाली गयी है।

- मूल दर की प्रस्तावित प्रणाली के साथ बैंकों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे मूल दर से कम दर पर उधार दें, क्योंकि मूल दर उस न्यूनतम दर का द्योतक है, जिससे कम दर पर उधार देना बैंकों के लिए लाभकर नहीं होगा। तथापि, कार्यदल ने कुछ ऐसी स्थितियों को भी मान्य किया है, जब मूल दर से कम दर पर उधार देना बाजार की स्थिति के चलते आवश्यक हो जाये। ऐसा तब हो सकता है, जब प्रणाली में बहुत बड़ी मात्रा में अतिरिक्त चलनिधि हो और बैंक रिज़र्व बैंक के एलएएफ विंडो में निधियों का अभिनियोजन करने की बजाये अपनी मूल दरों से कम दर पर उधार देने को तरजीह दें। कार्यदल का विचार है कि इस प्रकार का उधार दिये जाने की आवश्यकता अपवाद के रूप में बहुत अल्प अवधि के लिए ही हो सकती है। तदनुसार कार्यदल द्वारा सिफारिश की गयी

मूल दर प्रणाली उन ऋणों पर लागू होगी, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष और उससे अधिक हो (जिनमें सभी प्रकार के कार्यशील पूँजी ऋण शामिल हैं)।

- बैंक एक वर्ष से कम अवधि के लिए नियत या अस्थिर दरों पर ऋण, मूल दर का उल्लेख किये बिना, दे सकते हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप-मूल दर उधार प्रचुर मात्रा में नहीं दिया जाता है, कार्यदल की सिफारिश है कि वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता प्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त, दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा उप मूल दर उधार वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें से गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उप मूल दर उधार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। अर्थात्, समग्र उप मूल दर उधार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उनके वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, और बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे 15 प्रतिशत तक समस्त उप मूल दर उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दें।

- वर्तमान समय में ऋणों की कम से कम दस कोटियों का कीमत-निर्धारण बीपीएलआर का उल्लेख किये बिना किया जा सकता है। कार्यदल सिफारिश करता है कि ऐसी कोटियों वाले ऋणों को मूल दर से सहबद्ध किया जाये, सिवाय, (क) चयनात्मक ऋण नियंत्रण, (ख) क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियाँ, (ग) बैंकों के अपने कर्मचारियों को दिये गये ऋण, और (घ) डीआरआइ योजना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज दरों को छोड़ कर।

- मूल दर अन्य बाह्य बाजार बेंचमार्क दरों के अतिरिक्त अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए संदर्भ बेंचमार्क दर के रूप में भी कार्य कर सकती है।

- छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए नियंत्रित उधार दर को अविनियमित किया जाये, क्योंकि अनुभव से यह पता चला है कि उधार दर के विनियमन ने छोटे उधारकर्ताओं को ऋण-प्रवाह मंद किया है और बीपीएलआर में अधोमुखी अनम्यता दी है। बैंक इसके लिए स्वतंत्र हों कि वे छोटे उधारकर्ताओं को नियत या अस्थायी दर पर उधार दे सकें, जिसमें मूल दर या क्षेत्र-विशिष्ट परिचालन लागत, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम शामिल होंगे, जैसाकि अन्य उधारकर्ताओं के मामले में होता है।

- रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर अलग-अलग बैंकों की मूल दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूँकि निर्यात ऋण अल्पावधि स्वरूप का होता है, और निर्यातक सामान्यतः थोक उधारकर्ता होते हैं, अतः यह आवश्यक होगा कि निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण को प्रोत्साहन दिया जाये, ताकि वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें। निर्यात ऋण के कीमत-निर्धारण की शर्त में इस परिवर्तन से निर्यातक फिर भी न्यून दरों पर रुपया निर्यात ऋण प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि परिकल्पित मूल दर बीपीएलआर से महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। दल द्वारा सुझायी गयी कार्यप्रणाली पर आधारित मूल दर की तुलना बैंकों द्वारा अधिकांश निर्यातकों से इस समय ली जा रही 9.5 प्रतिशत उधार दर से की जा सकती है। प्रस्तावित प्रणाली अधिक नमनीय और प्रतिस्पर्धात्मक भी होगी।

- इस समय शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें बीपीएलआर के संदर्भ में उसकी अधिकतम सीमा से जुड़ी होती हैं। मानव संसाधन कौशल का विकास करने में शिक्षा ऋण द्वारा निभायी जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर इन ऋणों पर ब्याज दर को नियंत्रित किया जाता रहना चाहिए। तथापि, इस तथ्य के मद्देनजर कि मूल दर के बीपीएलआर से महत्वपूर्ण रूप से कम रहने की उम्मीद है, दल की सिफारिश है कि इस कीमत-लागत अंतर में परिवर्तन लाना आवश्यक है। तदनुसार, दल सिफारिश करता है कि सभी प्रकार के शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें पाँच सबसे बड़े बैंकों की औसत मूल दर और 200 आधार अंक से अधिक न हों। इस शर्त के साथ भी, शिक्षा ऋण के लिए वास्तविक उधार दर प्रचलित चालू दर से कम होगी। औसत मूल दर के संबंध में सूचना का प्रसार आइबीए द्वारा तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि बैंक अपने शिक्षा ऋण संविभाग का कीमत-निर्धारण करने में समर्थ हों।

- ऋण-कीमत-निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे उधार दरों के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचना देते रहें और मूल दर के संबंध में सूचना का प्रसार करते रहें। इसके अतिरिक्त, बैंकों को उधारकर्ताओं से ली गयी वास्तविक न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरों के बारे में सूचना देनी चाहिए।

- सभी बैंकों को भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) की संहिताओं का पालन बैंकों के ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, यथा, ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (कोड) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (एमएसई कोड)। दल यह सिफारिश भी करता है कि रिज़र्व बैंक बैंकों से यह कहे कि वे शिकायतों की संख्या और संहिताओं के अनुपालन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित करें।

# 1. परिचय

1.1 बैंक उधार का अंतिम उद्देश्य होता है उचित दरों पर साधन-स्त्रोतों का सर्वाधिक उत्पादक उपयोग करके आर्थिक वृद्धि का संवर्धन करना। अतः ब्याज दरों का स्तर और संरचना आर्थिक कुशलता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं, जिसके सहारे साधन-स्त्रोतों का किसी अर्थव्यवस्था में आवंटन किया जाता है। ब्याज दरों में किसी भी प्रकार से विकृति होने पर वह साधन-स्त्रोतों के गलत आवंटन का कारण बन सकता है। तदनुसार, बैंकों की उधार दरों को ऋणदाता संस्था और उधारकर्ता, दोनों की ही दृष्टि से युक्तियुक्त और उचित होना आवश्यक होता है। जो उधार दरें या तो अत्यधिक ऊँची या नीची होती हैं और ऋण के यथार्थवादी कीमत-निर्धारण के साथ तालमेल नहीं रखती हैं, उनका निहितार्थ ऋण-गुणवत्ता के लिए होता है और वे वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का कारण बनती हैं। उधार देने के लिए ब्याज दरों को मौद्रिक नीति संबंधी कार्यों के प्रति भी अनुक्रियाशील होना चाहिए, यदि उन्हें वांछित उद्देश्य को प्राप्त करना हो।

1.2 1980 के दशक के अंत तक भारत में ब्याज दर संरचना अधिकतर नियंत्रित स्वरूप की होती थी और उसका लक्षण होता था भिन्न-भिन्न कार्यकलापों के लिए अनेक प्रकार का दर-निर्धारण किया जाना, और उधारकर्ताओं से एक ही प्रकार की ऋण राशि के लिए अधिकतर अलग-अलग दरें ली जाती थीं, जिससे उधार दरों की संरचना में विकृति आती थी। नियंत्रित ब्याज दर संरचना के अंतर्गत ब्याज दर संरचना की जटिलताओं के चलते 1990 से ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि ब्याज दरों को सरल और कारगर बनाया जाय, ताकि ऋण- कीमत-निर्धारण प्रणाली में कीमत-अन्वेषण और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ब्याज दरों को सरल और कारगर बनाने की प्रक्रिया की परिणति इस बात में हुई कि अक्तूबर 1994 में उधार दरों को लगभग पूरी तरह अविनियमित कर दिया गया। 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को उन्मुक्त कर दिये जाने के साथ वर्ष 1994 में पीएलआर प्रणाली आरंभ किया जाना इस दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसका लक्ष्य था प्रतिस्पर्धात्मक ऋण-कीमत-निर्धारण सुनिश्चित करना। वर्ष 2003 में आरंभ की गयी बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली से यह उम्मीद की गयी थी कि वह बैंकों के लिए उनके ऋण उत्पादों के कीमत-निर्धारण के लिए बेंचमार्क दर के रूप में काम करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि यह सच में वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा का पूरा हासिल नहीं कर पायी है। प्रतिस्पर्धा ने ऋणों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कीमत-निर्धारण को बीपीएलआर के संरेखण से दूर रहने और अपारदर्शी होने के लिए बाध्य किया है, जिससे संदर्भ दर के रूप में बीपीएलआर की भूमिका को क्षति पहुँची है। इस प्रकार का व्यापक जन-बोध भी था कि बीपीएलआर प्रणाली कंपनियों के लिए ऋण का कम कीमत-निर्धारण करने और कृषि एवं लघु और मझौले उद्यमों के लिए ऋण का अधिक कीमत-निर्धारण करने के संदर्भ में प्रति-सहायता का कारण बनी है। वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 में यह उल्लेख किया गया था कि चूँकि अधिकांश बैंक-ऋण उप-बीपीएलआर दरों पर दिये जाते थे, जिसमें बीपीएलआर प्रणाली इस प्रकार विकसित हुई थी कि सार्थक संदर्भ दर के रूप में इसने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। बीपीएलआर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव होने से भी मौद्रिक नीति संकेतों के संप्रेषण में अड़चन आयी। जनता की ओर से और उनकी ओर से, जिन्हें रिज़र्व बैंक मान्यता देता है, बीपीएलआर की कमियों के संबंध में चिंता जताये जाने को देखते हुए, वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 में घोषणा की गयी कि बीपीएलआर के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया जायेगा, जो बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा करेगा और उसमें परिवर्तनों का सुझाव देगा, ताकि ऋण-कीमत-निर्धारण और भी पारदर्शी हो सके। तदनुसार एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे :

| | |
|---|---|
| श्री दीपक मोहंती<br>कार्यपालक निदेशक<br>भारतीय रिज़र्व बैंक | अध्यक्ष |
| श्री अभिजित सेन<br>एमडी एंड सीएफओ<br>सिटी बैंक | सदस्य |
| श्री एच.एस.उपेंद्र कामत<br>कार्यपालक निदेशक<br>केनरा बैंक | सदस्य |
| डॉ.जहाँगीर अजीज<br>मुख्य अर्थशास्त्री (भारत)<br>जे.पी, मॉर्गन | सदस्य |
| डॉ.जनक राज<br>प्रभारी परामर्शदाता<br>मौद्रिक नीति विभाग<br>भारतीय रिज़र्व बैंक | सदस्य |

| | |
|---|---|
| डॉ.के.रामकृष्णन<br>मुख्य कार्यपालक<br>भारतीय बैंक संघ | सदस्य |
| श्री एन.एस.कन्नन<br>ईडी एंड सीएफओ<br>आइसीआइसीआइ बैंक | सदस्य |
| श्री पी.विजय भास्कर<br>प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक<br>बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग<br>भारतीय रिज़र्व बैंक | सदस्य |
| श्री आर.सी. अरोड़ा<br>सीनियर वी पी एंड कंप्लायंस हेड<br>भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड | सदस्य |
| श्री आर.के.गुप्ता<br>महाप्रबंधक<br>पंजाब नैशनल बैंक | सदस्य |
| श्री एस.एस.रंजन<br>डिपुटी एमडी एंड सीएफओ<br>भारतीय स्टेट बैंक | सदस्य |
| डॉ.टी.टी.राममोहन<br>प्रोफेसर<br>भारतीय प्रबंध संस्थान<br>अहमदाबाद | सदस्य |
| डॉ.हिमांशु जोशी<br>निदेशक<br>मौद्रिक नीति विभाग<br>भारतीय रिज़र्व बैंक | सदस्य-सचिव |

## कार्यदल के लिए विचारार्थ विषय

1.3 कार्यदल के लिए विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :

(i) बीपीएलआर की अवधारणा और इसकी गणना करने के ढंग की समीक्षा करना;

(ii) उप-बीपीएलआर उधार की सीमा और उसके कारणों की जाँच करना;

(iii) प्रमुख बैंकों के बीपीएलआर में व्यापक अपसरण की जाँच करना;

(iv) बैंकों के लिए एक युक्तियुक्त ऋण-कीमत-निर्धारण प्रणाली का सुझाव देना, जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों पर आधारित हो;

(v) 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों के लिए और निर्यातकों के लिए नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा करना;

(vi) फुटकर खंड में अस्थायी दर वाले ऋणों के लिए उपयुक्त बेंचमार्कों का सुझाव देना; और बैंकों की उधार दरों के संबंध में किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना।

## कृतज्ञता ज्ञापन

1.4 दल के सदस्य वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, यथा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोशियेटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन मर्चेंट चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, फेडरेशन ऑफ एसोशियेसन्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया और ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोशियेशन के विचारों और सुझावों के लिए उनकी सराहना करता है।

1.5 कार्यदल उन लोगों को भी धन्यवाद देता है, जिन्होंने दल के विचारार्थ विषय के संबंध में अभिमत माँगने के बारे में 11 जून 2009 की प्रेस प्रकाशनी के जवाब में डाक से या ई-मेल से अपने अभिमत और सुझाव भेजे थे।

1.6 कार्यदल सचिवालय द्वारा, जिसमें दीपक माथुर, सहायक परामर्शदाता, सांख्यिकी एवं प्रबंध सूचना विभाग, और सर्वश्री आशिष थॉमस जॉर्ज और एडविन प्रबु, अनुसंधान अधिकारी, मौद्रिक नीति विभाग सम्मिलित थे, दी गयी सर्वोत्तम सहायता के लिए भी सम्मान प्रकट करता है।

1.7 इस रिपोर्ट को छह अध्यायों में बाँटा गया है। अध्याय 2 में बीपीएलआर के विकास के बारे में पता किया गया है। अध्याय 3 में ऋणों के युक्तियुक्त कीमत-निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली दी गयी है। अध्याय 4 में अस्थायी दर वाले ऋणों के कीमत-निर्धारण के लिए बेंचमार्क का परीक्षण किया गया है। अध्याय 5 में नियंत्रित उधार दरों की कार्यपद्धति का मूल्यांकन किया गया है।

# 2. भारत में बेंचमार्क मूल उधार दर का विकास

2.1 अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से संगति रखते हुए, उधार दरों और बैंकऋण के आवंटन का विनियमन सामान्यतः रिज़र्व बैंक द्वारा 1980 के दशक तक किया जाता था। पुनः, अनेक क्षेत्र-विशिष्ट, कार्यक्रम-विशिष्ट और प्रयोजन-विशिष्ट ऋण-शर्तों का समय-समय पर प्रावधान किया जाता था। नियंत्रित उधार दर संरचना को युक्तिसंगत बनाने का आरंभिक प्रयास सितंबर 1990 में ब्याज दरों की बहुविधता और जटिलता को दूर करते हुए किया गया। विभेदक ब्याज दर योजना[1] के अंतर्गत दिये गये अग्रिमों और निर्यात ऋण को छोड़ कर अग्रिमों पर ब्याज दरों को अग्रिमों के आकार के साथ सहबद्ध किया गया था और बड़े अग्रिमों के लिए क्रमिक रूप से उच्चतर ब्याज दरें निर्धारित की गयी थीं (न्यूनतम नियत दर के अधीन)। जबकि 7,500 रुपये की राशि तक के सबसे छोटे खंड वाले अग्रिमों के लिए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की न्यूनतम दर से ब्याज का निर्धारण किया गया, 2 लाख रुपये से ऊपर के अग्रिमों के लिए, जो सबसे बड़े खंड वाले होते थे, न्यूनतम 16 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की गयी थी। उधार दरों की उपर्युक्त युक्तिसंगत संरचना कार्यशील पूँजी और मीयादी ऋणों, दोनों पर लगायी गयी थी। तथापि, कृषि, लघु उद्योग और परिवहन परिचालकों को दिये गये मीयादी ऋणों पर रियायती दरें लागू की गयी थीं।

*उधार दरों का अविनियमन और मूल उधार दरों (पीएलआर) का उद्भव*

2.2 1990 के दशक के आरंभ में वित्तीय क्षेत्र सुधारों को आरंभ किये जाने के बाद वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों को अविनियमित करने के लिए विविध प्रकार के कदम उठाये गये। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण सीमा आकार वाली श्रेणियों को, जिनके संबंध में नियंत्रित दरें निर्धारित की गयी थीं, अप्रैल 1993 में घटा कर तीन खंडों में कर दिया गया। संशोधित दिशा-निर्देश के अंतर्गत खंड या ऋण सीमा आकार श्रेणी में तीन कोटियाँ शामिल थीं : (i) 25000 रुपये तक और उसको शामिल करते हुए अग्रिम; (ii) 25000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक के अग्रिम; और (iii) 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिम। उधार दरों के अविनियमन की ओर उठाये गये एक बड़े कदम के रूप में अक्तूबर 1994 में यह निर्णय लिया गया कि 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए बैंक अपने जोखिम-प्रतिलाभ बोध और वाणिज्यिक विवेक के अनुसार अपनी उधार दरें निर्धारित करेंगे। इसके साथ-साथ बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे अपनी मूल उधार दर (पीएलआर), बैंक के उत्कृष्ट उधारकर्ताओं के लिए प्रभारित दर, की घोषणा अपनी निधियों की लागत, लेन देन लागत, आदि को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से करें। प्रारंभ में पीएलआर 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम नियत दर का कार्य करता था। बाद में, इस बात का पता चलने पर कि बैंक 2 लाख रुपये से ऊपर की ऋण सीमा रखनेवाले उधारकर्ताओं को बैंक ऋण के महत्वपूर्ण भाग पर पीएलआर से ऊँची दर पर उधार दर प्रभारित कर रहे थे, अक्तूबर 1996 में बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे पीएलआर की घोषणा करते समय उपभोक्ता ऋण से भिन्न सभी अग्रिमों के लिए पीएलआर पर अधिकतम स्प्रेड की भी घोषणा करें।

2.3 बैंक ऋण के उपयोग में अधिक अनुशासन लाने और ऋण प्रवाह पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए अप्रैल 1995 में बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए एक 'ऋण प्रणाली' आरंभ की गयी, जिसके द्वारा बैंकों को अपने-अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित मूल उधार दर के संदर्भ में 'नकदी ऋण' और 'ऋण' घटकों पर ब्याज दरें प्रभारित करने की स्वतंत्रता दी गयी। पुनः फरवरी 1997 में उधारकर्ताओं को ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे ऋण एवं नकदी ऋण घटकों, दोनों के लिए अलग पीएलआर और स्प्रेड (पीएलआर पर) निर्धारित करें।

2.4 अक्तूबर 1997 में 3 वर्ष और उससे अधिक के मीयादी ऋणों के संबंध में बैंकों को अलग से मूल मीयादी दर घोषित करने की स्वतंत्रता दी गयी, जबकि कार्यशील पूँजी और अल्पावधि प्रयोजनों के लिए लिये गये ऋणों पर पीएलआर लागू होता रहा। 2 लाख

[1] विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआइ) के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर लघु ऋण दिये जाते हैं।

रुपये से कम ऋण लेने वाले लघु उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह में अनुत्साहन को दूर करने के लिए, सभी बैंकों के लिए एकसमान रूप से विनिर्दिष्ट दर निर्धारित करने के बदले, पीएलआर को अप्रैल 1998 में 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर उच्चतम दर के रूप में बदल दिया गया। इस नीति का औचित्य यह था कि पीएलआर, जो बैंक के उत्कृष्ट उधारकर्ता पर प्रभार्य दर होता था, लघु उधारकर्ताओं के लिए प्रभार्य अधिकतम दर होना चाहिए।

*टेनोर सहबद्ध मूल उधार दर (टीपीएलआर)*

2.5 पीएलआर और पीएलआर के ऊपर स्प्रेड की प्रणाली, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा था, सामान्यतः पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता के प्रयोजन को पूरा करती थी। बैंकों को जिन दो पीएलआर का परिचालन करने की अनुमति दी गयी थी - पहला, अल्पावधि ऋणों के लिए और दूसरा दीर्घावधि ऋणों के लिए, उसमें बैंकों और उधारकर्ताओं से टेनोर सहबद्ध पीएलआर के लिए अनुरोध किये जाते थे, अर्थात्, विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए पीएलआर। अतः टेनोर सहबद्ध मूल उधार दर (टीपीएलआर) की अवधारणा अप्रैल 1999 में आरंभ की गयी, ताकि बैंकों को विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए भिन्न-भिन्न पीएलआर का परिचालन करने की स्वतंत्रता दी जाये, बशर्ते कि पीएलआर प्रणाली के अंतर्गत परिकल्पित संसाधन की पारदर्शिता और समरूपता बनाये रखी जाये। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर 1999 में, बैंकों और अन्य बाजार प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, बैंकों को पीएलआर की प्रयोज्यता में अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंकों को स्वतंत्रता दी गयी कि वे कुछ कोटि के कर्जों/ऋणों, यथा, मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं की पुनर्वित्त योजना में शामिल ऋण, मध्यवर्ती एजेंसियों को उधार देना, बिलों की भुनाई और घरेलू/एनआरई/एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, के संबंध में पीएलआर का उल्लेख किये बिना ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं। जैसाकि वर्ष 2000-01 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गयी थी, बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले सभी ऋणों पर संदर्भ दर के रूप में पीएलआर के साथ नियत/अस्थायी दर पर ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे ऋण मंजूर करने के समय यह सुनिश्चित कर लें कि यथाप्रयोज्य पीएलआर शर्तों का अनुपालन किया गया है और ऋण मंजूर करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नियत एवं अस्थायी दर वाले ऋणों/अग्रिमों, दोनों के मामले में पीएलआर के साथ संरेखण का स्वरूप स्पष्ट किया गया है।

*पीएलआर और उप-पीएलआर उधार का शिथिलीकरण*

2.6 वर्ष 2001-02 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति में यह उल्लेख किया गया था कि "... बैंकरों के साथ हाल की बैठकों में एक अनुरोध किया गया था कि पीएलआर को बैंकों के लिए संदर्भ या बेंचमार्क दर के रूप में बदल दिया जाना चाहिए, बजाये इसके कि उसे उधारकर्ताओं पर प्रभार्य न्यूनतम दर के रूप में माना जाये। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों की समीक्षा ने भी यह दर्शाया है कि जबकि पीएलआर उच्चतम श्रेणी निर्धारित उत्कृष्ट उधारकर्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली परंपरागत रूप से न्यूनतम दर होती है, हाल के वर्षों में बैंकों द्वारा पीएलआर से कम दर पर भी ऋण देना आम बात हो गयी है ..." (वर्ष 2001-02 के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति का पैरा 82, 19 अप्रैल 2001)।

2.7 तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को देखते हुए और वाणिज्यिक बैंकों को अपनी उधार दरों में और अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2001-02 के लिए अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए पीएलआर के न्यूनतम नियत दर रहने की शर्त को शिथिल किया। बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे पीएलआर से कम दरों पर निर्यातकों या अन्य ऋणपात्र उधारकर्ताओं को, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं, अपने-अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ नीति की तर्ज पर ऋण मुहैया करायें। इस प्रकार 19 अप्रैल 2001 से वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए उप-पीएलआर दरों पर ऋण दें। तथापि, बैंकों से अपेक्षा की गयी कि ऐसा करते समय भी वे उन ऋणों पर प्रभारित ब्याज दरों के अधिकतम स्प्रेड की घोषणा करने की पहले की प्रथा को जारी रखें, जिनका पीएलआर के ऊपर कीमत-निर्धारण किया जाता था। भारत में ऋण बाजार की प्रचलित संरचना को देखते हुए और लघु उधारकर्ताओं को रियायत दिया जाना जारी रखने के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पीएलआर को अधिकतम सीमा माने जाने की प्रथा को अविलंब प्रभाव से जारी रखा गया।

2.8 बड़े पूँजी अंतर्वाह और वृद्धि का संवर्धन करने के लिए समग्र मौद्रिक नीति दृष्टिकोण के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा आरंभ किये गये मौद्रिक सहजता हेतु अनेक उपायों का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2001-04 के दौरान प्रचुर चलनिधि उपलब्ध रही। इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में सामान्यतः ब्याज दरों में काफी नरमी आयी। तथापि, सामान्यतः ब्याज दरों को घटाया जाना सभी बैंकों में एकसमान रूप से प्रतिबिंबित नहीं हुआ। यह भी देखा गया कि बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के लिए बैंक ऋण के एक महत्वपूर्ण भाग के संबंध में उनके पीएलआर से भी अधिक होती थी। अतः वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति में बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे पीएलआर से ऊपर वर्तमान अधिकतम स्प्रेड की समीक्षा करें और जहाँ कहीं भी वे ऊँचे हों, वहाँ उन्हें घटायें, ताकि उधारकर्ताओं को उचित दर पर ऋण उपलब्ध हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अपने पीएलआर की घोषणा करने के साथ-साथ जनता के लिए पीएलआर से ऊपर अधिकतम स्प्रेड भी घोषित करें।

2.9 जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के लिए वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से, ग्राहक-हित की रक्षा करने और सार्थक प्रतिस्पर्धा के लिए भी ऋण-कीमत-निर्धारण के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिपोर्ट किये जाने की अपेक्षा को बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने जून 2002 से नियमित अंतरालों पर बैंकों से प्राप्त सूचना के माध्यम से उधार दरों की वास्तविक प्रवृत्ति पर निगरानी रखना आरंभ किया। बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम और न्यूनतम दरों के संबंध में अतिरिक्त सूचना माँगी गयी। बैंकों को सूचित किया गया कि वे ब्याज दरों का चरम मूल्य निकालने के बाद (जैसेकि दोनों ओर अग्रिमों के 5 प्रतिशत तक) अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें। पुनः, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे ब्याज दरों की सीमा भी प्रस्तुत करें, जिसमें बड़े मूल्य वाले कारोबार (जैसेकि अग्रिमों के 60 प्रतिशत या अधिक) के लिए संविदा की गयी, ताकि भारत में बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली उधार दरों की सामान्य प्रवृत्ति पर निगरानी रखी जा सके। विशेष तिमाही विवरणी VI-एसी के अंतर्गत ब्याज दरों के संबंध में इस प्रकार एकत्र की गयी तिमाही सूचना को रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर डाला गया। अब यह जून 2002 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए उपलब्ध है। बैंकों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे उधारकर्ताओं के लिए 'समग्र लागत' अवधारणा की ओर स्वीचओवर करें, जिसके लिए वे उधारकर्ताओं से लिये जाने वाले संसाधन प्रभार, सेवा प्रभार, आदि की सुस्पष्ट घोषणा करें और ऐसे बैंक प्रभारों से संबंधित सूचना सार्वजनिक पहुँच के क्षेत्र में रखें।

*बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर)*

2.10 वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह देखा गया कि आरंभ किये गये नये रिपोर्टिंग मानकों के अंतर्गत एकत्र की गयी सूचना के आधार पर पीएलआर और स्प्रेड, दोनों, बैंकों/बैंक समूहों के बीच व्यापक रूप से परिवर्तनशील हैं। मध्यावधि समीक्षा में यह नोट किया गया कि किसी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विविध बैंकों/बैंक समूहों के बीच पीएलआर का अभिसरण बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए होना चाहिए और कि पीएलआर के चतुर्दिक स्प्रेड को उचित होना चाहिए। इसमें बैंकों से मांग की गयी कि वे अपने पीएलआर और स्प्रेड, दोनों की समीक्षा करें और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन स्प्रेड का संरेखण पीएलआर के चतुर्दिक उचित सीमा के भीतर करें। तथापि, पीएलआर में अपसरण और बैंक उधारकर्ताओं के बीच स्प्रेड का विस्तार किया जाता रहा। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की समग्र दिशा के संबंध में मूल उधार दरें कठोर और अनम्य बनी रहीं।

2.11 पारदर्शिता आरंभ करने और ऋणों का युक्तियुक्त कीमत-निर्धारण सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ - जिसमें पीएलआर वस्तुतः वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करते हैं - रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2003 के वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों को सूचित किया कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से एक बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की घोषणा करें। बीपीएलआर को संदर्भ दर के रूप में देखा गया था और उसकी गणना निम्नलिखित को ध्यान में रख कर की जानी थी (i) निधियों की लागत; (ii) परिचालन व्यय; और (iii) न्यूनतम मार्जिन, जिसमें प्रावधानन और पूँजी प्रभार और लाभ मार्जिन की विनियामक अपेक्षाएँ शामिल हों। इसके साथ-साथ पारदर्शिता के अभाव को देखते हुए बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे टेनोर सहबद्ध पीएलआर को बंद कर दें, क्योंकि अन्य सभी उधार दरों का निर्धारण एकल बेंचमार्क मूल उधार दर के संदर्भ

में किया जा सकता था, जिस पर मीयादी प्रीमिया और/या जोखिम प्रीमिया को हिसाब में लेते हुए पहुँचा जा सकता था। बैंकों को अस्थिर दर वाले ऋणों और अग्रिमों के कीमत निर्धारण में लचीलापन की अनुमति भी दी गयी, जिसके लिए वे वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी ढंग से बाजार बेंचमार्क और समय परिवर्ती स्प्रेड का उपयोग कर सकते थे। पुनः, अनेक ऋणों और अग्रिमों, यथा, आवासीय संपत्ति अर्जित करने और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ खरीदने के लिए अग्रिम, पर ब्याज दरें बेंचमार्क पीएलआर का उल्लेख किये बिना निर्धारित की जा सकती थीं। लगभग सभी बैंकों ने आइबीए द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बाद अप्रैल 2004 तक इस प्रणाली को कार्यान्वित कर दिया।

2.12 जिस ढंग से बीपीएलआर के घटकों की गणना की जानी थी, उसके संबंध में विस्तृत/व्यष्टि स्तर के विनियामक दिशा-निर्देश रिज़र्व बैंक ने जारी नहीं किये। तथापि, बैंकों ने सभी बैंकों के लिए बीपीएलआर की गणना के निमित्त मानकीकृत कार्यप्रणाली के संबंध में रिज़र्व बैंक की सलाह माँगी। तथापि, बैंकों ने विभिन्न खंडों में भिन्न-भिन्न प्रकार की चूक की जोखिम के चलते, जिसके लिए पूँजी प्रभार हेतु अलग-अलग किस्म के लोड फैक्टर की आवश्यकता होती थी, विभेदक कीमत-निर्धारण नीति की आवश्यकता को आलोकित किया। सामान्यतः, चूँकि बैंकों ने विविध प्रकार के उत्पादों को प्रस्तावित किया, जिनमें 'प्रतिबद्ध पूँजी' और 'आबंटित संसाधन' के रूप में अंतर होता था, बैंकों ने यह महसूस किया कि ऋण कीमत-निर्धारण में लचीलापन आवश्यक था, ताकि ब्याज दर में उत्पाद के लक्षण प्रतिबिंबित हों, जिसमें ऋण तथा बाजार जोखिमें तथा अपेक्षित संरचना शामिल हो। बैंकों ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि चूँकि लेन देन लागत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती है, यथा उपभोक्ता और कंपनी कारोबार खाते, अतः इन खंडों के लिए अलग कीमत-निर्धारण संरचना का होना आवश्यक था। उपर्युक्त चिंताओं पर ध्यान दिये जाने के लिए बैंक यह चाहते थे कि रिज़र्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों में ऋणों के कीमत-निर्धारण के लिए अलग-अलग बीपीएलआर की अनुमति दे। इसके अतिरिक्त, कालांतर में ब्याज दर में परिवर्तन होने से मीयादी प्रीमिया को ऋण-कीमत-निर्धारण के नियत घटक के रूप में माने जाने में दिक्कत हो सकती थी, अतः बैंकों द्वारा यह भी आवश्यक समझा गया कि मीयादी प्रीमिया को पुनर्निर्धारित किया जाये, खास कर उन ऋणों के संबंध में, जिनकी परिपक्वता अवधि दीर्घ हो। बैंकों ने यह भी सुझाव दिया कि अल्पावधि उधार दरों को परंपरागत लेखांकन आँकड़ों के साथ सहबद्ध नहीं किया जा सकता, वे अपनी अधिशेष निधियों को उच्च श्रेणी निर्धारित उधारकर्ताओं के लिए अभिनियोजन करने को तरजीह देंगे, भले ही मुद्रा बाजार लिखतों के प्रतिफल के उपर थोड़ा ऊँचा स्प्रेड उपलब्ध हो। बैंकों की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए, रिज़र्व बैंक ने यह युक्तियुक्त समझा कि ऋण के कीमत-निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए बीपीएलआर प्रणाली शुरू करने की घोषणा की जाये।

2.13 बैंकों के बीपीएलआर पर निगरानी रखने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों से सूचना एकत्र करने और इसे विविध प्रकाशनों में सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की एक प्रणाली आरंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन में साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक (डब्लूएसएस) पाँच प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर के संबंध में सूचना का प्रसार करता है। बीपीएलआर के संबंध में और एससीबी की वास्तविक उधार दरों के संबंध में सूचना भी नियमित रूप से तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक के वेबसाइट (www.rbi.org.in) के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

2.14 बाद में, बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा करते हुए वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह देखा गया कि बीपीएलआर प्रणाली का विकास इस ढंग से हुआ कि यह उम्मीद पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी है। प्रतिस्पर्धा ने ऋण के महत्वपूर्ण भाग के कीमत निर्धारण को बीपीएलआर के संरेखण से अपारदर्शी ढंग से बाहर रहने को बाध्य किया है। फलतः, इसने बीपीएलआर की भूमिका को दुर्बल किया है। इसके अतिरिक्त, एक जन-बोध यह था कि कंपनियों के लिए ऋण का कम कीमत-निर्धारण किया जाता है, जबकि कृषि और लघु एवं मझौले उद्यमों के लिए उधार का अधिक कीमत-निर्धारण किया जाता है। रिज़र्व बैंक में बैंकों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें सुझाव दिया गया था कि बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा की जाये। अतः यह आवश्यक हो गया था कि संपूर्ण ऋण चक्र में वित्तीय मध्यस्थता के विविध प्रक्रमों पर एक सुविन्यस्त और खंडवार विश्लेषण के माध्यम से ऋण के कीमत-निर्धारण की वर्तमान क्रियाविधि और प्रक्रिया की समीक्षा की जाये। भारत में बीपीएलआर प्रणाली के विकास का संक्षिप्त लेखा-जोखा सारणी 1 में प्रस्तुत किया गया है।

| सारणी 1 : भारत में बीपीएलआर का विकास : एक संक्षिप्त दृश्य | |
|---|---|
| अक्तूबर 1994 | 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले ऋणों के लिए उधार दरों को अविनियमित किया गया। बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे अपनी मूल उधार दरों (पीएलआर) की घोषणा करें। |
| फरवरी 1997 | बैंकों को ऋण एवं नकदी ऋण घटकों, दोनों के लिए अलग से पीएलआर और पीएलआर के ऊपर स्प्रेड का निर्धारण करने की अनुमति दी गयी। |
| अक्तूबर 1997 | बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि के मीयादी ऋणों के लिए अलग मूल मीयादी उधार दर (पीटीएलआर) की घोषणा करें। |
| अप्रैल 1998 | पीएलआर को 2 लाख तक के ऋण के लिए अधिकतम दर के रूप में बदला गया। |
| अप्रैल 1999 | टेनोर सहबद्ध मूल उधार दरें (टीपीएलआर) लागू की गयीं। |
| अक्तूबर 1999 | बैंकों को कुछ कोटियों के कर्ज/ऋण के संबंध में यह लचीलापन प्रदान किया गया कि वे पीएलआर का उल्लेख किये बिना ब्याज दरें प्रभारित कर सकते हैं। |
| अप्रैल 2000 | बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे 2 लाख रुपये से अधिक ऋण सीमा वाले अपने उधार पर नियत/अस्थायी दर पर ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। |
| अप्रैल 2001 | 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए पीएलआर न्यूनतम नियत दर नहीं रहा। वाणिज्यिक बैंकों को 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए उप-पीएलआर दर पर उधार देने की अनुमति दी गयी। |
| अप्रैल 2002 | बैंकों से (क) अग्रिमों के संबंध में बैंकों द्वारा प्रभारित अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरों; और (ख) बड़े मूल्य वाले कारोबार के लिए ब्याज दरों की सीमा, के संबंध में अतिरिक्त सूचना एकत्र करने और रिज़र्व बैंक के वेबसाइट के माध्यम से उसका प्रसार करने की प्रणाली आरंभ की गयी। |
| अप्रैल 2003 | रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से एक बेंचमार्क पीएलआर (बीपीएलआर) की घोषणा करें। टेनोर सहबद्ध पीएलआर की प्रणाली बंद कर दी गयी। |

## बीपीएलआर की प्रवृत्ति

2.15 एक अविनियमित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में भिन्न-भिन्न बैंकों की उधार दरें स्वभावतः भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि निधियों की लागत, परिचालन लागत और पूँजी प्रभार तथा लाभ के लिए मार्जिन प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। तथापि, बीपीएलआर प्रणाली का अनुभव यह दर्शाता है कि विभिन्न बैंक समूहों के बीपीएलआर में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रही है।

*बीपीएलआर की बैंक समूहवार प्रवृत्ति*

2.16 मार्च 2004 से रूपात्मक बीपीएलआर में बैंक-समूहवार प्रवृत्ति तीन विभिन्न चरण दर्शाती है। प्रथम चरण में मार्च 2004 और मार्च 2006 के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर लगभग स्थिर और सीमाबद्ध बने रहे, हालाँकि निजी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर से लगभग 100 आधार अंक (बीपीएस) अधिक थे। विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में कुछ घट-बढ़ दिखाई पड़ी, लेकिन वे मार्च 2006 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर के समरूप हो गये। मार्च 2006 से जून 2007 तक की अवधि के दौरान सभी तीन बैंक समूहों के रूपात्मक बीपीएलआर ने मौद्रिक स्थिति में सामान्य कठोरता के बराबर तीव्र चढ़ाव दर्शाया। इस चरण में भी निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर की तुलना में 100 बीपीएस ऊँचे बने रहे। विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर के निकट बने रहे। अगले चरण में, जून 2007 से सितंबर 2008 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर और निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में अपसरण कुछ अधिक हुआ; विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर के समरूप हो गये। तथापि, सितंबर 2008 से निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में महत्वपूर्ण अपसरण हुआ है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर ने सितंबर 2008 से महत्वपूर्ण गिरावट दर्शायी है, जबकि निजी बैंकों के बीपीएलआर में मार्च 2009 तक महत्वपूर्ण चढ़ाव दर्शाने के बाद उतार का प्रदर्शन हुआ है (चार्ट 1)।

*रिज़र्व बैंक की नीति दरों में परिवर्तनों के प्रति बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता*

2.17 रिज़र्व बैंक की नीति दरों (रेपो दर) में ति1:2004 से ति1:2009 तक हुए परिवर्तनों के प्रति रूपात्मक बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए किये गये एक प्रायोगिक

**चार्ट 1 : बैंक समूहवार रूपात्मक बीपीएलआर**

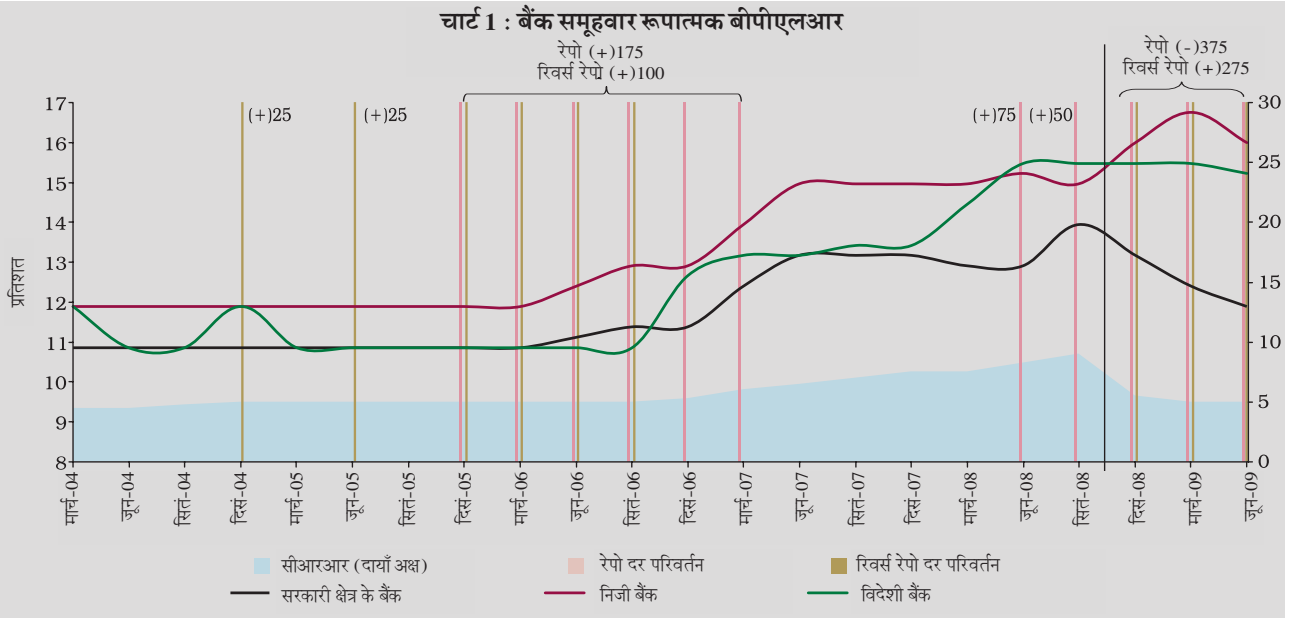


अभ्यास से पता चला कि बैंक समूहों में और ब्याज दर चक्र में (सारणी 2 और अनुबंध 2) एक मिश्रित चित्र उपस्थित है। यह देखा गया कि रेपो दर में बढ़ोतरी किये जाने से निजी क्षेत्र के बैंकों और प्रमुख विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में समसामयिक बदलाव आता है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में विलंबित अनुक्रिया प्राप्त होती है। रेपो दर में कमी किये जाने से केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में महत्वपूर्ण समसामयिक प्रभाव प्रदर्शित हुआ। यह विषम अनुक्रिया दर्शाती है कि जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक नीति दर में बढ़ोतरी के प्रति धीमी अनुक्रिया करने वाले थे, वे इसकी उलटी स्थिति में शीघ्र अनुक्रिया करने वाले होते थे। इसका कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्वामित्व संरचना को माना जा सकता है, जो उन्हें प्राधिकारियों के नैतिक दबाव के अधिक अधीन बना देता है। नीति दर के अतिरिक्त भारित औसत माँग मुद्रा दर का उपयोग भी रूपात्मक बीपीएलआर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। भारित औसत माँग मुद्रा दर में बढ़ोतरी होने से, जो चलनिधि के दुर्लभ होने का संकेत था, सभी बैंक समूहों में महत्वपूर्ण समसामयिक प्रभाव पड़ता हुआ देखा गया। इसमें कमी होने का एक महत्वपूर्ण प्रभाव, अलबत्ता, एक अंतराल के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में हुआ और समसामयिक एवं विलंबित प्रभाव निजी बैंकों के मामले में हुआ, जबकि पाँच प्रमुख विदेशी बैंकों के मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया।

2.18 मार्च 2004 से 2009 की अवधि के दौरान रूपात्मक बीपीएलआर के चतुर्दिक ब्याज दर स्प्रेड के विश्लेषण से पता चला

**सारणी 2: नीति दरों और चलनिधि स्थितियों के प्रति रूपात्मक बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता**

| बैंक समूह | सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक | सभी निजी क्षेत्र के बैंक | 5 प्रमुख विदेशी बैंक |
|---|---|---|---|
| रेपो दर में बढ़ोतरी | विलंबित (एक तिमाही) | समसामयिक और विलंबित (दो तिमाही) | समसामयिक |
| रेपो दर में कमी | समसामयिक | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं |
| रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं |
| रिवर्स रेपो दर में कमी | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं |
| भारित औसत माँग मुद्रा दर में बढ़ोतरी | समसामयिक | समसामयिक | समसामयिक |
| भारित औसत माँग मुद्रा दर में कमी | विलंबित (दो तिमाही) | समसामयिक और विलंबित (एक तिमाही) | कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं |

**चार्ट 2 : सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अधिकतम और न्यूनतम उधार दरें**

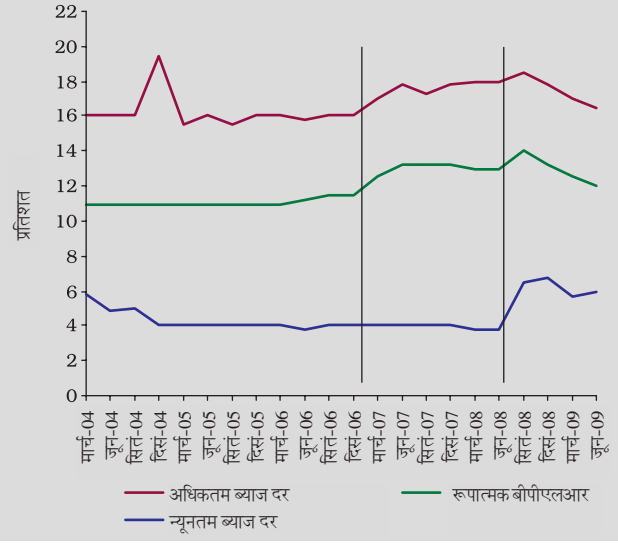


**चार्ट 3 : निजी क्षेत्र के बैंकों की अधिकतम और न्यूनतम उधार दरें**

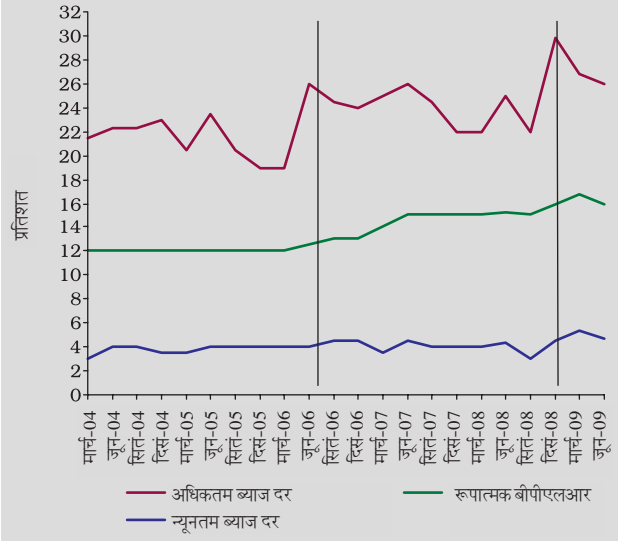


कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच काफी विविधता थी। न्यूनतम ब्याज दरों में विशेष रूप से अपेक्षाकृत धीमा उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ा, जिससे यह प्रकट हुआ कि वे बीपीएलआर में समग्र उतार-चढ़ाव के प्रति असंवेदनशील थे।

2.19 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीपीएलआर के चतुर्दिक उधार दरों में अधिकतम और न्यूनतम स्प्रेड मोटे तौर पर मार्च 2004 से स्थिर बना रहा है, केवल मार्च 2007 और जून 2008 के बीच कुछ संक्षिप्त अवधि को छोड़ कर, जब बीपीएलआर के चतुर्दिक स्प्रेड, खास कर बीपीएलआर से नीचे न्यूनतम स्प्रेड, में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई (चार्ट 2)।

2.20 निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अधिकतम ब्याज दर में मार्च 2004 - जून 2009 की अवधि के दौरान काफी घट-बढ़ देखा गया। खास कर स्प्रेड में दिसंबर 2008 में विस्तार हुआ और जून 2009 में उसमें संकुचन हुआ (चार्ट 3)

2.21 पाँच प्रमुख विदेशी बैंकों के मामले में, न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों, दोनों में, व्यापक घट-बढ़ देखा गया है। अधिकतम उधार दर, जो मार्च 2008 में 27.0 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी, वह सितंबर 2008 में गिर कर 19.8 प्रतिशत हो गयी और जून 2009 में थोड़ा बढ़ कर 20.0 प्रतिशत हो गयी (चार्ट 4)।

2.22 तथापि, बीपीएलआर में उतार-चढ़ाव देश में उधार पर ब्याज दरों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि बैंकों द्वारा विविध अंशों में उप-बीपीएलआर उधार का आश्रय लिया जाता है। यह देखा गया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, सिवाय विदेशी बैंकों के, उप-बीपीएलआर उधार के हिस्से में बढ़ोतरी की अवधि भी उच्च बीपीएलआर दरों के साथ संबद्ध थी (चार्ट 5)।

2.23 चुनिंदा प्रमुख बैंकों के लिए बीपीएलआर और उप-बीपीएलआर दरों के बीच परिवर्तनों के संबंध का प्रायोगिक विश्लेषण करने से यह पता चला कि वे सकारात्मक रूप से एक

**चार्ट 4 : पाँच प्रमुख विदेशी बैंकों की अधिकतम और न्यूनतम उधार दरें**

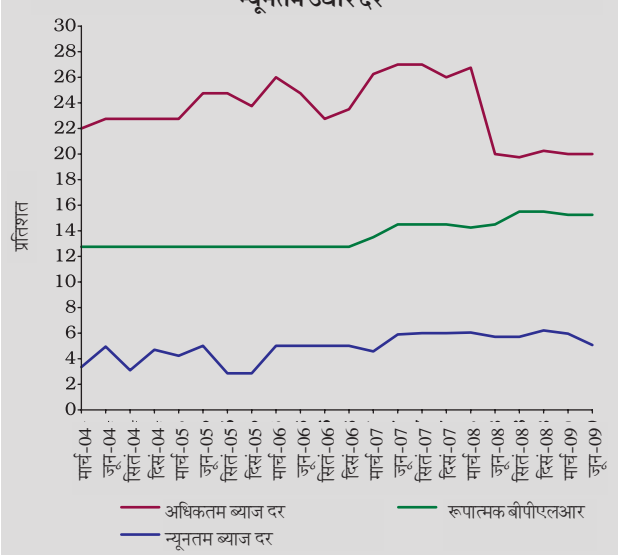

दूसरे से संबंधित[2] थे। जैसाकि ऊपर प्रायोगिक परिणामों से स्थापित हुआ है, बीपीएलआर और उप-बीपीएलआर उधार में सह-संचलन इस कारण से हो सकता है कि बैंक अपने बीपीएलआर में, जिसकी गणना निधियों की औसत लागत पर आधारित होती है, कटौती करने में असमर्थ होते हैं, जब सीमांतिक लागत में कमी आती है। इसका परिणाम हुआ उप-बीपीएलआर पर वृद्धिशील उधार दिया जाना। अतः बैंकों की उधार दर में वास्तविक उतार-चढ़ाव का बेहतर प्रग्रहण बैंकों के भारित औसत उधार दर में किया जाता है। हालाँकि वर्ष 2004 में विविध बैंक समूहों के बीच भारित उधार दरों में काफी अपसरण हुआ, हाल की अवधि में भारित औसत उधार दरों में अभिसरण की

**चार्ट 5 : रूपात्मक बीपीएलआर और एससीबी द्वारा उप-बीपीएलआर उधार**

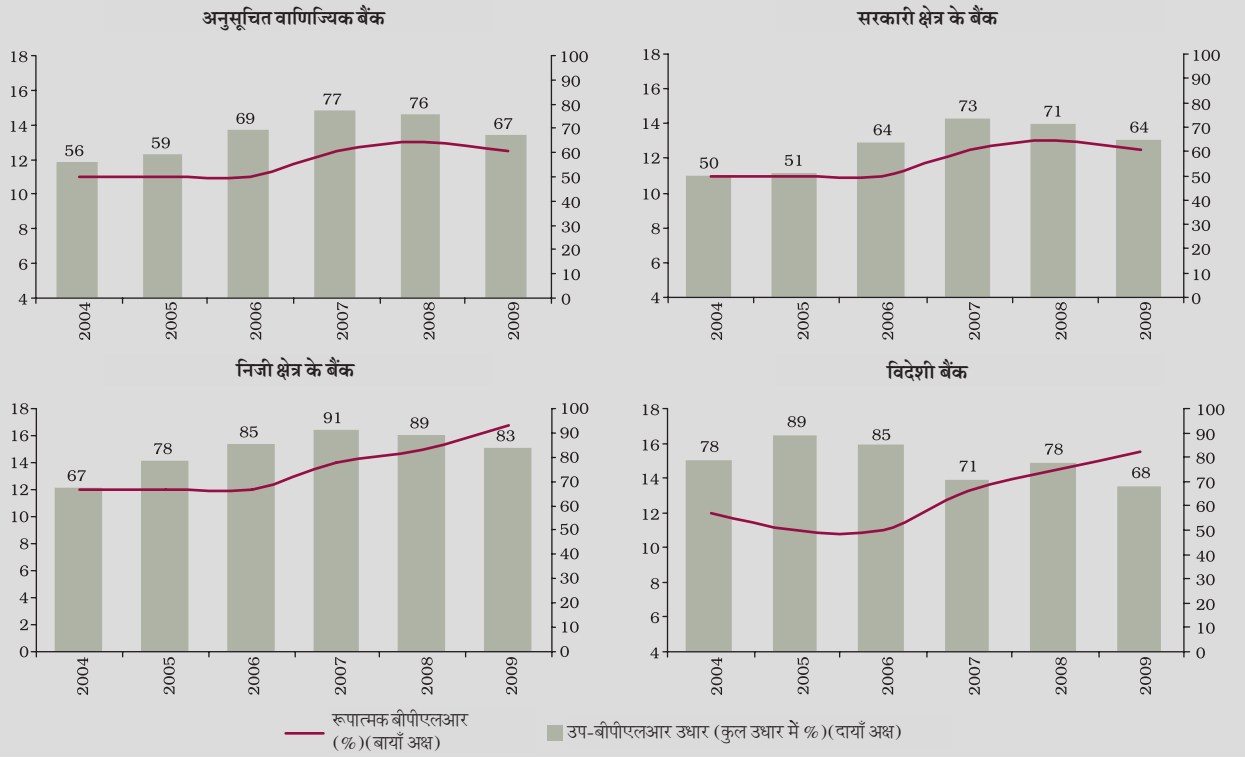


[2] आंशिक समायोजन के साथ एक ओएलएस रिग्रेसन का प्राक्कलन पाँच प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों, चार प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों और तीन प्रमुख विदेशी बैंकों के संबंध में वर्ष 2007 की पहली तिमाही से लेकर वर्ष 2009 की पहली तिमाही तक के आँकड़ों के लिए किया गया था, ताकि निम्नलिखित व्याख्यात्मक वैरिएबलों (i) उप-बीपीएलआर उधार के हिस्से में परिवर्तन, (ii) वैयक्तिक ऋणों के हिस्से में परिवर्तन, और (iii) चलनिधि (एलएएफ और एमएसएस जमाशेषों के औसत में तिमाही परिवर्तन + बढ़ोतरी - कमी) पर आधारित बीपीएलआर में परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सके। परिणाम नीचे प्रस्तुत किये गये हैं।

| आश्रित चर (डिपेंडेंट वैरिएबल) : **उप-बीपीएलआर के हिस्से में परिवर्तन** | |
|---|---|
| **नमूना → डिपेंडेंट वैरिएबल ↓** | **प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक** |
| बीपीएलआर में परिवर्तन | 4.89<br>(3.58*) |
| वैयक्तिक ऋणों के हिस्से में परिवर्तन | 0.11<br>(0.52) |
| चलनिधि में परिवर्तन | 0.05<br>(1.81) |
| उप-बीपीएलआर के हिस्से में परिवर्तन (टी-1) | -0.39<br>(-3.60*) |
| आर स्क्वेयर्ड | 0.19 |
| *डर्बिन-वाटसन स्टैटिस्टिक* | 2.26 |
| टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आँकड़े 'टी-स्टैटिस्टिक्स' के द्योतक हैं<br>* और ** क्रमशः 5 और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्व को बताते हैं | |

**चार्ट 6 : भारित औसत उधार दरें**
**(अंत मार्च)**

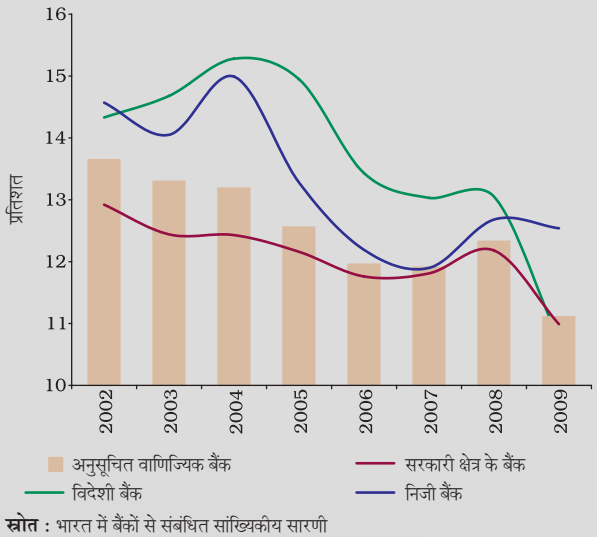


**स्रोत :** भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी

प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। इसके अतिरिक्त, भारित औसत उधार दर वर्ष 2008 में बढ़ने के पहले वर्ष 2002 के प्रारंभ से कम होती गयी थी। तथापि, भारित औसत उधार दर वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2008 में कम थी। वर्ष 2009 में भारित औसत उधार दरों में काफी कमी दर्ज की गयी है, सिवाय निजी बैंकों के मामले के (चार्ट 6)।

## बीपीएलआर आधारित प्रणाली में प्रमुख मुद्दे

2.24 बीपीएलआर प्रणाली से उम्मीद की गयी थी कि वह पीएलआर प्रणाली से, जो न्यूनाधिक न्यूनतम उधार दरों का प्रतिनिधित्व करती थी, एक कदम आगे होगा और इस प्रकार का होगा कि वह एक बेंचमार्क के रूप में या संदर्भ दर के रूप में होगा, जिसके चतुर्दिक बैंकों के अधिकांश उधार दिये जा सकेंगे। तथापि, कालक्रम में जिस तरीके से बीपीएलआर प्रणाली विकसित हुई उसके बारे में अनेक चिंताएँ व्यक्त की गयी हैं।

*उप-बीपीएलआर उधार की सीमा*

2.25 उप-बीपीएलआर उधार की अनुमति दिये जाने के बाद बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे निर्यातकों और अन्य ऋण-पात्र उधारकर्ताओं को, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी वस्तुनिष्ठ नीति के अनुरूप उप-बीपीएलआर दरों पर उधार दें। उप-बीपीएलआर उधार को मार्जिन पर होने की उम्मीद की गयी थी। तथापि, वर्षों से प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के कारण बैंकों ने विविध कोटि के उधारकर्ताओं, यथा, कंपनियों, आवास और फुटकर क्षेत्र के उधारकर्ताओं, का उप-बीपीएलआर दरों पर वित्तपोषण करने का आश्रय लिया है। उप-बीपीएलआर उधार के संबंध में आँकड़ों के परीक्षण से यह प्रकट होता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उप-बीपीएलआर उधार का हिस्सा (निर्यात ऋण और लघु ऋणों को छोड़ कर), जो मार्च 2002 में 28 प्रतिशत पर था, वह सितंबर 2008 में बढ़ कर 77 प्रतिशत हो गया और मार्च 2009 में घट कर 67 प्रतिशत हुआ (सारणी 3 और अनुबंध 3)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में उप-बीपीएलआर उधार का हिस्सा मार्च 2007 में 73 प्रतिशत था, जो मार्च 2009 तक सीमांतिक रूप से कम हो कर 64

**सारणी 3 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का उप-बीपीएलआर उधार * - ऋण का प्रकार**
(कुल ऋणों में प्रतिशत हिस्सा)

| ऋण का प्रकार | मार्च 2002 | मार्च 2003 | सितंबर 2004 | मार्च 2005 | मार्च 2006 | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **i) नकदी ऋण** | **5.4** | **6.5** | **9.5** | **7.7** | **11.7** | **13.2** | **14.0** | **12.4** |
| **ii) उपभोक्ता ऋण** | **0.6** | **3.3** | **7.7** | **8.7** | **8.1** | **10.7** | **8.9** | **3.7** |
| **iii) माँग ऋण** (बिल भुनाई सहित) | **5.9** | **6.9** | **7.6** | **8.2** | **7.4** | **6.4** | **8.5** | **6.9** |
| **iv) मीयादी ऋण** | **16.5** | **21.0** | **31.3** | **34.4** | **41.9** | **46.6** | **44.3** | **43.9** |
| क) 180 दिनों तक | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 5.7 | 3.1 |
| ख) 180 दिन-1वर्ष | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.2 |
| ग) 1-3 वर्ष | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 5.3 |
| घ) 3-5 वर्ष | 1.4 | 4.8 | 10.9 | 11.2 | 14.0 | 17.7 | 11.7 | 15.7 |
| ङ) 5 वर्ष से अधिक | 6.4 | 6.6 | 8.9 | 10.2 | 12.6 | 14.7 | 13.7 | 13.7 |
| च) अन्य | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 4.0 |
| **कुल (i से iv) सभी ऋणों के प्रतिशत के रूप में** | **28.4** | **37.7** | **56.1** | **58.9** | **69.2** | **76.9** | **75.8** | **66.9** |

* लघु ऋणों (2 लाख तक के ऋण) और निर्यात ऋण को छोड़ कर

प्रतिशत रह गया (अनुबंध 4)। निजी क्षेत्र के बैंकों का उप-बीपीएलआर उधार मार्च 2007 के 91 प्रतिशत के उच्च स्तर से नरम हो कर मार्च 2009 में 84 प्रतिशत हो गया (अनुबंध 5)। इसी प्रकार, विदेशी बैंकों का उप-बीपीएलआर उधार, जिसने जून 2008 में 81 प्रतिशत के उच्च स्तर को प्राप्त किया था, मार्च 2009 में घट कर 68 प्रतिशत हो गया (अनुबंध 6)।

2.26 भिन्न-भिन्न स्तर पर उप-बीपीएलआर उधार का प्रमुख हिस्सा दीर्घावधि ऋणों (3 वर्ष से अधिक) का था, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के संबंध में उप-बीपीएलआर ऋणों का प्रमुख हिस्सा उपभोक्ता ऋण के रूप में था। कार्यदल ने उप-बीपीएलआर ऋणों में तेज बढ़ोतरी के लिए संभावित कारणों के ऊपर विचार-विमर्श किया। दल ने यह माना कि अस्थायी रूप से अधिक चलनिधि उपलब्ध होने पर यह हो सकता है कि बीपीएलआर से कम दरों पर अल्पावधि उधार दिया जाये। तथापि, उच्चतर टेनोर वाले ऐसे उप-बीपीएलआर ऋणों के बड़े हिस्से से प्रकट होता है कि उप-बीपीएलआर उधार की प्रथा के अभाव में बैंकों के बीपीएलआर उनके वर्तमान स्तर की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम होते।

*पारदर्शिता का अभाव*

2.27 बैंक उधार में पारदर्शिता से बैंक की उधार देने की प्रथा में युक्तियुक्त सूचना का प्रकटीकरण होना समझा जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता शर्तों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। इससे पहले कि कोई उधारकर्ता करारनामे पर हस्ताक्षर करे, ऋण के कीमत-निर्धारण और उधारकर्ताओं से ली जाने वाली संभावित फीस के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना का प्रकटीकरण करते हुए उच्च स्तर की पारदर्शिता प्राप्त की जा सकती है। पारदर्शिता का यह भी निहितार्थ होता है कि बैंक छिपी हुई अतिरिक्त लागत और अनपेक्षित दर बढ़ोतरी का आश्रय लेते हुए, जिसकी जानकारी उधारकर्ता को पहले से नहीं दी जाये, अनुत्तरदायी रूप से उधार देने के कार्य में लिप्त नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करार किये जाने के आरंभ में ही उधारकर्ता को सभी प्रभारों और दर बढ़ोतरी की संभावनाओं के बारे में बता दिया जाये। एक बेंचमार्क दर का अस्तित्व, जिसके साथ विविध प्रकार के ऋण बँधे होते हैं, ऋण कीमत-निर्धारण में पारदर्शिता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण घटक होता है।

2.28 बैंकिंग प्रणाली द्वारा बड़े अनुपात में दिये जाने वाले उप-बीपीएलआर उधार को देखते हुए बैंकों द्वारा बीपीएलआर की गणना किये जाने में पारदर्शिता के पहलू के संबंध में चिंता प्रकट की जाती रही है। परिभाषा के अनुसार, बीपीएलआर के घटकों में शामिल होते हैं, बाजार से खरीदी गयी जमाराशियाँ और उधार ली गयी निधियाँ, दोनों की लागत, बैंक द्वारा किया गया परिचालन व्यय, जिसमें नियत और परिवर्ती लागत शामिल है, न्यूनतम मार्जिन, जिसमें प्रावधानन/पूँजीगत प्रभार और लाभ मार्जिन शामिल हो, जिसकी युक्तियुक्तता स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

**सारणी 4 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का उप-बीपीएलआर उधार***
(संबंधित ऋण प्रकार में प्रतिशत हिस्सा)

| ऋण का प्रकार | मार्च 2002 | मार्च 2003 | सितंबर 2004 | मार्च 2005 | मार्च 2006 | मार्च 2007 | मार्च 2008 | मार्च 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **i) नकदी ऋण** | **17.6** | **23.6** | **37.8** | **36.1** | **51.1** | **59.7** | **63.1** | **50.8** |
| **ii) उपभोक्ता ऋण** | **33.4** | **50.0** | **75.9** | **77.0** | **74.4** | **80.2** | **73.9** | **58.6** |
| **iii) माँग ऋण** (बिल भुनाई सहित) | **43.5** | **50.0** | **65.5** | **68.2** | **73.0** | **78.9** | **85.4** | **74.1** |
| **iv) मीयादी ऋण** | | | | | | | | |
| क) 180 दिनों तक | 70.2 | 76.6 | 76.7 | 90.2 | 93.1 | 88.8 | 91.1 | 75.5 |
| ख) 180 दिन-1वर्ष | 48.5 | 59.0 | 82.9 | 85.1 | 88.1 | 90.2 | 85.0 | 70.6 |
| ग) 1-3 वर्ष | 28.8 | 40.5 | 49.0 | 64.6 | 77.8 | 83.1 | 79.9 | 71.5 |
| घ) 3-5 वर्ष | 13.5 | 29.7 | 56.5 | 57.0 | 70.8 | 79.4 | 77.3 | 69.1 |
| ङ) 5 वर्ष से अधिक | 26.2 | 36.7 | 61.4 | 61.3 | 74.7 | 86.2 | 76.1 | 78.7 |
| च) अन्य | 41.4 | 47.7 | 57.9 | 55.0 | 69.6 | 77.6 | 80.1 | 75.7 |
| **कुल उप-बीपीएलआर ऋण (i से iv) सभी ऋणों के प्रतिशत के रूप में** | **28.4** | **37.7** | **56.1** | **58.9** | **69.1** | **76.9** | **75.8** | **66.9** |

* लघु ऋणों (2 लाख तक के ऋण) और निर्यात ऋण को छोड़ कर

2.29 रिज़र्व बैंक को ऋणों पर उधार दरों को और अस्थिर दर वाले उत्पादों के कीमत-निर्धारण के लिए बेंचमार्क दरों को पुनर्निर्धारित करने में मनमानी किये जाने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनेक बैंक बेंचमार्कों के संदर्भ में ऐसी उधार दरें प्रभारित करते हैं, जो आंतरिक और अपारदर्शी होती हैं। इसके अतिरिक्त, ऋण प्रसंविदाओं में ब्याज दरों को सशर्त पुनर्निर्धारित करने के प्रावधान ञ्अपरिहार्य घटनाट के रूप में रखे जाते हैं, जिसके द्वारा उधारकर्ता के लिए संविदा की शर्तों को अपारदर्शी बना दिया जाता है। इस प्रथा ने उधारों को निर्धारित करने में अपारदर्शिता को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि पुनः कीमत-निर्धारण सामान्यतः मनमाने रूप में किया जाता है और वह सार्वजनिक रूप से ज्ञात पारदर्शी बेंचमार्क के संदर्भ में नहीं होता है।

*बीपीएलआर की अधोमुखी निश्चलता*

2.30 अन्य मुद्दा, जो अक्सर उठाया जाता है, वह है बीपीएलआर की विषम अधोमुखी निश्चलता। यह न केवल साम्य का एक मुद्दा उठाता है, बल्कि ऋण बाजारों में मौद्रिक नीति के घटिया संचरण में भी फलीभूत होता है। उदाहरण के लिए, मौद्रिक नीति को कठोर बनाये जाने के चरण के दौरान (मार्च 2004 से सितंबर 2008 तक), यह देखा गया कि ब्याज दर चक्र में वृद्धि होने के दौरान, जबकि बैंक अक्सर अपनी उधार दरों को जल्दी से बढ़ा देते थे, वे ब्याज दर चक्र में गिरावट होने पर अपनी उधार दरों में कमी करने में देरी करते थे (सारणी 5)।

2.31 अधोमुखी निश्चलता का एक प्रमुख कारण है अतीत में उच्च दरों पर ली गयी जमाराशियों का बड़ा हिस्सा। निधियों की सीमांतिक लागत बैंकों के लिए चालू ऋणों/अग्रिमों का कीमत-निर्धारण करने के लिए अधिक प्रासंगिक होती हैं, बजाय औसत लागत के, जिसकी गणना सभी बकाया खरीदी गयी और उधार ली गयी देयताओं की लागत के आधार पर की जाती है, जो तुलनपत्र में प्रतिबिंबित होती है। तथापि, सीमांतिक लागत पर आधारित ऋण के कीमत-निर्धारण में जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के साथ विषम संविदागत संबंधों द्वारा अड़चन डाली जाती है। इस प्रकार, जबकि ब्याज दरों में कमी होने से उधारकर्ताओं द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी या अदला-बदली की जा सकती है, जमा-संविदाओं के नियत स्वरूप का निहितार्थ यह होता है कि ब्याज दरों में कमी होने के बावजूद बैंक उच्चतर ब्याज दरों का भुगतान करना जारी रखेंगे। इससे मौद्रिक नीति प्रोत्साहनों के कारगर संचरण में भी अड़चन होती है।

2.32 इसके अतिरिक्त, जैसाकि वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, बीपीएलआर में अधोमुखी निश्चलता का कारण अनेक अन्य कारक भी हो सकते हैं, यथा, (i) लघु बचत के संबंध में नियंत्रित ब्याज दर संरचना, जो जमा दरों में कमी किये जाने में बाधक होती है; (ii) कुछ क्षेत्रों के लिए बीपीएलआर से जुड़ी रियायती उधार दरें, जो समग्र उधार दरों को कम लचीला बनाती हैं; और (iii) सरकार के बड़े बाजार उधार कार्यक्रमों को जारी रखा जाना, जो ब्याज दर प्रत्याशाओं को बढ़ा देते हैं। चूँकि चलनिधि प्रचुर होती है, अतः उधार दरों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ जाता है।

*उधार में प्रति-सहायता*

2.33 बैंकों द्वारा निधि आधारित कारोबार पर किये गये औसत खर्च पर आधारित बीपीएलआर प्रणाली वास्तव में बैंकों के लिए लाभ-अलाभ लागत को प्रतिबिंबित करती है और सामान्य अर्थ में ''मूल उधार'' का द्योतक नहीं होती है, जिस पर बैंक अपने उच्च श्रेणी-निर्धारित/सर्वाधिक ऋण-पात्र उधारकर्ताओं का समावेश करते हैं। तथापि, जैसाकि अन्य बाजारों में होता है, जोखिम-प्रतिलाभ बोध पर आधारित भिन्न-भिन्न उधारकर्ताओं के लिए विभेदक कीमत-निर्धारण ग्राहक-संबंध के आधार पर जारी रहता है। एक उच्च श्रेणी-निर्धारित उधारकर्ता को चालू समग्र लागत वाले बीपीएलआर से

**सारणी 5 : मौद्रिक नीति लिखतों और बीपीएलआर में उतार-चढ़ाव**

(आधार अंकों में परिवर्तन)

| चरण | सीआरआर | रेपो दर | रिवर्स रेपो दर | बेंचमार्क मूल उधार दर | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | निजी बैंक | विदेशी बैंक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मौद्रिक कठोरता चरण (मार्च 2004 - सितंबर 2008) | 450 | 300 | 150 | 325 – 350 | 225 – 375 | 100 – (-)150 |
| मौद्रिक सहजता चरण (सितंबर 2008 - मई 2009) | (-) 400 | (-) 425 | (-)275 | (-)150 – (-)275 | (-)100 – (-) 125 | (-)50 – (-)100 |

**सारणी 6 : एससीबी की ब्याज दर सीमा और बकाया ऋण - मार्च 2008** *
(प्रत्येक खंड में कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)

| ब्याज दर सीमा | कृषि | उद्योग | वैयक्तिक ऋण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण | आवास के लिए ऋण | शेष वैयक्तिक ऋण | कुल ऋण एवं अग्रिम |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10% तक ऋण | 18.1 | 5.0 | 0.0 | 30.6 | 7.4 | 9.5 |
| 10% से 12% | 26.0 | 32.0 | 0.6 | 48.9 | 9.4 | 30.5 |
| 12% से 14% | 41.4 | 32.5 | 9.3 | 17.7 | 27.4 | 32.4 |
| 14% से 18% | 14.2 | 30.5 | 45.7 | 2.8 | 48.7 | 26.9 |
| 18% से अधिक | 0.2 | 0.1 | 44.4 | 0.0 | 7.1 | 0.7 |
| **कुल** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

* आँकड़े उन खातों से संबंधित हैं, जिनकी ऋण सीमा 2 लाख रुपये से अधिक है।

**स्रोत :** भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, मार्च 2008.

नीचे दिया गया ऋण अल्प जोखिम और संसाधन एवं निगरानी खर्च में बचत होने के कारण कम दर पर दिया जा सकता है। हालाँकि यह कुछ हद तक उचित हो सकता है, फिर भी बड़े पैमाने पर इस प्रकार का ऋण दिये जाने से यह बोध होता है कि बड़े उधारकर्ताओं को फुटकर एवं लघु उधारकर्ताओं द्वारा प्रति-सहायता दी जा रही है।

2.34 अंत-मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध नवीनतम जानकारी (बीएसआर आँकड़ों पर आधारित)से यह पता चलता है कि अलग-अलग उधारकर्ताओं को दिये गये ऋण (आवासीय प्रयोजन से भिन्न) सामान्यतः उच्च ब्याज दर सीमा में होते हैं (14 प्रतिशत और उससे अधिक)।

# 3. ऋण कीमत-निर्धारण प्रणाली : मुद्दे और विकल्प

3.1 युक्तियुक्त ऋण कीमत-निर्धारण प्रणाली के मुद्दे पर अपने विचारों को दृढ़ करने के पूर्व कार्यदल ने विविध पणधारियों से परामर्श किया। कार्यदल ने उद्योग और व्यापार संघों के साथ, जिनमें एसएमई और निर्यातकों के संघ शामिल थे, 13 जुलाई 2009 को एक बैठक आयोजित की, ताकि ऋण-कीमत-निर्धारण प्रणाली के संबंध में उनके विचारों/सुझावों की जानकारी हो सके। इस बैठक में भाग लेने वाले संघों/निकायों की सूची अनुबंध 8 में दी गयी है। कार्यदल ने 19 जून 2009 को जारी की गयी प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आम जनता के अभिमत भी माँगे। उन सभी व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम, जिन्होंने लिखित रूप में अपने सुझाव कार्यदल को भेजे, अनुबंध 9 में दिये गये हैं।

**उद्योग/व्यापार संघों से प्राप्त सुझाव**

3.2 विविध उद्योग/व्यापार संघों का सामान्यतः यह विचार था कि वर्तमान बीपीएलआर प्रणाली का कोई संबंध बाजार दरों के साथ नहीं है और एक प्रणाली-व्यापी जोखिम मुक्त संदर्भ दर का अभाव है। एक सुझाव दिया गया कि ऐसी एक पारदर्शी प्रणाली-व्यापी जोखिम मुक्त संदर्भ दर प्राप्त करने के लिए 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर आय को बेंचमार्क दर के रूप में माना जाये, जिस पर जोखिम प्रीमियम को आगे भारित किया जाये, ताकि उधार दर पर पहुँचा जा सके। ऐसे किसी पारदर्शी बेंचमार्क को बड़ी कंपनियों और छोटे उधारकर्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया। ऐसे सुझाव भी दिये गये कि एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बाजार आधारित बेंचमार्क, यथा, जमा प्रमाणपत्र दरों या वाणिज्यिक पत्र दरों का प्रयोग किया जाये, यदि सरकारी बांड इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं हों। अतः यह सुझाव दिया गया कि बाजार बेंचमार्क या विश्वसनीय मीयादी मुद्रा बाजार दर का होना आवश्यक है, ताकि दीर्घावधि ऋण बाजार को प्रोत्साहन दिया जा सके। ऐसे सुझाव भी दिये गये कि बीपीएलआर को रेपो दर से जोड़ा जाये, ताकि उधार दरों को बदलते बाजार की स्थितियों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाया जा सके।

3.3 ऋण-कीमत-निर्धारण में वृहत्तर पारदर्शिता लाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि एक मूल दर निर्मित किया जाये, जिसमें निधियों की लागत और परिचालन खर्च शामिल हो। ऋण पर अंतिम उधार दर इस मूल दर से प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए मूल दर के ऊपर ऋण जोखिम प्रीमियम को जोड़ा जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में, बहुविध बीपीएलआर का भी पता किया जाना चाहिए, जब तक वे एक पारदर्शी मूल दर पर आधारित हों। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता बढ़ाये जाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि बाजार चालित खंड से नियंत्रित दरों पर अनिवार्य उधार दिये जाने को अलग या असंबद्ध किया जाये, ताकि रियायती उधार का भार अन्य गैर रियायती ऋणों पर नहीं पड़े। उप-बीपीएलआर उधार की समस्या पर विजय प्राप्त करने के साधन के रूप में विनियमित और गैर-विनियमित ऋणों को असंबद्ध करने का सुझाव भी दिया गया। बैंक उधार के प्रति 2-टीयर वाला दृष्टिकोण अपनाये जाने के लिए भी सुझाव प्राप्त हुए। पहले टीयर में उधार दरों को खंडवार निर्धारित किया जाये और बाद में प्रत्येक क्षेत्र के भीतर उधार दरों का निर्धारण उधारकर्ताओं के ऋण-पात्रता निर्धारण के आधार पर किया जाये।

3.4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश ऋण बीपीएलआर से कम दरों पर दिये जाते हैं और कि बीपीएलआर ने मूल दर के रूप में अपनी प्रासंगिकता खो दी है, यह सुझाव दिया गया कि इसे उस न्यूनतम दर के रूप में पुनः परिभाषित किया जाये, जिस पर कोई बैंक उधारकर्ता को उधार देगा। पुनः, चूँकि बीपीएलआर में इस समय टेनोर का उल्लेख नहीं किया जाता, यह सुझाव दिया गया कि बीपीएलआर को 6 माह के ऋण के लिए किसी बैंक के आंतरिक बेंचमार्क के रूप में पुनः परिभाषित किया जाये।

3.5 बीपीएलआर को वास्तविक उधार दरों के अधिक अनुकूल बनाने के लिए, जो बाजार में प्रचलित हों, यह सुझाव दिया गया कि बीपीएलआर शीर्षस्थ 15 ग्राहकों के लिए औसत उधार दर पर आधारित हो। शीर्षस्थ 15 ग्राहकों का चयन ब्याज दरों के आधार पर (अर्थात्, जो बैंकों से न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करते हैं) किया जा सकता है। यह बताया गया कि ऐसी किसी प्रणाली के अंतर्गत बैंकों को अपनी लागत संरचना को प्रकट नहीं करना होगा। पुनः इस बात का ध्यान रखने के लिए कि 'सीमांतिक कीमत-निर्धारण' और 'औसत कीमत-निर्धारण' के बीच कौन अधिक प्रासंगिक है, यह सुझाव दिया गया कि उक्त बीपीएलआर की गणना तिमाही के दौरान (या किसी अन्य अंतराल पर) दिये गये ऋणों

के लिए तथा ऋणों के कुल बकाया स्टॉक के औसत पर की जानी चाहिए।

**व्यक्तियों/संघों से प्राप्त लिखित सुझाव**

3.6 निम्नलिखित प्रमुख सुझाव लिखित रूप में व्यक्तियों/संघों से प्राप्त हुए :

i) वर्तमान बीपीएलआर प्रणाली में सुधार करने के लिए यह बताया गया कि एक पहलू, जिसकी जाँच किया जाना आवश्यक है, यह है कि किस प्रकार बीपीएलआर पारदर्शिता के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने तथा केंद्रीय बैंक के ब्याज दर संकेतों का संप्रेषण करने में एक तंत्र के रूप में और पीएलआर के विशेष मामले के रूप में पीएलआर (अर्थात्, उत्तम या एएए श्रेणी-निर्धारित उधारकर्ताओं पर लागू दर) की सार्वभौम अवधारणा से श्रेष्ठ है।

ii) पीएसयू बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दर को उनके द्वारा प्रस्तावित उच्चतम मीयादी जमा दरों से संबद्ध किया जाये। पुनः, बीपीएलआर को संबंधित बैंक की उच्चतम मीयादी जमा दर के अधिक से अधिक 2 प्रतिशत ऊँची दर पर निर्धारित किया जाना चाहिए। बीपीएलआर निर्धारित करने का यह सिद्धांत दोनों कोटियों के बैंकों - सरकारी और निजी- पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। बीपीएलआर शीर्ष श्रेणी-निर्धारित ग्राहकों के लिए प्रभारित किया जाये। शीर्ष श्रेणी-निर्धारित से भिन्न उधारकर्ताओं से तब कुछ अतिरिक्त आधार अंक प्रभारित किया जायेगा, जो उनकी ऋण पात्रता पर निर्भर करेगा।

iii) पुनः, एक बहुविध बीपीएलआर की प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात्, थोक, एसएमई और फुटकर अग्रिमों के लिए अलग-अलग बीपीएलआर।

iv) इस बात पर विचार करते हुए कि अधिकांश देयताएँ नियत ब्याज दर आधार वाली होती हैं, यह उधार दरों में निश्चलता का सृजन करती है। अतः यह सुझाव दिया गया कि जमाराशियाँ भी अस्थिर दर आधार पर होनी चाहिए। यह बैंकों को अपनी ब्याज दर जोखिम का अधिक कारगर ढंग से प्रबंध करने में मददगार होगा।

v) एक सांकेतिक बेंचमार्क विकसित किया जाये, ताकि बीपीएलआर को रेपो या मिबोर के साथ जोड़ा जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि बैंकों की उधार दरों को निर्धारित न्यूनतम उधार दर और अधिकतम उधार दर के भीतर रखा जाये।

vi) बीपीएलआर पर पहुँचने की वर्तमान पद्धति, जिसमें निधियों की लागत, परिचालन खर्च, प्रावधानन लागत और प्रत्याशित लाभ मार्जिन शामिल होते हैं, को जारी रखा जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ संशोधनों को समाविष्ट करना आवश्यक है। चूँकि कंपनियों को दिये गये उच्च मूल्य वाले अल्पावधि ऋण बैंक के पास अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता के आधार पर मूल रूप से कोषागार कार्यों पर आश्रित होते हैं, अतः इन एक्सपोजरों के कीमत-निर्धारण को बीपीएलआर के साथ नहीं जोड़ा जाये। पुनः, ऐसे उधार की गिनती बैंक के उप-बीपीएलआर उधार की प्रमात्रा की गणना करने के लिए नहीं की जानी चाहिए। ऐसे उधार में पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रकार के अल्पावधि एक्सपोजरों के कीमत-निर्धारण को, प्रत्याशित मार्जिन की लोडिंग के सहित, अल्पावधि कोषागार दरों, यथा, तत्समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूति दरों के साथ जोड़ा जाये।

vii) नियंत्रित ब्याज दरों सहित ऋण सुविधाएँ और उन मामलों को, जिनमें कन्सॉर्टियम उधार शामिल हो, सभी बैंकों में ब्याज दरों से मिलान करने की आवश्यकता के कारण उप-बीपीएलआर एक्सपोजर के लिए नहीं गिना जाना चाहिए। उप-बीपीएलआर उधार कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

**अंतरराष्ट्रीय अनुभव**

3.7 चुने हुए देशों में मूल उधार दर का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि अधिकांश देशों, यथा, जापान, रूस, हांगकांग, सिंगापुर और ताईवान, में पीएलआर का निर्धारण करने के लिए लागत और नियत लाभ वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ब्राजील, पोलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मामले में पीएलआर अंतर-बैंक बाजार या एक दिवसीय मुद्रा बाजारों की दर पर आधारित होता है (अनुबंध 10)। अमेरिका के मामले में इसे मोटे तौर पर फेड फंड्स दर के ऊपर बीपीएलआर स्प्रेड के रूप में निर्धारित किया जाता है। पीएलआर के लिए भले ही कोई प्रणाली अपनायी जाये, सर्वेक्षण किये गये लगभग सभी देशों में पीएलआर की प्रवृत्ति विविध बैंकों के बीच न्यूनाधिक समान रही है और उनका केंद्रीय बैंक की नीति दरों के साथ संयत या उच्च सहसंबंध रहा है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण किये गये लगभग सभी देशों में जमाराशि की लागत की तुलना में पीएलआर की उच्च मूल्य सापेक्षता थी। ब्राजील और पोलैंड के मामले में, जहाँ एक दिवसीय अंतर बैंक दरों, क्रमशः सीडीआइ (ब्राजील की एक दिवसीय अंतर बैंक उधार दर) और वॉरसा अंतर बैंक उधार दर (विबोर), को पीएलआर के रूप में लिया गया था, वहाँ एक बहुविध पीएलआर की प्रणाली भी प्रचलित थी। इन देशों में, उधारकर्ताओं के भिन्न-भिन्न खंडों/समूहों के लिए बहुविध पीएलआर का निर्धारण पीएलआर के ऊपर स्प्रेड के रूप में किया जाता था। ब्राजील में, जबकि बैंक एक दिवसीय उधार 100 प्रतिशत सीडीआइ पर ले सकते हैं, स्थानीय कंपनी इसे 140 प्रतिशत सीडीआइ पर ही प्राप्त कर सकती है। पोलैंड में, जबकि विबोर एक नियत अंतर-बैंक दर होती है, विभिन्न खंडों के लिए स्प्रेड बदलता रहता है। जापान और हांगकांग को छोड़ कर, सर्वेक्षण किये गये देशों के पीएलआर टेनोर विहीन थे। जहाँ तक उप-बीपीएलआर उधार का संबंध है, जबकि ब्राजील, रूस और ताईवान में मुश्किल से कोई उप-बीपीएलआर उधार दिया जाता है, अमेरिका में महत्वपूर्ण उप-पीएलआर उधार दिया जाता है और कुछ कम सीमा तक हांगकांग, मलयेशिया, पोलैंड, जापान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में दिया जाता है। हांगकांग में उप-पीएलआर उधार मुख्यतः पीएलआर के ऊपर अधिदिष्ट न्यून उधार दरों के कारण आवासीय बंधकों के लिए दिया जाता था। सर्वेक्षण किये गये अन्य देशों में उप-पीएलआर मुख्यतः प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के कारण होता था। ताईवान और मलयेशिया को छोड़ कर, जहाँ पीएलआर से जुड़ा उधार कुल उधार के 50 से 75 प्रतिशत तक के लिए जिम्मेवार था, सर्वेक्षण किये गये देशों में पीएलआर से जुड़ा बैंक उधार लगभग 10 से 25 प्रतिशत था। दक्षिण अफ्रीका में व्यक्तियों को दिया गया लगभग समस्त उधार पीएलआर से जुड़ा था। कंपनी क्षेत्र को दिया गया उधार अस्थिर, अर्थात्, जोहान्सबर्ग अंतर-बैंक तयशुदा दर (जेआइबीएआर) या पीएलआर, से जुड़ा था।

**प्राप्त सुझावों के संबंध में दल के विचार**

3.8 13 जुलाई 2009 को हुई बैठक में दल ने उद्योगों/व्यापार संघों से प्राप्त विविध सुझावों तथा अन्य संघों/व्यक्तियों से प्राप्त लिखित सुझावों की सावधानीपूर्वक जाँच की। प्राप्त सुझावों के संबंध में दल के विचार नीचे दिये गये हैं :

3.9 दल के विचार में बेंचमार्क/संदर्भ दर को रेपो दर या सरकारी प्रतिभूति की आय से जोड़ना युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि वे बैंकों की निधियों की लागत को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिसका निर्धारण अधिकतर जमाराशियों की लागत द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे बैंकों के लिए निधीयन के मुख्य स्रोत होते हैं। भारत में बाजार ब्याज दरों और जमा-दरों के बीच असंबद्धता मुख्यतः इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि बैंक अधिकर फुटकर जमाराशियों के ऊपर भरोसा करते हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत स्थिति है, जहाँ बैंक निधीयन के लिए थोक बाजारों से संपर्क कर सकते हैं। जमाराशियों की नियत अवधि उधार दरों में समायोजन को निधियों की लागत में कठोरता के कारण कठिन बना देती है। इसी प्रकार यह युक्तियुक्त नहीं होगा कि संदर्भ दर को सीपी दरों से जोड़ा जाये, क्योंकि सीपी मुख्यतः एएए कंपनियों द्वारा जारी किये जाते हैं और अल्प परिपक्वता अवधि वाले होते हैं। सीपी दर में जोखिम प्रीमियम शामिल होता है और वह जोखिम मुक्त संदर्भ दर के समान नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, सीपी बाजार का परिमाण छोटा होता है, खाद्येतर बैंक ऋण का लगभग 3.0 प्रतिशत। इसी प्रकार सीडी दर बैंकों की लागत संरचना का द्योतक नहीं हो सकती, क्योंकि यह समग्र जमाराशियों के 5.6 प्रतिशत पर एक छोटे हिस्से का गठन करती है। यह भी, कि ऐसी लिखतों का उपयोग अर्थव्यवस्था के केवल विनिर्दिष्ट खंडों द्वारा किया जाता है। अतएव, इन लिखतों

में उल्लिखित ब्याज दरें बैंकों के समस्त ऋण संविभाग के कीमत-निर्धारण के लिए आदर्श बेंचमार्क नहीं हो सकती हैं। पुनः, यद्यपि यह सुझाव कि अल्पावधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों की आय को स्वीकार्य नहीं पाया गया, दल ने कुछ ऐसी स्थितियों को मान्यता दी, जब बैंकों को यह अनुमति देना वांछनीय हो सकता है कि वे अपनी निधियों की लागत से नीचे उधार दें, क्योंकि अन्यथा उन्हें अपनी निधियाँ रिज़र्व बैंक के पास इससे भी कम दरों पर रखनी पड़ सकती हैं। तथापि, ऐसा उधार मार्जिन पर दिया जाता है और सामान्य रूप से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसाकि इस समय मामला है।

3.10 जहाँ तक कुछ प्रतिनिधि बैंकों की निधियों की औसत लागत और परिचालन खर्च के आधार पर एक संदर्भ दर निर्मित करने के सुझाव का संबंध है, दल का यह विचार है कि औसत निधि-लागत पर आधारित उधार दरें उन्हें पश्चगामी और इसलिए निश्चल बना देंगी। निस्संदेह उन्हें इसमें परिचालन खर्च को शामिल करने की आवश्यकता होगी। तथापि, ऐसा करते समय, फुटकर उधारकर्ताओं के लिए परिचालन खर्च और थोक उधारकर्ताओं के लिए परिचालन खर्च के बीच जो भिन्नता मौजूद होती है, उस पर ध्यान दिया जाना होगा। दल इस विचार के पक्ष में नहीं था कि कुछ प्रतिनिधि बैंकों की लागत संरचना के आधार पर उधार दरों को निर्धारित किया जाये। उधार दरों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक अलग-अलग बैंक की लागत संरचना पर आधारित होना है। विनियमित और अविनियमित खंडों को अलग किये जाने से संबंधित सुझाव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विनियमित उधार का परिमाण खास कर छोटा होता है। दोनों खंडों का अलगाव उधारकर्ताओं के बीच प्रति-सहायता के मुद्दे के संबंध में स्थिति को धुँधला कर दे सकता है। तथापि, दल ने यह महसूस किया कि नियंत्रित ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे समग्र उधार दरों को अधोमुखी निश्चलता दे रहे हैं।

3.11 दल ने इस सुझाव पर विचार किया कि बीपीएलआर की पुनः परिभाषा न्यूनतम उधार दर/मूल दर के रूप में की जाये। तथापि, इस सुझाव को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि बैंक इस समय अपने ऋणों का बड़ा हिस्सा उप-बीपीएलआर दरों पर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक बैंक की भारित औसत दर इसके प्रचलित बीपीएलआरकी तुलना में कम होती है। वर्तमान बीपीएलआर को न्यूनतम उधार दर के रूप में फिर से परिभाषित करने का अर्थ होगा उच्चतर ब्याज दरों को स्वीकार करना, जो अन्यथा ऊँची नहीं होतीं। बीपीएलआर को बैंकं द्वारा दिये गये 6 महीने के ऋण की दर के रूप में परिभाषित करना भी इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया कि यह विशिष्ट कार्यशील पूँजी ऋण चक्र का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, जो कम से कम एक वर्ष तक बना रहता है।

3.12 दल ने बीपीएलआर का, जैसा यह वर्तमान प्रणाली में है, शीर्षस्थ श्रेणी-निर्धारित ग्राहकों से जोड़े जाने का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ऐसी उधार दरें शीर्ष श्रेणी-निर्धारित उधारकर्ताओं की जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेंगी और उन्हें उधारकर्ताओं की अन्य सभी कोटियों के लिए सामान्य नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एएए बड़े टिकट ऋणों से संबंधित प्रतिफल ऐसे उधार के संबंध में कालक्रम में मिलने वाले प्रतिलाभ और लागत के बैंक के अपने मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। दल ने यह महसूस किया कि निधियों की लागत की गणना करने के लिए एक समरूप कार्यप्रणाली की आवश्यकता है।

3.13 बीपीएलआर को मीयादी जमा दरों से जोड़े जाने से संबंधित सुझाव पर दल ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। यह महसूस किया गया कि उधार दर को जमा उत्पाद के युक्तियुक्त टेनोर सहित ब्याज दर से जोड़ना वास्तव में उधार दरों के निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा। दल ने उधार दरों के निर्धारण के लिए बीपीएलआर के चतुर्दिक कोई पट्टी रखने के सुझाव का समर्थन नहीं किया, क्योंकि यह बैंकों को जोखिम विमुख बनाते हुए ऋण-प्रवाह को कम कर देगा।

## कार्यदल के विचार और सिफारिशें

3.14 उधार ब्याज दरों का उधारकर्ताओं के लिए युक्तियुक्त होना आवश्यक है, जो उनकी जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करें और इसके साथ ही उन्हें बैंकों के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, जिसके द्वारा वे लाभ में रहने के लिए उचित जोखिम समायोजित प्रतिलाभ अर्जित करेंगे। उधार ब्याज दरों को केंद्रीय बैंक की नीति दरों में परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाशील भी होना चाहिए। तभी केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति संबंधी कार्यों के माध्यम से वांछित उद्देश्य को प्राप्त कर पायेगा। ऐसी किसी दर के लिए आदर्श बेंचमार्क किसी मुद्रा बाजार दर को होना चाहिए, जिसके साथ बैंकों की देयताएँ और आस्तियाँ, दोनों ही निकट से जुड़ी होती हैं और

बदले में मुद्रा बाजार दर को केंद्रीय बैंक की नीति दरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यद्यपि भारत में अंतर-बैंक मुद्रा बाजार दर रिज़र्व बैंक की नीति दर के प्रति संवेदनशील है, फिर भी बैंकों की समग्र देयताएँ और आस्तियाँ ऐसी किसी दर से आबद्ध नहीं होती हैं। अतः यह युक्तियुक्त नहीं होगा कि ऋण-उत्पादों का कीमत-निर्धारण मुद्रा बाजार दर के संदर्भ में किया जाये।

3.15 दल का विचार है कि वर्तमान बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के अपने मूल अभिप्राय को प्राप्त करने में उम्मीद से कम सफल रही है। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान प्रणाली में बीपीएलआर बाजार स्थितियों के समकालिक नहीं रहा है और मौद्रिक नीति में परिवर्तनों के प्रति इसने पर्याप्त अनुक्रिया नहीं दिखाई है। कार्यदल की राय यह थी कि जब तक प्रणाली में संशोधन नहीं किया जाये और/या इसे किसी अन्य प्रणाली से नहीं बदला जाये, तब तक बाजार में बड़े पैमाने पर उप-बीपीएलआर दरों पर उधार दिये जाने की प्रवृत्ति पारदर्शिता के संबंध में चिंता को बढ़ाती रहेगी। कार्यदल ने यह भी नोट किया कि प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के चलते बैंक अपने संविभाग का एक हिस्सा उन दरों पर उधार दे रहे थे, जिसका कोई अधिक वाणिज्यिक अर्थ नहीं होता था।

3.16 उधार दरों की कठोरता के संबंध में कार्यदल ने महसूस किया कि देयता पक्ष में लागत का नियत स्वरूप उधार दरों में निश्चलता का मुख्य कारण था। जब तक देयताओं की लागत नीति दरों के बराबर संचलन नहीं करती, तब तक बैंकों के लिए यह संभव नहीं होगा कि वे रिज़र्व बैंक की बदलती नीति दरों के अनुरूप अपने ऋणों का कीमत-निर्धारण कर सकें। सामान्यतः, दल ने यह महसूस किया कि जमाकर्ताओं की तरजीह को देखते हुए बैंकों की वर्तमान नियत दर वाली देयता-संरचना का तत्काल कोई विकल्प नहीं है। इसका निहितार्थ यह है कि उधार दरों में अधोगामी निश्चलता बनी हुई है, जो बैंक की देयता संरचना में परिपक्वता संरचना को प्रतिबिंबित करती है। दल ने यह नोट किया कि अस्थिर दर वाली जमाराशियों का प्रस्ताव देने के लिए बैंकों पर कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं है। अतः, बैंकों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वे अस्थिर ब्याज दर पर जमा-संविदाओं को प्रोत्साहित करें। तथापि, चूँकि ऐसी किसी संरचना का उद्भव कालक्रम में ही हो सकता है, अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान ऋण-कीमत-निर्धारण में युक्तियुक्त परिवर्तन लाया जाये, ताकि यह अधिक पारदर्शी और रिज़र्व बैंक की नीति दरों के प्रति अनुक्रियाशील बने।

**सारणी 7 : चालू, बचत और मीयादी जमाराशियों का वितरण - मार्च 2008**

(प्रतिशत)

| बैंक समूह | चालू | बचत | मीयादी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 13.1 | 26.0 | 60.9 | 100 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 14.9 | 18.7 | 66.4 | 100 |
| विदेशी बैंक | 26.4 | 14.9 | 58.8 | 100 |
| **एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ कर)** | **14.2** | **23.9** | **61.9** | **100** |

**स्रोत :** भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, मार्च 2008

3.17 प्रणाली में कुछ संरचनात्मक कठोरता को देखते हुए, ऐसी कोई प्रणाली देना संभव नहीं होगा, जो उधारकर्ताओं और बैंकों, दोनों के लिए परिपूर्ण हो। तथापि, इसके साथ ही ऋणों के कीमत-निर्धारण की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता और गुंजाइश, दोनों है।

3.18 वर्तमान प्रणाली में संशोधन करने या नयी प्रणाली की डिजाइन बनाने में भारत में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं की संरचना को ध्यान में रखना आवश्यक है। आस्तियों के निधीयन में जमाराशियाँ प्रमुख स्रोत बनती हैं, जैसाकि कुल आस्तियों में जमाराशियों के अनुपात से प्रतिबिंबित होता है (सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार लगभग 78 प्रतिशत)। स्वामित्व पैटर्न अधिकतर नियत अवधि वाली फुटकर घरेलू जमाराशियों के पक्ष में संकेंद्रित होता है, जो कुल जमाराशियों के 58.1 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार था (सारणी 7 और 8)।

**सारणी 8 : बैंक जमाराशियों का स्वामित्व पैटर्न (31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार)**

(प्रतिशत)

| क्षेत्र | चालू खाता | बचत जमाराशियाँ | मीयादी जमाराशियाँ | कुल जमाराशियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सरकारी क्षेत्र | 14.8 | 8.0 | 15.3 | 13.5 |
| निजी कंपनी क्षेत्र (वित्तेतर) | 24.8 | 0.4 | 15.2 | 13.0 |
| वित्तीय क्षेत्र | 16.3 | 0.5 | 12.7 | 10.3 |
| विदेशी क्षेत्र | 3.4 | 5.7 | 5.2 | 5.1 |
| घरेलू क्षेत्र | 40.7 | 85.4 | 51.5 | 58.1 |
| **समग्र** | **100** | **100** | **100** | **100** |

**स्रोत :** भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, मार्च 2008

**सारणी 9 : बकाया मीयादी जमाराशियाँ : परिपक्वता के अनुसार वितरण - मार्च 2008**

(प्रतिशत)

| बैंक समूह | 6 महीने से कम | 6 महीने और अधिक, लेकिन 1 वर्ष से कम | 1 वर्ष और अधिक, लेकिन 2 वर्षों से कम | 2 वर्षों से कम | कुल मीयादी जमाराशियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 13.3 | 13.6 | 40.6 | 32.5 | 100 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 21.1 | 16.1 | 40.2 | 22.5 | 100 |
| विदेशी बैंक | 32.8 | 15.8 | 35.5 | 15.8 | 100 |
| **एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ कर)** | **16.1** | **14.3** | **40.2** | **29.4** | **100** |

**स्रोत :** भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, मार्च 2008

3.19 मीयादी जमाराशियों का अधिकांश भाग एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाला होता है (सारणी 9)।

3.20 उधार देने के पक्ष में, अधिकांश खाते (खातों का लगभग 98 प्रतिशत) 10 लाख रुपये तक के होते हैं। तथापि ऐसे खातों में बकाया राशि अपेक्षाकृत छोटी थी (लगभग 27 प्रतिशत)। इसके परिणामस्वरूप प्रति खाता ऋण का औसत आकार भी छोटा था (लगभग 70,000 रुपये) (सारणी 10)। भारत में बैंकों के ऋण संविभाग की इस संरचना को देखते हुए फुटकर ऋणों के लिए लेन देन की लागत ऊँची होती है।

3.21 ऋण संवाभाग की समग्र लाभप्रदता को स्पष्ट करने वाला प्रमुख कारक था निधियों की लागत, क्योंकि निधियों की लागत और अग्रिमों पर प्रतिलाभ लगभग 0.90 के एक सहसंबंध गुणांक से निकट से जुड़े हुए थे। समग्र बैंकिंग कारोबार के अनुसार यह भी देखा गया कि निधियों की लागत और निवल लाभ मार्जिन (एनआइएम) के बीच उच्च डिग्री का सादृश्य था, जैसाकि दोनों वैरिएबलों के बीच उच्च सहसंबंध गुणांक (0.94) में प्रतिबिंबित होता है (सारणी 11)।

*बीपीएलआर प्रणाली को मूल दर प्रणाली से बदला जाये*

3.22 व्यापार और उद्योग संघों तथा अन्य के द्वारा व्यक्त विचारों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद दल का यह विचार है कि मूल दर की प्रणाली आरंभ करने की बात में दम है। प्रस्तावित मूल दर में वे सभी लागत तत्व शामिल होंगे, जिन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकेगा और जो सभी उधारकर्ताओं के लिए सामान्य होंगे। उधारकर्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली वास्तविक उधार दरें मूल दर और उधारकर्ता-विशिष्ट प्रभार होंगी, जिनमें उत्पाद-विशिष्ट परिचालन खर्च, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम शामिल होंगे। दल के विचार में यह प्रणाली उधार दरों को पारदर्शी, प्रगामी और रिजर्व बैंक की नीति दरों के प्रति संवेदनशील बना सकती है।

3.23 मूल दर, जिससे यह उम्मीद की जाती है कि वह उधार दरों के लिए नींव का काम करेगी, के घटक क्या हो सकते हैं? इस संबंध में दल को अनेक मुद्दों पर ध्यान देना पड़ा। क्या लागत को जमाराशि की लागत/या निधियों या अन्य किसी पैरामीटर पर आधारित होना चाहिए? किस प्रकार विनियामक लागत, यथा, नकदी आरक्षित निधि

**सारणी 10 : ऋण सीमा के आकार के अनुसार ऋण खाते - मार्च 2008**

| बैंक समूह | खातों की संख्या (प्रत्येक बैंक समूह में कुल खातों में प्रतिशत) | | कुल ऋण (प्रत्येक बैंक समूह में कुल ऋण में प्रतिशत) | | प्रति खाता औसत राशि (लाख रुपये) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 लाख रुपये तक | 10 लाख रुपये से अधिक | 10 लाख रुपये तक | 10 लाख रुपये से अधिक | 10 लाख रुपये तक | 10 लाख रुपये से अधिक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 98.2 | 1.8 | 25.6 | 74.4 | 0.8 | 128.8 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 97.4 | 2.6 | 32.3 | 67.7 | 0.6 | 46.7 |
| विदेशी बैंक | 98.5 | 1.5 | 21.7 | 78.3 | 0.4 | 94.5 |
| **एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ कर)** | **98.0** | **2.0** | **26.7** | **73.3** | **0.7** | **95.1** |

**सारणी 11 : निधियों की लागत, निधियों पर प्रतिलाभ और निवल ब्याज मार्जिन**

(प्रतिशत)

| मद | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जमाराशियों की लागत** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 4.20 | 4.15 | 4.44 | 5.41 | 5.66 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 4.36 | 4.32 | 4.45 | 5.41 | 5.60 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 3.84 | 3.87 | 4.77 | 5.88 | 6.32 |
| विदेशी बैंक | 3.00 | 2.78 | 3.15 | 3.81 | 4.34 |
| **निधियों की लागत (सीओएफ)** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 4.00 | 4.05 | 4.35 | 5.26 | 5.53 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 4.17 | 4.19 | 4.36 | 5.29 | 5.52 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 3.55 | 3.79 | 4.58 | 5.57 | 6.03 |
| विदेशी बैंक | 3.12 | 3.22 | 3.54 | 3.96 | 4.23 |
| **अग्रिमों पर प्रतिलाभ (आरओए)** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 7.07 | 7.2 | 7.89 | 8.93 | 9.58 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 6.93 | 7.1 | 7.68 | 8.57 | 9.06 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 7.52 | 7.44 | 8.38 | 9.91 | 10.84 |
| विदेशी बैंक | 7.35 | 7.56 | 8.66 | 9.75 | 12.44 |
| **निवेश पर प्रतिलाभ** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 7.57 | 7.66 | 6.87 | 6.62 | 6.35 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 7.93 | 8.17 | 7.09 | 6.64 | 6.23 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 6.07 | 5.90 | 5.98 | 6.40 | 6.61 |
| विदेशी बैंक | 6.87 | 7.54 | 7.46 | 7.09 | 6.71 |
| **निधियों की लागत के लिए आरओए समायोजित** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 3.07 | 3.15 | 3.54 | 3.67 | 4.05 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 2.76 | 2.91 | 3.32 | 3.28 | 3.54 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 3.97 | 3.65 | 3.80 | 4.34 | 4.81 |
| विदेशी बैंक | 4.23 | 4.34 | 5.12 | 5.79 | 8.21 |
| **एनआइएम (आस्तियों का %)** | | | | | |
| अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | 2.83 | 2.81 | 2.58 | 2.32 | 2.39 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 2.91 | 2.85 | 2.55 | 2.12 | 2.12 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 2.34 | 2.40 | 2.24 | 2.39 | 2.73 |
| विदेशी बैंक | 3.34 | 3.58 | 3.76 | 3.79 | 3.92 |

* अग्रिमों पर प्रतिलाभ और निधियों की लागत के बीच अंतर

अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की रखाव लागत को ध्यान में रखना होगा? कोई किस प्रकार परिचालन खर्च का आबंटन कर सकता है, जो फुटकर और थोक उत्पादों के लिए एकदम अलग होती है?

3.24 दल के सामने कई विकल्प थे। निधियों की लागत को उधार दर के किसी भी रूप में मुख्य तत्व होना था। दल ने यह महसूस किया कि वर्तमान बीपीएलआर की प्रमुख कमी यह है कि यह निधियों की औसत परंपरागत लागत पर आधारित है, जो इसे पश्चगामी और इसीलिए निश्चल बना देती है। कार्यदल ने दो विकल्पों पर विचार किया, यथा, (i) निधियों की लागत (जमाराशियाँ, उधार और पूँजी पर प्रत्याशित लाभ), और (ii) जमा पर ब्याज दर। मूल दर को गत्यात्मक और नीतिगत उपायों के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए इसे प्रगामी होना ही चाहिए। अतःयह अधिक युक्तियुक्त होगा कि निधियों की लागत में भावी लागत को ध्यान में रखा जाये, बजाय इसके कि परंपरागत लागत को ध्यान में रखा जाये। तदनुसार कार्यदल ने इस प्रयोजन के लिए एक वर्ष की परिपक्वता वाली फुटकर जमाराशि पर (15 लाख रुपये से कम की जमाराशि) कार्ड ब्याज दर को तरजीह दी। मूल दर के लिए एक वर्ष की जमा ब्याज दर की पसंद दो कारकों

द्वारा प्रभावित हुई। पहला, कार्यशील पूँजी ऋण एक वर्ष के लिए होते हैं। दूसरा, अधिकांश मीयादी ऋण एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाले होते हैं। निधियों की लागत पर जमा ब्याज दर को तीन कारणों से तरजीह दी गयी। एक, एक वर्षीय फुटकर जमा ब्याज दर बहुत पारदर्शी होगी, क्योकि यह सार्वजनिक पहुँच के क्षेत्र में उपलब्ध होगी और उधारकर्ता यह जान सकेंगे कि बैंकों द्वारा उधार ब्याज दरें किस आधार पर तय की गयी हैं। दो, एक वर्षीय जमा ब्याज दर प्रगामी होगी, क्योंकि इस मामले में उधार ब्याज दर परंपरागत लागत की बचाय जमाराशियों की वर्तमान लागत पर आधारित होगी। तीन, ऐसी दर रिज़र्व बैंक की नीति दरों में परिवर्तनों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील होगी। तथापि, बैंक चालू खाते और बचत जमाराशियों (सीएएसए) का काफी हिस्सा धारण करते हैं। जबकि चालू खाता में कोई ब्याज दर नहीं देय होती है, बचत जमाराशियों पर 3.5 प्रतिशत की ब्याज दर देय होती है (प्रभावी ब्याज दर इसकी गणना की पद्धति के चलते 2.8 प्रतिशत)[3]। इस प्रकार, एक वर्षीय मीयादी जमा ब्याज दर की लागत को सीएएसए की न्यून लागत के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होगी। उधार दरों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दल ने यह युक्तियुक्त समझा कि सीआरआर और एसएलआर के संबंध में ऋणात्मक प्रभार को मूल दर में ही शामिल कर दिया जाये। इस समय, बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 24 प्रतिशत एसएलआर में और और 5 प्रतिशत सीआरआर में रखे जाने का विनियामक निर्धारण है। सीआरआर के कारण, जो बैंकों के लिए कोई ब्याज अर्जित नहीं करता, निधियों की लागत में ऋणात्मक प्रभार को समाविष्ट किया जाना नितांत असंदिग्ध था। एसएलआर के अनुरक्षण के मामले में, दल ने यह देखा कि एसएलआर प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें बाजार निर्धारित होती हैं, और जैसाकि सारणी 11 में देखा जा सकता है, निवेशों (जिनमें अधिकतर एसएलआर निवेश होते हैं) पर प्रतिलाभ जमाराशियों की लागत से निरंतर अधिक होता रहा है। तथापि, 364-दिवसीय खजाना बिलों पर आय को बैंकों की एक वर्षीय जमा ब्याज दरों से कम पाया गया। अतः, इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि एसएलआर निर्धारण के संबंध में भी ऋणात्मक प्रभार निर्मित किया जाये। तदनुसार, दल यह सिफारिश करता है कि एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार की गणना 364-दिवसीय खजाना बिल की आय के आधार पर हुई आमदनी को समायोजित करते हुए की जाये, ताकि वह एक-वर्षीय जमा ब्याज दर से मेल खा सके। यह मूल दर को सरकारी प्रतिभूति बाजार की आय में उतार-चढ़ाव के प्रति अनुक्रियाशील बनायेगा, जो बारी-बारी से नीति दरों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

3.25 दल के सामने एक मुद्दा यह था कि लेन देन की लागत को, जो फुटकर और थोक खंडों के लिए महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होती है, किस प्रकार समाविष्ट किया जाये। उधार दर को पारदर्शी बनाने के लिए दल सिफारिश करता है कि एक अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत घटक को मूल दर में समाविष्ट किया जाये, जबकि परिवर्ती उत्पाद-विशिष्ट परिचालन लागत (फुटकर और थोक खंडों के लिए) वास्तविक उधार दर के भीतर निर्मित की जा सकती है। बैंकों के लिए अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत में उपरिव्यय लागत तत्वों का एक न्यूनतम सेट समाविष्ट होगा, यथा, कंपनी कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों के संबंध में समग्र कर्मचारी क्षतिपूर्ति, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की फीस, विधिक और परिसर खर्च, मूल्यह्रास, मुद्रण एवं लेखन सामग्री की लागत, संप्रेषण एवं विज्ञापन और आइटी संबंधी व्यय, आदि। अंत में, निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ पर भी मूल दर में ध्यान रखा जा सकता है। निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ उस इक्विटी पर प्रतिलाभ की हर्डल दर होगी, जो बैंक के निदेशक मंडल या प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाये, और उसकी प्रॉक्सी निवल संपत्ति के अनुपात की तुलना में अनुमानित पीएटी से या पिछले तीन साल के निवल संपत्ति के अनुपात की तुलना में औसत पीएटी से की जा सकती है। सभी बैंकों में इक्विटी पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना में संगति प्राप्त करने के लिए निवल संपत्ति के अनुपात की तुलना में पीएटी को अभिनियोज्य जमाराशियों की तुलना में निवल संपत्ति के अनुपात से गुणा करना चाहिए। जबकि घरेलू बैंकों की निवल संपत्ति में इक्विटी, आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर) और प्रतिधारित आमदनी समाविष्ट की जायेंगी, विदेशी बैंकों के लिए इसमें भारतीय परिचालनों के लिए लगायी गयी पूँजी या आबंटित की गयी कल्पित पूँजी, आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकन निधियों को छोड़ कर)

[3] तथापि, अप्रैल 2010 से बैंक जमाराशियों पर प्रभावी ब्याज दर 3.5 प्रतिशत होगी, क्योंकि बैंकों को ब्याज दर की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर करनी होगी। कार्यप्रणाली में इस परिवर्तन की घोषणा अप्रैल 2009 में जारी किये गये रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 में की गयी थी।

और प्रतिधारित आमदनी समाविष्ट की जायेंगी। निवल संपत्ति की गणना हाल ही में समाप्त तिमाही के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार की जा सकती है। निवल संपत्ति की गणना नियमित रूप से तिमाही में एक बार की जायेगी, जो मूल दर की समीक्षा के तुल्यकालिक होगी। इसके अतिरिक्त बैंकों को यह अनुमति भी होगी कि वे इक्विटी पर प्रतिलाभ के घटक में टीयर II गौण ऋण की लागत को समायोजित करें।

3.26 एक बार मूल दर का निर्धारण हो जाने पर उधारकर्ताओं से ली जाने वाली वास्तविक उधार दर पर परिवर्ती या उत्पाद-विशिष्ट परिचालन व्यय और ऋण जोखिम एवं टेनोर प्रीमिया को शामिल करते हुए पहुँचा जा सकता है।

3.27 इस प्रकार, संक्षेप में :

- पहले चरण में मूल दर की गणना की जायेगी, जिसमें (i) एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले फुटकर जमा (15 लाख रुपये से कम)(जिसे सीएएसए के हिस्से के लिए समायोजित किया जायेगा) पर कार्ड दर, सीआरआर और एसएलआर के कारण ऋणात्मक प्रभार (एसएलआर के संबंध में 364-दिवसीय खजाना बिलों पर प्रतिलाभों के लिए समायोजित), अनाबंटनीय उपरिव्यय परिचालन लागत और निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ शामिल होंगे।
- वास्तविक उधार दर में मूल दर और परिवर्ती या उत्पाद-विशिष्ट परिचालन व्यय, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम शामिल होंगे।

3.28 चार्ट 7 में मूल दर और अंतिम उधार दर की गणना के लिए सुझायी गयी कार्यप्रणाली संक्षेप में दी गयी है। मूल दर की गणना के लिए कार्यप्रणाली बॉक्स 1 में दी गयी है।

3.29 उक्त कार्यप्रणाली के आधार पर मूल दर 8.55 प्रतिशत पर प्रायोगिक तौर पर अनुमानित की गयी है (सारणी 12 और अनुबंध 1)।

3.30 उधार दरों को रिज़र्व बैंक की नीति दरों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए दल यह सिफारिश करता है कि बैंक

**चार्ट 7 : उधार दरों का निर्धारण**

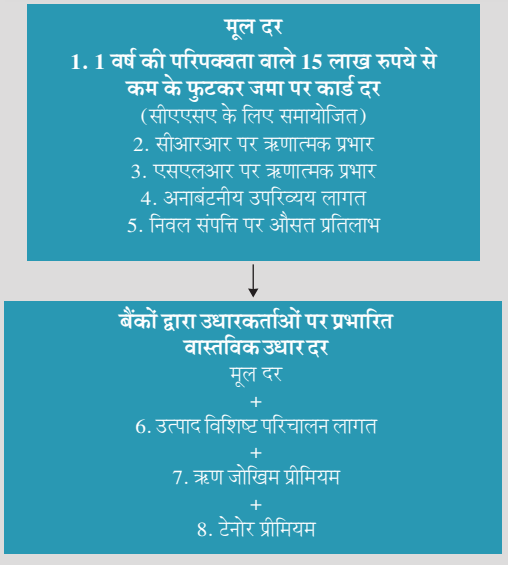


अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से किसी कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक बार अपनी मूल दर की समीक्षा और घोषणा करें। मूल दर के साथ वास्तविक न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों को सार्वजनिक पहुँच के भीतर रखा जा सकता है।

*मूल दर और उप मूल दर उधार*

3.31 वर्तमान बीपीएलआर प्रणाली के बारे में प्रमुख चिंता यह रही है कि बड़े परिमाण में उप बीपीएलआर उधार दिये गये हैं, जिन्होंने पूरी प्रणाली को अपारदर्शी बना दिया। मूल दर की प्रस्तावित प्रणाली के साथ, बैंकों को इस बात की आवश्यकता नहीं होगी कि वे मूल दर के नीचे उधार दें, क्योंकि मूल दर नितांत न्यूनतम दर का द्योतक होती है, जिसके नीचे उधार देना बैंकों के लिए लाभप्रद नहीं होगा। तथापि, दल कुछ ऐसी परिस्थितियों को मान्य करता है, जब बाजार की स्थितियों के कारण आवश्यकता होने पर मूल दर के नीचे उधार दिया जाना हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है, जब प्रणाली में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त चलनिधि होऔर रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) विंडो में अपनी निधियों का अभिनियोजन करने के बदले बैंक अपनी मूल दरों से कम दरों पर उधार देने को तरजीह दें। दल का विचार है कि इस प्रकार का उधार देने की आवश्यकता अपवादस्वरूप और केवल अल्पावधि के लिए हो सकती है, न कि नियम के रूप में नियमित और दीर्घावधि आधार पर। तदनुसार मूल दर प्रणाली, जिसकी सिफारिश दल द्वारा की गयी है, उन ऋणों पर

## बॉक्स 1 : मूल दर की गणना के लिए कार्यप्रणाली

**मूल दर = *a – b + c + d + e***

a - एक वर्षीय जमा दर = $D_{1r}$

b - सीएएसए समायोजन

$$= \left[\left[D_{1r} * \left(\frac{D_c}{D}\right)\right] + \left[(D_{1r} - S_r) * \left(\frac{D_S}{D}\right)\right]\right] * 100$$

c - सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार (कैरी)

$$= \left[\left[\frac{\{D_{1r} - (SLR * T_r)\}}{\{1 - (CRR + SLR)\}}\right] * 100\right] - D_{1r}$$

d - अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत

$$= \left(\frac{U_C}{D_{ply}}\right) * 100$$

e - निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ

$$= \left[\left(\frac{NP}{NW}\right) * \left(\frac{NW}{D_{ply}}\right)\right] * 100$$

जहाँ :

$D_{1r}$ : एक वर्षीय जमा दर

$D_c$ : चालू खाता जमाराशियाँ

$D_T$ : मीयादी जमाराशियाँ

$D_S$ : बचत खाता जमाराशियाँ

D : कुल जमाराशियाँ = सावधि जमाराशियाँ + चालू खाता जमाराशियाँ + बचत खाता जमाराशियाँ
$= D_T + D_C + D_S$

$D_{ply}$ : अभिनियोजन योग्य जमाराशियाँ

= कुल जमाराशियाँ घटाव सीआरआर एवं एसएलआर शेष के रूप में अवरुद्ध जमाराशियों का हिस्सा, अर्थात्
= D* [1 – (CRR + SLR)]

सीआरआर : नकदी आरक्षित निधि अनुपात

एसएलआर : सांविधिक चलनिधि अनुपात

$S_r$ : बचत बैंक दर

$T_r$ : 364 टी-बिल दर

$U_c$ : अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत

NP : निवल लाभ

NW : निवल संपत्ति = पूँजी + निर्बंध आरक्षित निधियाँ

### सीएएसए समायोजन

सीएएसए समायोजन

$$= \left[\left[D_{1r} * \left(\frac{D_c}{D}\right)\right] + \left[(D_{1r} - S_r) * \left(\frac{D_S}{D}\right)\right]\right] * 100$$

एक वर्षीय जमा दर का समायोजन चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों के कारण धनात्मक प्रभार के लिए किया जाता है। सीएएसए समायोजन निम्नलिखित पर आधारित होता है (i) एक वर्षीय जमा ब्याज दर और बचत बैंक जमा दर के बीच अंतर, जिसे बचत बैंक जमाराशियों के हिस्से द्वारा गुणा किया जाता है; और (ii) चालू खाते का हिस्सा, जिसे एक वर्षीय जमा ब्याज दर से गुणा किया जाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

### सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार

सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार

$$= \left[\left[\frac{\{D_{1r} - (SLR * T_r)\}}{\{1 - (CRR + SLR)\}}\right] * 100\right] - D_{1r}$$

सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार इसलिए होता है कि सीआरआर शेष पर प्रतिलाभ शून्य होता है, जबकि एसएलआर शेष पर प्रतिलाभ (364-दिवसीय खजाना बिल दर का उपयोग करते हुए प्रॉक्सी की जाती है) एक वर्षीय जमा दर से कम होता है। सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार पर तीन चरणों में पहुँचा जाता है। पहले चरण में, एसएलआर निवेश पर प्रतिलाभ की गणना 364-दिवसीय खजाना बिलों का उपयोग करते हुए की गयी। दूसरे चरण में, प्रभावी लागत की गणना एक वर्षीय जमा दर (एसएलआर निवेश पर प्रतिलाभ के लिए समायोजित) और अभिनियोजन योग्य जमाराशियों (कुल जमाराशियाँ घटाव सीआरआर और एसएलआर शेष के रूप में अवरुद्ध जमाराशियाँ) के अनुपात (प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त) को लेते हुए की गयी। तीसरे चरण में, एसएलआर और सीआरआर की रखाव लागत पर प्रभावी लागत और एक वर्षीय फुटकर जमा ब्याज दर के बीच अंतर को लेते हुए पहुँचा गया।

### अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत

अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत

$$= \left(\frac{U_C}{D_{ply}}\right) * 100$$

अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत की गणना अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत और अभिनियोजन योग्य जमाराशि के अनुपात (प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त) को लेते हुए की जाती है ।

### निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ

निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ

$$= \left[\left(\frac{NP}{NW}\right) * \left(\frac{NW}{D_{ply}}\right)\right] * 100$$

निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ की गणना निवल संपत्ति की तुलना में निवल लाभ के अनुपात और अभिनियोजनयोग्य जमाराशि की तुलना में निवल संपत्ति के अनुपात के गुणनफल के रूप में की चाती है, जिसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

**सारणी 12 : प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मूल दर का प्राक्कलन**

| घटक | प्रतिशत |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **मूल दर (क+ख+ग+घ+ङ)** | **8.55** |
| क. एक वर्षीय कार्ड जमा दर | 6.50 |
| ख. सीएएसए समायोजन | 1.31 |
| ग. सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक प्रभार | 0.96 |
| घ. अनावंटित उपरिव्यय लागत समायोजन | 0.99 |
| ङ. निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ | 1.41 |

लागू होगी, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष और उससे अधिक हो (जिनमें सभी कार्यशील पूँजी ऋण शामिल हैं)। बैंक एक वर्ष से कम अवधि के लिए ऋण, मूल दर का उल्लेख किये बिना, नियत या अस्थिर दर पर दे सकते हैं। अर्थात्, एक वर्ष से कम के अल्पावधि ऋण का तकनीकी रूप से कीमत-निर्धारण मूल दर से नीचे किया जा सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप मूल दर उधार प्रचुर मात्रा में नहीं दिया जाये, दल सिफारिश करता है कि प्राथमिकताप्राप्त और गैर- प्राथमिकताप्राप्त दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा मूल दर उधार किसी वित्तीय वर्ष में वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें से गैर- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उप मूल दर उधार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात्, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र उप मूल दर उधार उनके वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे 15 प्रतिशत तक समस्त उप मूल दर उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दें।

3.32 दल यह सिफारिश करता है कि अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए भी मूल दर संदर्भ दर के रूप में काम कर सकता है और इस मामले में उधारकर्ताओं से वसूल की गयी वास्तविक उधार दर में मूल दर के परिवर्तनों के बराबर भिन्नता होगी। मूल दर का उपयोग नियत दर वाले ऋण उत्पादों के कीमत निर्धारण के लिए भी किया जा सकता है, जिस मामले में उधार ब्याज दर (मूल दर और परिवर्ती परिचालन खर्च और ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम) ऋण संविदा की अवधि में परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात्, बैंकों के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वे मूल ऋण संविदा में तय पायी गयी ऋण की अवधि के दौरान इन ऋणों का पुनः कीमत निर्धारण कर सकें। तथापि, उधारकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह एक दंडस्वरूप दर पर, जो बैंक और उधारकर्ता के बीच आपस में तय पायी जाये, ऋण का पुनर्वित्त पोषण करे।

3.33 मूल दर की सिफारिश 'अग्रिमों पर ब्याज दर' के संबंध में मास्टर परिपत्र में अंतर्विष्ट वर्तमान प्रावधानों को (अग्रिमों पर ब्याज दर के संबंध में मास्टर परिपत्र का खंड 2.4) संशोधित करना आवश्यक बना देगी। मास्टर परिपत्र में वर्तमान विनियमों के अनुसार ऋणों/अग्रिमों की कुछ कोटियों को बीपीएलआर पर आधारित कीमत-निर्धारण के दायरे से छूट दी गयी है। इस समय निम्नलिखित कोटियाँ बिना पीएलआर के संदर्भ वाली होती हैं : (i) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ खरीदने के लिए ऋण (जिसमें क्रेडिट कार्ड बकाये शामिल हैं); (ii) गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र वैयक्तिक ऋण; (iii) मध्यवर्ती एजेंसियों को अंतिम उधारकर्ताओं तथा निविष्टि सहायता देने वाली एजेंसियों को आगे उधार देने के लिए दिया गया वित्त; और (iv) आवास वित्त के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों को आगे अंतिम हिताधिकारियों को उधार देने के लिए दिया गया वित्त; (v) बैंक के पास घरेलू/एनआरई/एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बशर्ते कि जमाराशि/याँ या तो उधारकर्ता/ओं के अपने ही नाम में हों या किसी अन्य व्यक्ति और उधारकर्ता के संयुक्त नाम में हों; (vi) बिलों की भुनाई; (vii) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों पर ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट; (viii) किसी सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंकिंग संस्था को ऋण; (ix) इसके अपने ही कर्मचारियों को ऋण और (x) मीयादी ऋणदाता संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं में प्रतिभागिता द्वारा आवृत्त ऋण। प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मास्टर परिपत्र में उल्लिखित उक्त कोटि के ऋणों को मूल दर से जोड़ा जायेगा, सिवाय, (क) चयनात्मक ऋण नियंत्रण से संबंधित ऋणों; (ख) क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों; और (ग) बैंक के अपने ही कर्मचारियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज दरों के। क्रेडिट कार्ड ऋण नियमित ऋण व्यवस्था के स्वरूप के नहीं होते हैं और क्रेडिट कार्ड बकायों पर प्रभारित ब्याज दरों में ऐसे अग्रिमों के अप्रतिभूत स्वरूप में अंतर्निहित जोखिम का संगणन किया जाना चाहिए।

3.34 दल यह सिफारिश करता है कि डीआरआइ योजना, जो बैंकों के उधार का बहुत छोटा हिस्सा बनती है, को उसके विद्यमान रूप में समाज के वंचित वर्ग के लाभ के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

3.35 इसके अतिरिक्त, दल यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित प्रणाली सभी नये ऋणों के लिए और उन पुराने ऋणों के लिए लागू होगी, जिनका नवीकरण किया जाता है। तथापि, यदि मौजूदा उधारकर्ता वर्तमान संविदा की अवधि समाप्त होने के पहले नयी प्रणाली में जाना

चाहें, तो ऐसे मामले में संशोधित दर-संरचना के बारे में बैंक और उधारकर्ता के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए।

*सूचना का प्रसार*

3.36 ऐसा संभव है कि कुछ बैंक कुछ उधारकर्ताओं पर अनुचित रूप से उच्च उत्पाद-विशिष्ट परिचालन व्यय, ऋण जोखिम और मीयादी प्रीमिया प्रभारित करें। ऐसी अस्वस्थ प्रथाओं से दूर रहने के लिए बैंकों को उधार दर के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचना देती रहनी चाहिए और मूल दर के बारे में सूचना का प्रसार करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को वास्तविक न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरों के संबंध में सूचना देनी चाहिए, जो वे उधारकर्ताओं पर प्रभारित करते हैं। यह विद्यमान और भावी उधारकर्ताओं पर भिन्न-भिन्न बैंकों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले परिवर्ती परिचालन व्यय, ऋण जोखिम और मीयादी प्रीमिया के बारे में व्यापक धारणा बनाने में मदद करेगा। दल का विचार है कि उधार दरों के संबंध में सूचना का वृहत्तर प्रसार ऋण-कीमत-निर्धारण प्रणाली की पारदर्शिता को बढ़ायेगा।

**उधार दरों में पारदर्शिता**

3.37 संदर्भ दरों और उधार दरों में पारदर्शिता के इस मुद्दे पर यह नोट किया जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) ने दो संहिताएँ विकसित की हैं, यथा, ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (संहिता) और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता की संहिता (एमएसई कोड)। ये संहिताएँ स्वैच्छिक हैं और इनका लक्ष्य है बैंकों के परिचालनों में बढ़ी हुई पारदर्शिता लाना और बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, जिनका पालन अपने ग्राहकों के साथ लेन देन करने में बीसीएसबीआइ के सदस्य बैंक प्रतिबद्ध होते हैं। ग्राहकों के लिए संहिता में अलग-अलग ग्राहकों पर ध्यान दिया जाता है और इसमें कंपनी और फर्मों को छोड़ दिया जाता है, जबकि एमएसई के लिए संहिता केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए होती है।

*ग्राहक के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता*

3.38 इस संहिता में अनेक प्रावधान अंतर्विष्ट होते हैं, जिनका सीधा संबंध फुटकर जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के साथ बैंकों के लेन देन में पारदर्शिता से होता है। किसी विशिष्ट स्रोत से ऋण प्राप्त करते समय इस संहिता में ग्राहकों को सुविज्ञ निर्णय लेने में सुविधा के लिए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है :

- प्रयोज्य ब्याज दर के बारे में जानकारी - क्या वह अस्थिर दर है या नियत दर है;
- वह संदर्भ दर, जिससे ब्याज की अस्थिर दर जुड़ी हुई है; संदर्भ दर भिन्न-भिन्न समयों पर ऋण के लिए संविदा करते समय ग्राहकों के लिए एकसमान रहेगी;
- ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए संदर्भ दर में प्रयुक्त प्रीमियम/छूट;
- संसाधन के लिए देय फीस/प्रभार, ऐसी फीस की राशि लौटा दी जायेगी, यदि ऋण की राशि मंजूर नहीं होती/वितरित नहीं की जाती है;
- पूर्व भुगतान विकल्प और प्रभार, यदि हो;
- विलंब से चुकौती के लिए दंडस्वरूप ब्याज दर, यदि हो;
- किसी ऋण को नियत ब्याज दर से अस्थिर ब्याज दर में या इसके उलट बदले जाने के लिए संपरिवर्तन प्रभार;
- किसी पुनर्निर्धारण खंड का अस्तित्व;
- न्यूनतम ब्याज दर के खंड का अस्तित्व, यदि हो;
- ब्याज की गणना की पद्धति और इसके लागू होने की तिथि और तरीका; और
- कोई अन्य विषय, जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करे।

3.39 किसी ऋण सुविधा को मंजूर किये जाने पर :

- लिखित रूप में एक ऋण-स्वीकृति पत्र उधारकर्ता को निर्गत किया जायेगा, जिसमें स्वीकृत ऋण-राशि, ऋण से संबद्ध शर्तें, आदि विवरण दिये रहेंगे।
- ऋण के संबंध में एक ऋण परिशोधन अनुसूची उधारकर्ता को दी जायेगी।

- उपभोग की गयी ऋण सुविधा को नियंत्रित करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तें (एमआइटीसी) भी उधारकर्ता को सूचित की जायेंगी।
- उधारकर्ता द्वारा निष्पादित सभी ऋण प्रलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ और उनके साथ सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति (जिसका उल्लेख ऋण प्रलेख में किया गया हो) उधारकर्ता को निःशुल्क दी जायेंगी।
- उधारकर्ता को यह सूचित किया जायेगा कि क्या वह बराबर मासिक किस्तों को बना रहने देना चाहता है और जब ब्याज दर में परिवर्तन हो, तब ऋण की अवधि बढ़ाना चाहता है या इसके उलट करना चाहता है।

3.40 यदि कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो ऋण अस्वीकृत किये जाने का कारण लिखित रूप में आवेदक को सूचित किया जायेगा, भले ही आवेदित ऋण की राशि कुछ भी हो। संहिता के अंतर्गत गारंटीकर्ताओं को भी ग्राहक माना जाता है। किसी व्यक्ति को, जिस पर किसी ऋण के लिए गारंटीकर्ता के रूप में विचार किया जाता है, उसे निम्नलिखित सूचना देने के लिए बैंक प्रतिबद्ध होते हैं (i) प्रस्तावित गारंटी के अंतर्गत उसकी वित्तीय देयता; (ii) वे परिस्थितियाँ, जिनमें उससे गारंटी का उन्मोचन करने की माँग की जा सकती है; और (iii) यदि वह गारंटी को पूरा करने में विफल होता है, तो बैंक के पास क्या अवलंब होगा। गारंटीकर्ता को बैंक उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति में किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन होने की भी सूचना देंगे, जिसके ऋण के लिए उसने गारंटी दी है।

*सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (एमएसई कोड)*

3.41 ऋण के लिए एक सरल, मानकीकृत और समझने में आसान आवेदन प्रपत्र आइबीए द्वारा बीसीएसबीआइ के परामर्श से बनाया गया है और अपनाये जाने के लिए बैंकों के बीच प्रचारित किया गया है। यह प्रपत्र, जो एमएसई को निःशुल्क दिया जायेगा, सभी सदस्य बैंकों के बीच एमएसई को ऋण मंजूर करने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा, भले ही आवेदित ऋण की राशि कुछ भी हो।

3.42 आवेदन प्रपत्र देते समय बैंक उसके साथ जरूरी बातों की एक जाँच सूची उपलब्ध करायेंगे, जिसमें निम्नलिखित के बारे में सूचना दी जायेगी :

- लागू होने वाली ब्याज दरें;
- आवेदन को संसाधित करने के लिए देय फीस/प्रभार, यदि हो;
- पूर्व भुगतान विकल्प, यदि हो, आदि;
- आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रलेखों/जानकारी की सूची।

3.43 ऋण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उसकी पावती दी जायेगी और आवेदन प्रस्तुत करते समय ऋण आवेदन संसाधन के संबंध में अपेक्षित सभी विवरण प्राप्त किये जायेंगे। यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो, तो बैंक आवेदनकर्ता एमएसई से 7 दिनों के भीतर संपर्क करेंगे। जब कोई ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है, तब ऋण सुविधाओं को नियंत्रित करने वाली तयशुदा शर्तों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी एक प्रति उधारकर्ता को दी जायेगी; निष्पादित किये गये सभी ऋण प्रलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियों के साथ उसमें उल्लिखित अनुलग्नकों की प्रतिलिपियाँ उधारकर्ता को दी जायेंगी।

3.44 दल सिफारिश करता है कि सभी बैंकों को दोनों प्रतिबद्धता संहिताओं का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। दल यह भी सिफारिश करता है कि रिज़र्व बैंक बैंकों से कहे कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्टों में शिकायतों की संख्या और संहिताओं के अनुपालन से संबंधित संक्षिप्त सूचना प्रकाशित करें।

# 4. अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए बेंचमार्क

4.1 वर्ष 2000-01 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले अपने उधार पर नियत/अस्थिर दर से ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। "अग्रिमों पर ब्याज दर" के संबंध में वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के कीमत-निर्धारण के लिए केवल बाह्य या बाजार आधारित रुपया बेंचमार्क ब्याज दरों का उपयोग करना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अस्थिर दरों की गणना करने की कार्यप्रणाली वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और काउंटरपार्टियों द्वारा परस्पर स्वीकार्य होनी चाहिए। बैंकों को अपने आंतरिक बेंचमार्कों से जुड़े अस्थिर दर वाले ऋणों या विचाराधीन ऋण के आधार पर व्युत्पन्न किसी अन्य दर का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। बाह्य बाजार बेंचमार्क दर का फायदा यह है कि ग्राहक को इन दरों की जानकारी तक पहुँच प्राप्त होती है, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती हैं। पुनः, यह ग्राहक को ऋणों के लिए आवेदन करने के समय नियत और अस्थिर दर वाली ब्याज दरों का मूल्यांकन करने में मदद करती है।

4.2 बैंकों को अपने ऋण-उत्पादों के कीमत-निर्धारण के लिए बाह्य बेंचमार्कों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उपलब्ध बाह्य बाजार बेंचमार्क (मिबोर, सरकारी प्रतिभूति) मुख्यतः बाजार में चलनिधि की स्थिति से प्रेरित होते हैं, और वे बैंकों की निधियों की लागत को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस संबंध में बैंकों और आइबीए से विविध प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें अस्थिर दर वाले ऋणों के कीमत-निर्धारण के लिए संबंधित बैंक के बीपीएलआर का संदर्भ दर के रूप में प्रयोग करते रहने की अनुमति दी जाये। बैंकों ने यह भी बताया है कि बीपीएलआर में अक्सर परिवर्तन नहीं होता है, जैसाकि बाह्य रुपया बेंचमार्क, यथा, मिबोर, सरकारी प्रतिभूति, रेपो दर, सीपी और सीडी दरों में होता है, जो अस्थिर होते हैं, यह मानते हुए कि इनमें से अनेक उत्पादों का व्यापार अनुषंगी बाजार में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ लिखतों की आय कोई प्रतिनिधि कीमत-निर्धारण मापदंड नहीं सुझा सकती है, यह मान कर कि वित्तीय बाजार के समग्र आकार की तुलना में उनके परिमाण सीमित होते हैं। ब्याज दरों को बाह्य बाजार बेंचमार्क से सहबद्ध किया जाना शाखाओं के बड़े भौगोलिक विस्तार, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ संचार के माध्यम बढ़िया नहीं हैं और लोगों के बीच जागरूकता कम है, को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए परिचालनगत कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।

4.3 आइबीए का पहले यह विचार था कि अग्रिमों पर ब्याज दरें बीपीएलआर से जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि इसे आवधिक अंतराल पर पुनर्निर्धारित किये जाने को देखते हुए अस्थिर दर माना जा सकता है। बाजार बेंचमार्क का उपयोग करते हुए किसी अस्थायी उत्पाद का कीमत-निर्धारण करने में लचीलापन ऐसा विकल्प होता है, जो बैंकों को बीपीएलआर के संदर्भ में कीमत-निर्धारण करने के अतिरिक्त दिया जाता है। दल द्वारा प्रस्तावित नयी मूल दर प्रणाली के साथ मूल दर का निर्धारण और अधिक पारदर्शी और लचीला होगा, जो अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए विश्वसनीय संदर्भ दर के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त, बैंक अस्थिर दर वाले ऋणों के कीमत-निर्धारण के लिए अन्य बाजार बेंचमार्कों को चुन सकते हैं, हालाँकि दल को उम्मीद है कि मूल दर अस्थायी बेंचमार्क के समान और अधिक लचीली होगी। अतः दल सिफारिश करता है कि बैंक मूल दर के अतिरिक्त बाह्य बाजार आधारित बेंचमार्कों का प्रयोग करते हुए अस्थिर दर वाले ऋण दे सकते हैं। तथापि, जबकि बाह्य बेंचमार्कों (मूल दर से भिन्न) पर आधारित अस्थिर ब्याज दर का निर्धारण एक वर्ष तक के या उससे कम अवधि वाले अग्रिमों के लिए मूल दर से नीचे किया जा सकता है, अन्य सभी अस्थिर दर वाले अग्रिमों (एक वर्ष से अधिक) के लिए मंजूरी के समय मूल दर के बराबर या उससे अधिक उधार दर प्रभारित की जायेगी।

# 5. नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा

5.1 अनेक देशों में ब्याज दर विकृतियों को दूर करना वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। चूँकि यह अर्थव्यवस्थाओं के हित में होता है कि संसाधन आबंटन की दक्षता में सुधार लाया जाये, अतः यह महत्वपूर्ण होता है कि ब्याज दर विकृतियाँ, जैसेकि बड़ी ब्याज दर सहायता, व्यापक ब्याज दर नियंत्रण या वे नीतियाँ, जिनके कारण ब्याज दरें अत्यंत ऊँची होती हैं, को कम से कम किया जाये, यदि उन्हें एक दम से विनियमित नहीं किया जा सकता हो।

5.2 विश्लेषणात्मक रूप से, आर्थिक सहायता देने वाले और प्राप्त करने वाले, दोनों के लिए आर्थिक सहायता अक्षम होती है। उदाहरण के लिए, यदि बैंकों को कम प्रतिस्पर्धी या आपूर्ति बाधित वातावरण वाले ऋण बाजार के किसी विशिष्ट खंड को आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वे आर्थिक सहायता प्राप्त खंड को ऋण-पूर्ति में कमी कर देंगे, ताकि उन्हें कम हानि हो। आर्थिक सहायता प्राप्त खंड को भी इससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि इसे वित्तीय सहायता-प्राप्त दर पर माँगी गयी पर्याप्त निधियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार, आर्थिक सहायता आरंभ किये जाने के कारण आबंटन करने की दक्षता विकृत होती है। आपूर्ति पर आर्थिक सहायता के प्रभाव का चित्रण चार्ट 8 में किया गया है। संतुलनकारी उधार दर का निर्धारण माँग-पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेद पर किया जाता है।

**चार्ट 8 : उधार दरें और आर्थिक सहायता**

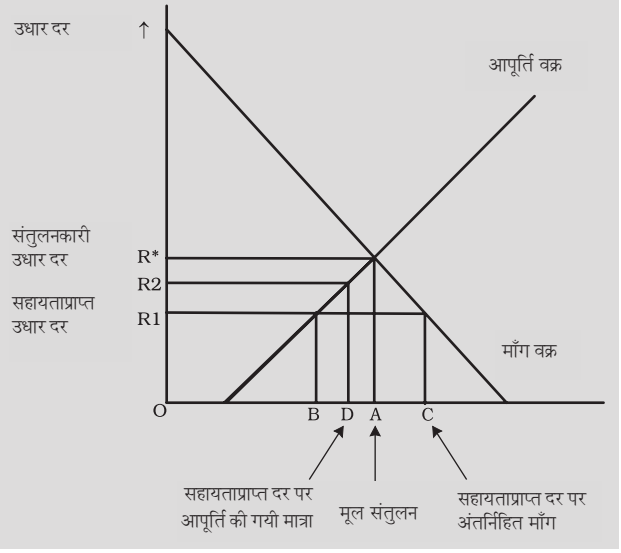


संतुलनकारी उधार दर पर दिया गया ऋण OA होता है। अब मान लीजिए कि बैंकों को उधार दरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। इस वित्तीय सहायता-प्राप्त दर पर उधारकर्ता बैंकों से ऋणों की OC राशि की माँग करेंगे। लेकिन बैंक अपनी हानि को कम करने के लिए वित्तीय सहायता-प्राप्त दर पर ऋण की अपनी आपूर्ति को घटायेंगे। वे केवल ऋण की OB राशि प्रदान करेंगे, जो संतुलनकारी ब्याज दर के अंतर्गत दी गयी राशि से कम होती है। इस प्रकार, वित्तीय सहायता-प्राप्त दर के अंतर्गत आपूर्ति का स्तर घट जायेगा। बैंकों को ब्याज अनुदान द्वारा क्षतिपूर्ति किये जाने पर भी ऋण आपूर्ति OD ऋण की माँग के नीचे OC पर रहेगी। अतः ऋण की उपलब्धता निधियों की लागत से असंबद्ध न्यून ब्याज दर निर्धारण द्वारा बाधित होगी।

5.3 इस अतिरिक्त ऋण का प्रावधान करने के लिए ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिनकी अतिरिक्त ऋण की तुलना में उच्चतर अवसर लागत होगी। आर्थिक अवसर लागत वह मूल्य होता है, जिसे वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण की एक और इकाई प्रदान करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, और यह लागत आर्थिक सहायता सहित ऋण की लागत से अधिक हो जाती है। आर्थिक सहायता बैंकों को आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान संसाधनों का दिशा-परिवर्तन करने का और उन्हें कम मूल्यवान संसाधनों में रूपांतरित करने का कारण बनती है। चूँकि इस प्रक्रिया में बरबादी होती है, इसे "कल्याणकारी हानि" के रूप में गिना जाता है।

## 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों के लिए नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा

5.4 उधार दरों के अविनियमन की ओर एक प्रमुख कदम के रूप में अक्तूबर 1994 में यह निर्णय लिया गया कि 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए बैंक अपनी स्वयं की उधार दरों का निर्धारण करेंगे। 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों पर ब्याज दर पर नियंत्रण बना रहा। प्रारंभ में पीएलआर 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम नियत दर के रूप में कार्य करता रहा। लघु उधारकर्ताओं को 2 लाख रुपये के नीचे ऋण प्रवाह में अनुत्साहन को दूर करने के लिए सभी बैंकों के लिए एक विनिर्दिष्ट दर एकसमान रूप से निर्धारित करने के बदले पीएलआर को अप्रैल 1998 में 2

लाख रुपये तक के ऋण पर उच्चतम दर के रूप में बदल दिया गया। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक बैंकों को अपनी उधार दरों का निर्णय करने में लचीलापन प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि पीएलआर को बेंचमार्क दर बना दिया जाये। तदनुसार, वाणिज्यिक बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे 19 अप्रैल 2001 से 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए उप-पीएलआर दर पर उधार दे सकते हैं। फिर भी, पीएलआर 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए उच्चतम दर बना रहा।

5.5 अप्रैल 2006 में, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से अनुरोध किया कि वह बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर और और 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों की व्यापक समीक्षा करें। जनवरी 2006 में भारतीय बैंक संघ ने 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों पर ब्याज दरों के अविनियमन के संबंध में एक तकनीकी पत्र प्रस्तुत किया। आइबीए ने अपने तकनीकी पत्र में यह राय प्रकट की कि "2 लाख रुपये तक के अग्रिमों के लिए ब्याज दरों को अविनियमित किये जाने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ब्याज दरें स्थिर हो चुकी हैं। इसके विपरीत, यह ऐसे अग्रिमों के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बनायेगा और बैंकों की पहुँच बढ़ायेगा "।

5.6 विविध प्रकार की समितियों, यथा, ऋण प्रवाह के संबंध में उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री आर.वी.गुप्ता), ग्रामीण ऋण के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री वी.एस.व्यास) और ग्रामीण ऋण से संबंधित मुद्दों के संबंध में समिति (अध्यक्ष : श्री अनंत गीते), जिसने ग्रामीण ऋण के मुद्दों की जाँच-पड़ताल की थी, सभी लघु ऋणों पर ब्याज दर की शर्त हटाने के पक्ष में थे।

5.7 वित्तीय क्षेत्र सुधारों के संबंध में समिति (अध्यक्ष : श्री रघुराम जी.राजन) की रिपोर्ट में भी लघु ऋणों के लिए ब्याज दर की अधिकतम सीमा के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। समिति की राय थी कि लघु ऋणों पर न्यून ब्याज दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का परिणाम ऋण की महत्वपूर्ण अपूरित माँग के परिदृश्य में, केवल ऋण संवितरण में भ्रष्टाचार होगा और अत्यंत उच्च ऋण जोखिम वाले गरीबों को बाहर रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त, इससे बचने के लिए आरोपित किये गये दफ्तरशाही मानदंडों का परिणाम यह होगा कि लघु ऋण कम लचीले और आकर्षक रह जायेंगे।

5.8 दल का यह विचार है कि लघु उधारकर्ताओं के संबंध में ब्याज दर के विनियमन से वांछित प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है। यदि हुआ है, तो यह कि ऐसे विनियमन ने लघु उधारकर्ताओं की ओर ऋण के प्रवाह को घटा दिया है। 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज दर को नियंत्रित करने का संपूर्ण विचार यह है कि लघु उधारकर्ता ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने में समर्थ नहीं होते हैं और यह मान कर कि लघु टिकट ऋणों की लेन देन लागत अधिक होती है, बैंक अन्य प्रकार से ऐसे उधारकर्ताओं को ऋण देने के अनिच्छुक हो सकते हैं। तथापि, वास्तविक अनुभव यह बताता है कि उधार दर विनियमन ने लघु उधारकर्ताओं की ओर ऋण-प्रवाह को मंद कर दिया है और बीपीएलआर को अधोमुखी अनम्यता प्रदान की है। यह उल्लेखनीय है कि 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों का हिस्सा हाल के वर्षों में स्थिर गति से कम होता गया है (चार्ट 9)।

5.9 लघु उधारकर्ताओं को भी ब्याज दरों में सामान्य कटौती का फायदा नहीं मिला है, जैसाकि उप-बीपीएलआर उधार के बड़े हिस्से में प्रतिबिंबित होता है, जबकि बीपीएलआर अपेक्षाकृत निश्चल बने रहे हैं। लघु उधारकर्ताओं के लिए नियंत्रित उधार दर ने बीपीएलआर को अधोमुखी कठोरता भी प्रदान की है। उप-बीपीएलआर उधार के बड़े हिस्से का एक प्रमुख कारण है लघु उधार और निर्यात ऋण पर ब्याज दरें घटाने की बैंकों की अनिच्छा। अतः, बैंकों ने अन्य उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर घटाने और ऐसी सुविधाएँ बड़े पैमाने पर देने को तरजीह दी है, बजाये अपने बीपीएलआर को कम

**चार्ट 9 : एससीबी द्वारा दिये गये 2 लाख रुपये तक के ऋण : बकाया राशि (अंत-मार्च)**

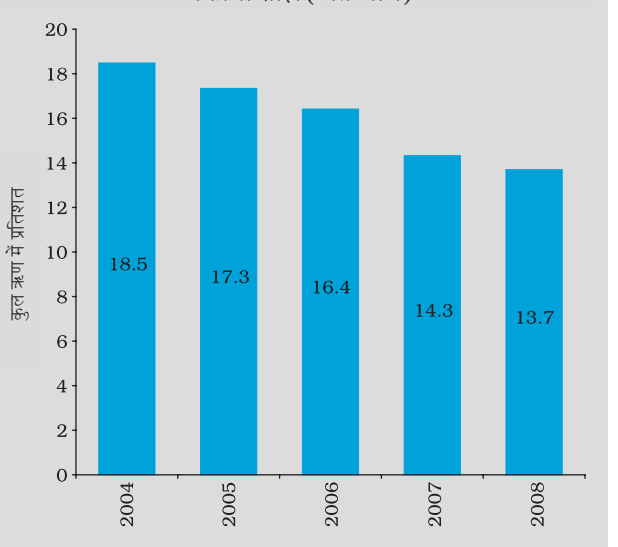

करने के। लघु उधारकर्ताओं और निर्यातों के लिए रियायती नियंत्रित उधार दरों को बैंकों के बीपीएलआर से जोड़ा जाना समग्र उधार दरों को कम लचीला बना देता है, ऋण प्रवाह को प्रतिबंधित करता है और ऋण बाजार को मौद्रिक नीति के संचरण में बाधा उत्पन्न करता है। बैंक उन क्षेत्रों को, जहाँ ऋण-कीमत-निर्धारण नियत होता है, उधार देने के लिए अनिच्छुक होते हैं यह अनुभवमूलक विश्लेषण से भी सिद्ध होता है, जिसमें लघु ऋणों और बीपीएलआर के बीच कड़ी को मान लिया जाता है। विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि यद्यपि लघु ऋणों के लिए माँग अधिकतम दर में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती है, यथा, बीपीएलआर, फिर भी बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को दिया गया ऋण बीपीएलआर[4] में परिवर्तनों के प्रति असंवेदनशील बना रहता है। दूसरे शब्दों में, लघु ऋणों के लिए आपूर्ति किया गया ऋण बीपीएलआर में परिवर्तन होने के कारण बढ़ता/घटता नहीं है। यह बताता है कि बैंक लघु उधारकर्ताओं के प्रति अपना एक्सपोजर बढ़ाने को अनिच्छुक होते हैं।

5.10 ऋण बाजार वर्षों से प्रतिस्पर्धात्मक बन चुका है। अतः यह सभी कोटि के उधारकर्ताओं के लिए संभव होना चाहिए कि वे ऐसी कीमत पर ऋण प्राप्त करें, जो उनकी जोखिम प्रोफाइल से संगति रखती हो। यह नोट किया जा सकता है कि आरआरबी और सहकारी बैंक, जो लघु उधारकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, अपनी उधार दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) की उधार दरों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। भारत में अनेक सफल स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का अनुभव यह बताता है कि वे हिताधिकारियों से ऋणों पर अपेक्षाकृत ऊँची ब्याज दर प्रभारित करते हैं (सारणी 13)। ऊँची ब्याज दरें प्रभारित करने के बावजूद एमएफआइ अपने बकायों को न्यून स्तरों पर रखने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में सूक्ष्म

**सारणी 13 : सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा लगाया गया प्रभार (मार्च 2006)**

(प्रतिशत)

| राज्य | उधारकर्ता के लिए लागत की सीमा |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 17.0 to 32.5 |
| कर्नाटक | 12.0 to 40.0 |
| उड़ीसा | 14.0 to 24.5 |
| राजस्थान | 16.0 |
| उत्तर प्रदेश | 13.0 to 26.0 |

**स्रोत :** सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की लागत और मार्जिन के संबंध में रिपोर्ट, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे, जनवरी 2007

और ग्रामीण ऋण में हुए सफल अनुभवों ने इस बात को रेखांकित किया है कि समय पर ऋण उपलब्ध होना ऋण की लागत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है।

5.11 यह मानते हुए कि मौजूदा प्रणाली ने वांछित प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया है, और यथाप्रस्तावित एक सरल और नमनीय प्रणाली से उपचित होने वाले बड़े फायदे को देखते हुए दल यह सिफारिश करता है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर को अविनियमित किया जाये। अर्थात्, बैंक लघु उधारकर्ताओं को नियत या अस्थिर दरों पर उधार देने के लिए स्वतंत्र हों, जिसमें मूल दर और क्षेत्र-विशिष्ट परिचालन खर्च, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम शामिल होंगे, जैसाकि अन्य उधारकर्ताओं के मामले में होता है। चूँकि दल को उम्मीद है कि बैंकों की मूल दर उनके वर्तमान बीपीएलआर से कम होगी, अतः न्यून जोखिम वाले लघु उधारकर्ताओं के लिए उधार दर कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ऋण प्रवाह में भी सुधार होने की उम्मीद है। ऋण की उपलब्धता लघु उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी पहुँच निधीयन के वैकल्पिक

---

[4] लघु ऋणों (2 लाख रुपये तक) के लिए माँग-पूर्ति का प्राक्कलन, जिसमें स्टैंडर्ड टू स्टेज लीस्ट स्क्वेयर्स (टीएसएलएस) का प्रयोग करते हुए मार्च 1999 से मार्च 2007 तक की अवधि के लिए किया गया था, नीचे दिया गया है : विश्लेषण के लिए जिन चरों (वैरिएबलों) पर विचार किया गया था, वे थे, लघु ऋणों में वार्षिक वृद्धि (जीएसएल), एसबीआइ का बीपीएलआर (एसबीआइ पीएलआर), खाद्येतर ऋण की वृद्धि (एनएफसीजी) और सेवा-क्षेत्र उत्पादन-वृद्धि (एसईआरवी ग्रोथ)।

GSL = 56.83 -4.93SBIPLR + 2.52 SERV GROWTH (-1)- 0.52GSL(-1) माँग समीकरण
(1.81) (-1.96**) (2.52*) (-1.71)

DW 2.91 SEE 4.86

SBIPLR = 12.98 - 0.04 GSL -0.05 NFCG आपूर्ति समीकरण
(13.20) (-0.50) (-0.90)

DW 1.17 SEE 5.03

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आँकड़े 'टी-स्टैटिस्टिक्स' के द्योतक हैं
* और ** का अर्थ यह है कि गुणांक क्रमशः 5 और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण होता है।

स्रोतों तक नहीं होती है। यदि दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाये, तो इससे लघु उधारकर्ताओं को प्रतियोगी दरों पर अधिक ऋण मिल सकता है।

### निर्यातकों के लिए नियंत्रित उधार दर

5.12 मई 2001 से पहले निर्यात ऋण पोतलदानपूर्व ऋण के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्याज दरों पर दिये जाते थे और पोतलदानोत्तर ऋण के मामले में अधिकांशतः ये अधिकतम दर पर दिये जाते थे। बाद में रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर संरचना को बैंकों की प्रासंगिक मूल उधार दरों (पीएलआर) के निर्धारण द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया। तदनुसार, मई 2001 से 180 दिनों के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण के पहले स्लैब के संबंध में अधिकतम दर पीएलआर घटाव 1.5 प्रतिशत अंक निर्धारित की गयी। इसी प्रकार, 180 दिनों से ले कर 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिनों से अधिक और छह महीनों तक के (पोतलदान की तिथि से) पोतलदानोत्तर ऋण के दूसरे स्लैब पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा पीएलआर और 1.5 प्रतिशत अंक निर्धारित की गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत बैंकों को इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम दर तक या उसके भीतर ब्याज दरें प्रभारित करने की अनुमति दी गयी। नियत 'दर' के बदले 'अधिकतम' दर का फायदा यह था कि इसने बैंकों को अधिकतम दर के नीचे ऋण का कीमत-निर्धारण करने की अनुमति दी, यदि उनकी निधि लागत ऐसा करने की अनुमति देती हो, जिसके द्वारा ब्याज दरों के बाजार आधारित कीमत-अन्वेषण में मदद मिली। रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों का अविनियमन होने से यह उम्मीद की गयी थी कि इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आरंभ होगी और निर्यातकों को ब्याज दरों, सेवा की गुणवत्ता और लेन देन लागत के रूप में बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करने का अधिक अवसर मिलेगा। निर्यात ऋण पर पीएलआर से सहबद्ध अधिकतम ब्याज दर अविनियमन कार्यक्रम का एक भाग था, जिससे उम्मीद की गयी थी कि यह बैंकरों और निर्यातकों, दोनों को, लचीलापन प्रदान करेगा और मौद्रिक नीति दृष्टिकोण तथा कार्रवाइयों के प्रति अनुक्रिया करेगा।

5.13 अधिकतम ब्याज दरों में विकासमान समष्टिआर्थिक परिस्थितियों, वैश्विक गतिविधियों और भारतीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलाव लाया गया है। तदनुसार, 26 सितंबर 2001 से पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर अधिकतम ब्याज दरों को समान रूप से 1 प्रतिशत अंक घटा दिया गया है, अर्थात्, पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के पहले स्लैब के लिए पीएलआर घटाव 2.5 प्रतिशत अंक तथा रुपया निर्यात ऋण के दूसरे स्लैब के लिए पीएलआर और 0.5 प्रतिशत अंक।

5.14 निर्यात ऋण के संबंध में ब्याज दर विनियमन का समर्थन निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है। 29 अप्रैल 2002 को की गयी मौद्रिक नीति की घोषणा में रिज़र्व बैंक ने यह पाया था कि निर्यात ऋण के संबंध में घरेलू ब्याज दरों को पीएलआर से जोड़े जाने से उन परिस्थितियों में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ था, जहाँ प्रभावी रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें किसी भी तरह से पीएलआर संबद्ध अधिकतम दर से काफी कम थी। 29 अक्तूबर 2002 को घोषित मध्यावधि समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने संकेत दिया था कि पीएलआर सहबद्ध अधिकतम दर ने इस दृष्टि से अपना महत्व खो दिया है कि बैंकों को ऋणपात्र उधारकर्ताओं को उप-पीएलआर दरों पर उधार देने की स्वतंत्रता दी गयी है। मध्यावधि समीक्षा में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर का अनेक चरणों में अविनियमन किये जाने की भी चर्चा की गयी थी, ताकि निर्यात के हित में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। तदनुसार, 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण और 90 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर पीएलआर और 0.5 प्रतिशत अंक की अधिकतम दर को 1 मई 2003 से अविनियमित किया गया। बैंकों द्वारा पीएलआर से बीपीएलआर प्रणाली की ओर स्वीचओवर किये जाने से रुपया निर्यात ऋण पर अधिकतम ब्याज दर को 1 मई 2004 से बीपीएलआर घटाव 2.5 प्रतिशत अंक में परिवर्तित कर दिया गया।

5.15 अक्तूबर 2002 की मध्यावधि समीक्षा में रुपया निर्यात ऋण के अनेक चरणों में अविनियमन पर चर्चा की गयी थी, ताकि निर्यात के हित में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। एक विचार यह था कि अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी उधार दरों के आलोक में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विनियमित ब्याज दरें विभिन्न जोखिम प्रोफाइल वाले निर्यातकों के सभी खंडों को ऋण प्रवाह में बाधक न बनें। तथापि, 28 अप्रैल 2005 को वर्ष 2005-06 के लिए जारी किये गये वार्षिक नीति वक्तव्य में यह प्रस्ताव किया गया था कि यथापूर्व स्थिति को जारी रखा जाये, क्योंकि ब्याज

दरों के संबंध में उक्त विनियमों से संबंधित विविध मुद्दों पर वाद-विवाद हो रहा है।

5.16 निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यदल (अध्यक्ष : श्री आनंद सिन्हा), जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2005 में प्रस्तुत की थी, ने यह नोट किया था कि अविनियमित ब्याज दर प्रणाली में छोटे निर्यातकों को फायदा नहीं मिलता, जबकि बड़े कंपनी निर्यातकों को फायदा होता है। व्यावहारिक रूप से निर्यातकों के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना, जो न्यून ब्याज दर प्रभारित करते हैं, बहुत कठिन होता है। इसके परिणामस्वरूप वे ब्याज दरें कम करने के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाने में असमर्थ होते थे। अतः कार्यदल ने सिफारिश की कि रिज़र्व बैंक द्वारा रुपया निर्यात ऋण (पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर, दोनों) के पहले स्लैब के लिए वर्तमान ब्याज दर निर्धारण को लघु और मझौले निर्यातकों के हित में फिलहाल जारी रखा जाये।

5.17 बाह्य माँग के कमजोर होने के कारण निर्यातकों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2008 को पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण के पहले स्लैब की हकदारी, जो बीपीएलआर घटाव 2.5 प्रतिशत अंक की रियायती अधिकतम ब्याज दर पर उपलब्ध थी, की अवधि को 180 दिनों से बढ़ा कर 270 दिन तक कर दिया। इसके अतिरिक्त, 28 नवंबर 2008 को पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के पहले स्लैब की हकदारी की अवधि को 90 दिनों से बढ़ा कर 180 दिन कर दिया गया, ताकि बीपीएलआर घटाव 2.5 प्रतिशत की रियायती अधिकतम ब्याज दर का उपभोग किया जा सके। पुनः 8 दिसंबर 2008 को रिज़र्व बैंक ने बीपीएलआर घटाव 2.5 प्रतिशत अंक की रियायती अधिकतम ब्याज दर को अतिदेय बिलों पर अग्रिम की तिथि से 180 दिनों तक विस्तारित किया। 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण और 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के संबंध में अधिकतम ब्याज दर को बीपीएलआर से नीचे 250 आधार अंक घटाये जाने की वैधता को 31 अक्तूबर 2009 तक बढ़ा दिया गया।

5.18 निर्यात क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण खंड होता है और यह महत्वपूर्ण होता है कि निर्यात क्षेत्र को प्रतियोगी दरों पर पर्याप्त ऋण प्राप्त हो। जैसाकि लघु उधारकर्ताओं के मामले में होता है, दल यह महसूस करता है कि निर्यात ऋण पर नियंत्रित उधार दरों को भी अविनियमित किया जाये। चूँकि पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर, दोनों प्रकार के रुपया निर्यात ऋण की अवधि एक वर्ष से कम होती है, निर्यातकों पर प्रभारित ब्याज दर अब मूल दर का उल्लेख किये बिना लगायी जा सकती है। वस्तुतः, दल द्वारा प्रस्तावित मूल दर प्रणाली के अंतर्गत निर्यातकों के लिए मूल दर के नीचे दरों पर ऋण प्राप्त करना उस समय संभव होना चाहिए, जब प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि हो। तथापि, यह मानते हुए कि सभी निर्यातक निर्यात ऋण के संबंध में न्यून और प्रतियोगी दरें प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते, दल यह सिफारिश करता है कि निर्यातकों पर प्रभारित ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों की मूल दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह इस तर्क पर आधारित है कि निर्यात ऋण अल्पावधि स्वरूप का होता है और निर्यातक सामान्यतः थोक उधारकर्ता होते हैं और उन्हें वैश्विक आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत होगी। प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मूल दर को मौजूदा बीपीएलआर से महत्वपूर्ण रूप से कम रखने की परिकल्पना की गयी है। खंड 3 में सुझायी गयी कार्यप्रणाली पर आधारित मूल दर का एक निदर्शनात्मक प्राक्कलन 8.55 प्रतिशत होता है (देखें, अध्याय 3 में सारणी 12)। दल द्वारा सुझायी गयी कार्यप्रणाली पर आधारित 9.5 प्रतिशत की वर्तमान उधार दर (पीएसबी का जून 2009 की स्थिति के अनुसार रूपात्मक बीपीएलआर 12 प्रतिशत घटाव 2.5 प्रतिशत) से तुलनीय है, जो बैंकों द्वारा अधिकांश निर्यातकों पर प्रभारित किया जाता है। निर्यातकों पर प्रभारित वास्तविक उधार दर के अनुसार प्रस्तावित मूल दर प्रणाली के अंतर्गत दिये गये रुपया निर्यात ऋण का अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होना जारी रहेगा (सारणी 14)। दल का विचार है कि प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत निर्यात ऋण दिया जाना अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धात्मक होगा। यदि कोई विशेष प्रबंध आवश्यक समझा जाये, तो यह सुव्यक्त रूप से सरकार की ओर से अनुदान के रूप में आना चाहिए।

**शिक्षा ऋण**

5.19 इस समय 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के संबंध में ब्याज दर के लिए बीपीएलआर अधिकतम दर के रूप में काम करता है। 4 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें बीपीएलआर और 1 प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं। शिक्षा ऋण का अभिप्राय होता है उधारकर्ताओं, अर्थात्, छात्रों को अपनी कुशलता विकसित करने में समर्थ बनाना, ताकि वे लाभदायक नियोजन प्राप्त कर सकें और आसानी से ऋण की चुकौती कर सकें। मानव संसाधन कौशल को विकसित करने में शिक्षा ऋण द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका को

**सारणी 14 : 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर - जून 2009**

(प्रतिशत)

| बैंक की कोटि | वे अग्रिम, जिन पर कम से कम 60 प्रतिशत कारोबार के लिए संविदा की गयी है | |
|---|---|---|
| | वास्तविक दर | बीच का दर |
| 1 | 2 | 3 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंक | 7.00-10.50 | 9.25-9.50 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 7.50-14.00 | 10.38-10.50 |
| विदेशी बैंक | 6.00-13.50 | 8.75-9.88 |

देखते हुए दल ने महसूस किया कि शिक्षा ऋण के संबंध में ब्याज दर को नियंत्रित किया जाना जारी रखा जा सकता है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीपीएलआर की तुलना में मूल दर के महत्वपूर्ण रूप से कम रहने की उम्मीद है, दल यह सिफारिश करता है कि कीमत-लागत अंतर को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, दल यह सिफारिश करता है कि सभी प्रकार के शिक्षा ऋणों पर ब्याज दर मूल दर + 200 आधार अंक से अधिक नहीं हो। निदर्शनात्मक रूप से, प्रस्तावित कार्यप्रणाली के आधार पर 4 लाख रुपये से अधिक के ऋण 8.55 प्रतिशत और अधिकतम 200 आधार अंक पर उपलब्ध होंगे, जबकि इस समय विद्यमान दर 13 प्रतिशत है (पीएसबी के रूपात्मक बीपीएलआर और 1 प्रतिशत)। सभी बैंकों में उधार दरों में एकरूपता लाने के लिए सभी बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण के कीमत-निर्धारण के लिए मूल दर को पाँच सबसे बड़े बैंकों की औसत मूल दर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इस शर्त पर भी शिक्षा ऋण के लिए वास्तविक उधार दर वर्तमान प्रचलित दरों की तुलना में कम होगी। इस संबंध में रिज़र्व बैंक आइबीए से अपेक्षा कर सकता है कि (i) वह जमाराशियों के आकार के आधार पर पाँच सबसे बड़े बैंकों की मूल दरों के संबंध में सूचना एकत्र करे; और (ii) इन पाँचों बैंकों की औसत मूल दर के संबंध में तिमाही आधार पर सूचना का प्रसार करे, ताकि सभी बैंकों द्वारा प्रभारित मूल दरों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।

# 6. कार्यदल की सिफारिशें

6.1 कार्यदल के निष्कर्ष, विचार और प्रमुख टिप्पणियाँ/सिफारिशें संक्षेप में नीचे दी गयी हैं :

**कार्यदल के निष्कर्ष**

6.2 मार्च 2004 से रूपात्मक बीपीएलआर में बैंक समूहवार प्रवृत्ति तीन सुभिन्न चरणों को दर्शाती है। पहले चरण में, मार्च 2004 और मार्च 2006 के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर लगभग स्थिर और सीमाबद्ध बने रहे, हालाँकि निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर की तुलना में लगभग 100 बीपीएस ऊँचे थे। विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर ने कुछ भिन्नता का प्रदर्शन किया, लेकिन मार्च 2006 तक वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर के समरूप हो गये। मार्च 2006 से जून 2007 तक की अवधि के दौरान सभी तीन बैंक समूहों के रूपात्मक बीपीएलआर ने मौद्रिक नीति को सामान्य रूप से कठोर बनाये जाने के अनुरूप ऊर्ध्वमुखी संचरण दर्शाया। इस चरण में भी निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर की तुलना में लगभग 100 बीपीएस ऊँचे बने रहे। विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर के निकट बने रहे। जून 2007 से सितंबर 2008 तक के अगले चरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर और निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में अपसरण थोड़ा अधिक हुआ; विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर निजी क्षेत्र के रूपात्मक बीपीएलआर के समरूप बन गये। तथापि, सितंबर 2008 से निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में महत्वपूर्ण रूप से अपसरण हुआ है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर ने सितंबर 2008 से महत्वपूर्ण गिरावट दर्शायी है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर ने मार्च 2009 तक ऊर्ध्वमुखी रूप से बढ़ने के बाद अधोमुखी रूप से बढ़ना दर्शाया है (पैरा 2.16)।

6.3 वर्ष 2004 की पहली तिमाही से लेकर वर्ष 2009 की पहली तिमाही तक की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक की नीति दरों (रेपो दर) में परिवर्तनों के प्रति रूपात्मक बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए किये गये अनुभवमूलक अभ्यास से पता चलता है कि बैंक समूहों में और ब्याज दर चक्रों में एक मिश्रित चित्र उपस्थित है। यह पाया गया कि रेपो दर में बढ़ोतरी होने से निजी क्षेत्र के बैंकों और प्रमुख विदेशी बैंकों के रूपात्मक बीपीएलआर में समसामयिक परिवर्तन आया और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में विलंबित अनुक्रिया प्राप्त हुई। रेपो दर को घटाये जाने का महत्वपूर्ण समसामयिक प्रभाव केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में देखा गया। यह विषम अनुक्रिया यह दर्शाती है कि जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक नीति दर में बढ़ोतरी के प्रति अनुक्रिया करने में धीमे थे, इसकी उलटी स्थिति में उनकी अनुक्रिया जल्दी प्राप्त हुई। इसका कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्वामित्व संरचना को माना जा सकता है, जो उन्हें अधिकारियों के नैतिक दबाव के अधीन रखता है। नीति दर के अतिरिक्त, भारित औसत माँग मुद्रा दर का प्रयोग भी रूपात्मक बीपीएलआर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने कि लिए किया गया। भारित औसत माँग मुद्रा दर में बढ़ोतरी, जो चलनिधि के दुर्लभ होने का संकेत देती है, होने से यह देखा गया कि इसका महत्वपूर्ण समसामयिक प्रभाव सभी बैंक समूहों पर पड़ता है। गिरावट का महत्वपूर्ण प्रभाव, अलबत्ता, विलंब से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में देखा गया और समसामयिक एवं विलंबित प्रभाव निजी बैंकों के मामले में देखा गया, जबकि पाँच प्रमुख विदेशी बैंकों के मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया (पैरा 2.17)।

6.4 मार्च 2004 से 2009 तक की अवधि के लिए रूपात्मक बीपीएलआर के चतुर्दिक ब्याज दर स्प्रेड के विश्लेषण से यह पता चला कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच काफी भिन्नता है। खास कर न्यूनतम ब्याज दरों ने अपेक्षाकृत धीमा उतार-चढ़ाव दर्शाया, जिससे पता चला कि वे बीपीएलआर में समग्र उतार-चढ़ाव के प्रति असंवेदी हैं (पैरा 2.18)।

6.5 तथापि, बीपीएलआर में उतार-चढ़ाव देश में उधार ब्याज दरों के असली चित्र का प्रग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक परिवर्ती अंश पर उप-बीपीएलआर उधार का आश्रय लेते हैं। यह देखा गया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, सिवाय विदेशी बैंकों के, उप-बीपीएलआर उधार के हिस्से में बढ़ोतरी की अवधि उच्च बीपीएलआर दरों से भी संबद्ध होती थी (पैरा 2.22)।

6.6 चुनिंदा प्रमुख बैंकों के लिए बीपीएलआर और उप-बीपीएलआर उधार दरों में परिवर्तन के बीच संबंध के अनुभवमूलक

विश्लेषण ने यह दर्शाया है कि उनमें धनात्मक संबंध था। जैसाकि ऊपर अनुभवमूलक परिणामों से सिद्ध हुआ है, बीपीएलआर और उप-बीपीएलआर उधार में सह-संचलन इस कारण से हो सकता है कि बैंक अपना बीपीएलआर कम करने में असमर्थ होते हैं, जिनकी गणना निधियों की औसत लागत के आधार पर की जाती है, जब सीमांतिक लागत में कमी आती है। इसका परिणाम हुआ उप-बीपीएलआर पर वृद्धिशील उधार दिया जाना। अतः बैंकों की उधार ब्याज दर में वास्तविक उतार-चढ़ाव का प्रग्रहण बैंकों की भारित औसत उधार दर में किया जाता है। हालाँकि वर्ष 2004 में विविध बैंक समूहों के बीच भारित औसत उधार दरों में काफी अपसरण था, फिर भी हाल की अवधि में भारित औसत उधार दरों में अभिसरण की प्रवृत्ति रही है। इसके अतिरिक्त, भारित औसत उधार दरें वर्ष 2008 में बढ़ने के पूर्व वर्ष 2002 से नीचे आना शुरू हो गयी थीं। तथापि, भारित औसत उधार दर वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2008 में कम थी। वर्ष 2009 में भारित औसत उधार दरों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गयी, सिवाय निजी बैंकों के मामले में (पैरा 2.23)।

## कार्यदल की प्रमुख टिप्पणियाँ/सिफारिशें

6.7 बीपीएलआर प्रणाली से यह उम्मीद की गयी थी कि यह पीएलआर प्रणाली से, जो न्यूनाधिक न्यूनतम उधार दरों का द्योतक होती थी, एक कदम आगे उस प्रणाली के समान होगी, जो एक बेंचमार्क या संदर्भ दर के रूप में होगी, जिसके चतुर्दिक अधिकांश बैंकों द्वारा उधार दिये जा सकते थे। तथापि, कालक्रम में उस तरीके के बारे में, जिसमें बीपीएलआर प्रणाली विकसित हुई, अनेक प्रकार की चिंताएँ उत्पन्न होने लगीं। इनका संबंध उप-बीपीएलआर उधार की बड़ी प्रमात्रा, पारदर्शिता का अभाव, बीपीएलआर की अधोमुखी निश्चलता और उधार दिये जाने में प्रति-सहायता के बोध से था (पैरा 2.24 से 2.34)।

6.8 दल का यह विचार है कि वर्तमान बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) की प्रणाली बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के अपने मूल अभिप्राय को पूरा करने में उम्मीद से कम रही है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद वर्तमान प्रणाली में बीपीएलआर बाजार की स्थितियों से ताल मेल नहीं रख पायी है और मौद्रिक नीति में परिवर्तनों के प्रति पर्याप्त अनुक्रिया नहीं दिखा पायी है। कार्यदल की यह राय थी कि जब तक इस प्रणाली में संशोधन नहीं किया जाता या इसके स्थान पर अन्य प्रणाली नहीं लायी जाती है, तब तक बाजार में बड़े पैमाने पर उप-बीपीएलआर दरों पर ऋण दिये जाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, जो पारदर्शिता के संबंध में चिंता को जन्म देगी। कार्यदल ने यह भी नोट किया कि प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के चलते बैंक अपने संविभाग का एक हिस्सा उन दरों पर उधार दे रहे हैं, जिसका अधिक वाणिज्यिक अर्थ नहीं होता है (पैरा 3.15)।

*वर्तमान बीपीएलआर प्रणाली को मूल दर प्रणाली से बदलना*

6.9 व्यापार और उद्योग संघों एवं अन्य द्वारा अभिव्यक्त विचारों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद दल का यह विचार है कि मूल दर प्रणाली आरंभ करने की बात में दम है। प्रस्तावित मूल दर में वे सभी लागत तत्व शामिल होंगे, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा और जो सभी उधारकर्ताओं के लिए सामान्य होंगे (पैरा 3.22)।

6.10 मूल दर के घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे (क) फुटकर जमा (15 लाख रुपये से कम जमाराशि), जो एक वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली होगी और जिसका समायोजन चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों के लिए किया जायेगा, पर कार्ड ब्याज दर; (ख) सीआरआर और एसएलआर के संबंध में ऋणात्मक प्रभार के चलते समायोजन; (ग) बैंकों के लिए अनाबंटनीय उपरिव्यय लागत और (घ) निवल संपत्ति पर औसत प्रतिलाभ। अंतिम उधार दरों में शामिल होगी मूल दर और वैरिएबल या उत्पाद-विशिष्ट परिचालन व्यय, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम (पैरा 3.23 से 3.27)।

6.11 उधार दरों को रिज़र्व बैंक की नीति दरों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए, दल यह सिफारिश करता है कि बैंकों को कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक बार निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी मूल दर की घोषणा करनी चाहिए। मूल दर के साथ न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों को सार्वजनिक पहुँच के क्षेत्र में रखा जाना चाहिए (पैरा 3.30)।

*उप मूल दर उधार की अनुमति सीमा के भीतर दी जाये*

6.12 मूल दर की प्रस्तावित प्रणाली में बैंकों को मूल दर के नीचे उधार देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मूल दर नितांत न्यूनतम दर का द्योतक होती है, जिसके नीचे उधार देना बैंकों के लिए लाभकर नहीं होगा। तथापि, दल कुछ ऐसी स्थितियों को मान्य करता है, जब बाजार में विद्यमान स्थितियों के चलते मूल दर के

नीचे उधार देना बैंकों के लिए आवश्यक बन जाये। ऐसा उस समय हो सकता है, जब प्रणाली में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त चलनिधि हो और बैंक रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) विंडो में अपनी निधियों का अभिनियोजन करने के बदले अपनी-अपनी मूल दरों के नीचे उधार देने को तरजीह दें। दल का विचार है कि ऐसा उधार दिये जाने की आवश्यकता केवल अपवादस्वरूप होगी और वह भी एक छोटी अवधि के लिए, न कि नियमतः नियमित और दीर्घकालिक आधार पर। तदनुसार दल द्वारा सिफारिश की गयी मूल दर प्रणाली उन ऋणों पर लागू होगी, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष और उससे अधिक हो (जिसमें सभी कार्यशील पूँजी ऋण शामिल हैं)। बैंक मूल दर का उल्लेख किये बिना एक वर्ष से कम अवधि के लिए ऋण नियत या अस्थिर दरों पर दे सकते हैं। अर्थात्, एक वर्ष से कम के लिए अल्पावधि ऋण का तकनीकी रूप से कीमत-निर्धारण मूल दर के नीचे किया जा सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप मूल दर उधार प्रचुरता से नहीं दिया जाता, दल यह सिफारिश करता है कि ऐसा उप मूल दर उधार प्राथमिकताप्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त, दोनों क्षेत्रों में, किसी वित्तीय वर्ष में वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें से, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को उप मूल दर उधार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। अर्थात्, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र उप मूल दर उधार उनके वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और बैंक इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपने वृद्धिशील उधार के 15 प्रतिशत तक समस्त उप मूल दर उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दें (पैरा 3.31)।

6.13 दल यह सिफारिश करता है कि मूल दर अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए संदर्भ दर के रूप में भी काम कर सकता है (पैरा 3.32)।

*वे कोटियाँ, जिन्हें मूल दर में शामिल नहीं किया जायेगा*

6.14 मूल दर की सिफारिश के लिए यह आवश्यक होगा कि 'अग्रिमों पर ब्याज दर' के संबंध में मास्टर परिपत्र में अंतर्विष्ट वर्तमान प्रावधानों (अग्रिमों पर ब्याज दर के संबंध में मास्टर परिपत्र का खंड 2.4) में संशोधन किया जाये। प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मास्टर परिपत्र में उल्लिखित उक्त सभी कोटि के ऋणों को मूल दर से जोड़ा जाये, सिवाय निम्नलिखित पर ब्याज दर के, (क) चयनात्मक ऋण नियंत्रण से संबंधित ऋण; (ख) क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियाँ; और (ग) बैंकों के अपने कर्मचारियों को ऋण। दल सिफारिश करता है कि डीआरआइ योजना, जो बैंकों के उधार का बहुत छोटा हिस्सा बनती है, अपने वर्तमान रूप में बनी रहे, ताकि समाज के वंचित लोगों को इसका लाभ मिले। इसके अतिरिक्त, कार्य दल यह भी सुझाव देता है कि प्रस्तावित प्रणाली सभी नये ऋणों के लिए लागू होगी और उन पुराने ऋणों के लिए भी लागू होगी, जिनका नवीकरण किया जाता है। तथापि, यदि मौजूदा उधारकर्ता वर्तमान संविदाओं की अवधि समाप्त होने के पहले नयी प्रणाली में जाना चाहें, तो ऐसे मामलों में नयी/संशोधित दर संरचना बैंक और उधारकर्ता के बीच आपसी सहमति से तय होनी चाहिए (पैरा 3.33 - 3.35)।

*मूल दर का प्रसार और वास्तविक उधार दरों की सीमा*

6.15 यह संभव है कि कुछ बैंक उधारकर्ताओं से उच्च उत्पाद-विशिष्ट परिचालन खर्च, ऋण जोखिम और मीयादी प्रीमिया अनुचित रूप से प्रभारित करें। ऐसी अस्वस्थ प्रथा से बचने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे उधार दरों के संबंध में रिज़र्व बैंक को सूचना देते रहें और मूल दर के संबंध में सूचना का प्रसार करते रहें। इसके अतिरिक्त, बैंकों को उधारकर्ताओं पर प्रभारित वास्तविक न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरों के संबंध में भी जानकारी देनी चाहिए। इससे नये और भावी उधारकर्ताओं, दोनों के बीच परिवर्ती परिचालन लागत, ऋण जोखिम और मीयादी प्रीमिया के बारे में, जो विभिन्न बैंकों द्वारा प्रभारित किये जाते हैं एक धारणा बनेगी। दल का विचार है कि उधार दरों के संबंध में सूचना का अधिक प्रसार होने से ऋण-कीमत-निर्धारण प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ेगी (पैरा 3.36)।

*बीसीएसबीआइ द्वारा निर्धारित दो संहिताओं का सावधानी पूर्वक पालन करना*

6.16 संदर्भ दरों और उधार दरों में पारदर्शिता के इस मुद्दे पर यह नोट किया जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) ने दो संहिताएँ विकसित की है, यथा, ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (कोड) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (एमएसई कोड)। दल यह सिफारिश करता है कि सभी बैंकों को दोनों प्रतिबद्धता संहिताओं का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। दल यह सिफारिश भी करता है कि रिज़र्व बैंक बैंकों से यह कहे कि वे शिकायतों की संख्या और संहिताओं के अनुपालन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित करें (पैरा 3.37 और 3.44)।

*अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए बेंचमार्क*

6.17 दल द्वारा प्रस्तावित नयी मूल दर प्रणाली के साथ मूल दर का निर्धारण और अधिक पारदर्शी और लचीला होगा, जो अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए विश्वसनीय संदर्भ दर के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त, बैंक अस्थिर दर वाले ऋणों के कीमत निर्धारण के लिए अन्य बाजार बेंचमार्क को चुन सकते हैं, हालाँकि दल को उम्मीद है कि मूल दर एक अस्थिर बेंचमार्क के समान और अधिक लचीला होगा। अतः दल यह सिफारिश करता है कि बैंक मूल दर के अतिरिक्त बाह्य बाजार आधारित बेंचमार्कों का प्रयोग करते हुए अस्थिर दर वाले ऋणों का प्रस्ताव दे सकते हैं। तथापि, जबकि बाह्य बेंचमार्कों पर आधारित अस्थिर ब्याज दर (मूल दर से भिन्न) उन अग्रिमों के लिए, जो एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए हों, मूल दर के नीचे निर्धारित की जा सकती है, अन्य सभी अस्थिर दर वाले अग्रिम (एक वर्ष से अधिक) पर उधार दरें अग्रिम मंजूर किये जाने के समय मूल दर के बराबर या उससे ऊपर प्रभारित की जायेंगी (पैरा 4.3)।

*2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों के लिए नियंत्रित उधार दरें अविनियमित की जायें*

6.18 यह मानते हुए कि मौजूदा प्रणाली से वांछित प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है और यथाप्रस्तावित एक सरल और लचीली प्रणाली के बड़े फायदे होंगे, दल यह सिफारिश करता है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज दर को अविनियमित किया जा सकता है। अर्थात्, बैंक लघु उधारकर्ताओं को नियत या अस्थिर दरों पर, जिसमें मूल दर और क्षेत्र-विशिष्ट परिचालन खर्च, ऋण जोखिम प्रीमियम और टेनोर प्रीमियम शामिल होंगे, उधार देने के लिए स्वतंत्र हों, जैसाकि अन्य उधारकर्ताओं के मामले में होता है। चूँकि दल को यह उम्मीद है कि बैंकों की मूल दर वर्तमान बीपीएलआर से कम होगी, अतः कम जोखिम वाले लघु उधारकर्ताओं के लिए प्रभावी उधार दर कम होगी। इसके अतिरिक्त, ऋण प्रवाह में भी सुधार होने की उम्मीद है। ऋण की उपलब्धता लघु उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी पहुँच निधीयन के वैकल्पिक स्रोतों तक नहीं होती है। यदि दल की सिफारिश को कार्यान्वित किया जाता है, तो इससे लघु उधारकर्ताओं की ओर प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रवाह होगा (पैरा 5.11)।

*निर्यातकों को ऋण मूल दर पर दिया जाये*

6.19 निर्यात क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खंड होता है और यह महत्वपूर्ण है कि निर्यात क्षेत्र को भी प्रतिस्पर्धी दरों पर पर्याप्त ऋण मिले। जैसाकि लघु उधारकर्ताओं के मामले में होता है, दल यह महसूस करता है कि निर्यात ऋण पर नियंत्रित उधार दरों को भी अविनियमित किया जा सकता है। चूँकि पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर, दोनों प्रकार के रुपया निर्यात ऋण की अवधि एक वर्ष से कम होती है, अतः निर्यातकों पर अब मूल दर का उल्लेख किये बिना ब्याज दरें प्रभारित की जा सकती हैं। वस्तुतः दल द्वारा प्रस्तावित मूल दर प्रणाली के अंतर्गत निर्यातकों के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे मूल दरों से कम दर पर ऋण प्राप्त करें, जब प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि हो। तथापि, इस तथ्य को जानते हुए कि सभी निर्यातक निर्यात ऋण पर कम और प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते, दल यह सिफारिश करता है कि निर्यातकों पर प्रभारित ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों की मूल दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह इस तर्क पर आधारित है कि निर्यात ऋण अल्पावधि स्वरूप का होता है, निर्यातक सामान्यतः थोक उधारकर्ता होते हैं और इसलिए उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत मूल दर के मौजूदा बीपीएलआर से कम रहने की परिकल्पना की गयी है। दल यह महसूस करता है कि प्रस्तावित प्रणाली के अंतर्गत किसी प्रकार का रियायती निर्यात ऋण देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई विशेष प्रबंध करना आवश्यक समझा जाये, तो यह सरकार की ओर से सुव्यक्त ब्याज दर अनुदान के रूप में आना चाहिए (पैरा 5.18)।

*शिक्षा ऋण मूल दर + 200 आधार अंक से अनधिक दरों पर प्रदान किया जाये*

6.20 इस समय बीपीएलआर 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों के लिए अधिकतम ब्याज दर के रूप में काम करता है। 4 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋणों पर ब्याज दर बीपीएलआर + 1 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होती है। शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं, अर्थात्, छात्रों को अपना कौशल विकसित करने में समर्थ बनाते हैं, ताकि वे लाभप्रद नियोजन प्राप्त कर सकें और ऋण की चुकौती आसानी से कर सकें। मानव संसाधन कौशल को विकसित करने में शिक्षा ऋण द्वारा निभायी गयी भूमिका के मद्देनजर, दल ने यह महसूस किया कि शिक्षा ऋण पर ब्याज दरों पर नियंत्रण बना रहे। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि मूल दर के बीपीएलआर से महत्वपूर्ण रूप

से कम रहने की उम्मीद है, दल यह सिफारिश करता है कि कीमत-लागत अंतर को परिवर्तित करना आवश्यक है। तदनुसार, दल यह सिफारिश करता है कि सभी प्रकार के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर मूल दर और 200 आधार अंक से अधिक नहीं हो। सभी बैंकों में उधार दरों में एकरूपता प्रदान करने के लिए सभी बैंकों द्वारा शिक्षा ऋणों के कीमत-निर्धारण के लिए मूल दर को पाँच सबसे बड़े बैंकों की औसत मूल दर के रूप में निर्धारित किया जाये। इस जानकारी के साथ भी शिक्षा ऋणों के लिए वास्तविक उधार दर प्रचलित दरों से कम होगी। इस संबंध में रिज़र्व बैंक आइबीए से कह सकता है कि वह (i) जमाराशियों के आकार के आधार पर पाँच सबसे बड़े बैंकों की मूल दरों के संबंध में जानकारी एकत्र करे; और (ii) इन पाँचों बैंकों की औसत मूल दर के संबंध में जानकारी का प्रसार तिमाही आधार पर करे, ताकि सभी बैंकों द्वारा प्रभारित मूल दरों में एकरूपता सुनिश्चित हो (पैरा 5.19)।

# अनुबंध

**अनुबंध 1**
**पीएलआर के संबंध में नीति में परिवर्तनों का कालानुक्रम**

| | |
|---|---|
| अक्तूबर 1994 | 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए बैंक अपनी स्वयं की उधार दरें निर्धारित करेंगे। तथापि, बैंकों को अपनी निधियों की लागत, लेन देन लागत, आदि को ध्यान में रख कर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी मूल उधार दर (पीएलआर) की घोषणा करनी होगी। |
| फरवरी 1997 | ऋण वितरण की नकदी ऋण प्रणाली के विपरीत ऋण प्रणाली में सुचारु परिवर्तन को समर्थ बनाने के लिए नकदी ऋण और माँग ऋण घटक के लिए पीएलआर की घोषणा अलग से की जा सकती है। |
| अक्तूबर 1997 | बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से 3 वर्ष और उससे अधिक के मीयादी ऋणों के लिए अलग से मूल मीयादी उधार दरों (टीपीएलआर) की घोषणा करें। |
| अप्रैल 1998 | 2 लाख रुपये से कम ऋण लेने वाले लघु उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह में अनुत्साहन को दूर करने के लिए, सभी बैंकों के लिए एकसमान रूप से एक विनिर्दिष्ट दर निर्धारित करने के बदले, पीएलआर को 2 लाख रुपये तक के ऋण के संबंध में अधिकतम दर के रूप में बदला गया। बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए पीएलआर या उससे अधिक की नियत/ अस्थिर दर प्रभारित कर सकते हैं। |
| अप्रैल 1999 | टेनोर सहबद्ध मूल उधार दर की अवधारणा आरंभ की गयी, ताकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को और अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान किया जा सके। |
| अक्तूबर 1999 | बैंकों को बिलों की भुनाई, मध्यवर्ती एजेंसियों को उधार देने जैसे कर्ज/ऋण की कुछ कोटियों के संबंध में पीएलआर का उल्लेख किये बिना ब्याज दरें प्रभारित करने का लचीलापन स्वीकृत किया गया। |
| अप्रैल 2000 | बैंकों को स्वतंत्रता दी गयी कि वे नियत या अस्थिर आधार पर ऋण दें। तथापि, 2 लाख रुपये तक के लघु ऋणों (प्रासंगिक परिपक्वता वाले) के लिए पीएलआर से अनधिक की शर्त बनी रही। |
| अप्रैल 2001 | अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्यिक बैंकों को अपनी उधार दरों के बारे में निर्णय लेने के लिए और अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि पीएलआर को बेंचमार्क दर बनाया जाये। तदनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए उप-पीएलआर दर पर उधार दे सकते हैं। |
| अप्रैल 2002 | रिज़र्व बैंक ने पीएलआर और अग्रिमों पर बैंकों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले न्यूनतम एवं अधिकतम ब्याज दरों के संबंध में सूचना एकत्र करने और उसे सार्वजनिक पहुँच के क्षेत्र में रखने का संकेत दिया था, ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके और प्रतिस्पर्धा सार्थक हो सके। तदनुसार, जून 2002 में समाप्त तिमाही से आरंभ करते हुए प्रत्येक तिमाही के लिए उस पर बैंकवार सूचना आरबीआइ के वेबसाइट पर प्रसारित की जाती है। |
| अप्रैल 2003 | बैंकों द्वारा अपने ऋण उत्पादों के कीमत-निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से एक बेंचमार्क पीएलआर की घोषणा करें। बैंकों को सूचित किया गया कि बेंचमार्क पीएलआर का पता करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन खर्च, और (iii) प्रावधानन/पूँजीगत प्रभार और लाभ मार्जिन की विनियामक अपेक्षा को पूरा करने पर विचार करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीएलआर सच में वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करता है। चूँकि अन्य सभी उधार दरें ऊपर पता किये गये बेंचमार्क पीएलआर के संदर्भ में मीयादी प्रीमिया और/या जोखिम प्रीमिया को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकती है, अतः टेनोर सहबद्ध पीएलआर प्रणाली को बंद कर देने का प्रस्ताव किया गया। |
| नवंबर 2003 | बीपीएलआर को अपनाये जाने के संबंध में आइबीए की सलाह |

## अनुबंध 2
## नीति दरों और चलनिधि स्थितियों के प्रति बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता का विश्लेषण *(जारी)*

नीति दरों में परिवर्तनों के प्रति रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तनों और भारित औसत माँग मुद्रा दर का एक एआर(1) अनुमान वर्ष 2004 की पहली तिमाही से ले कर वर्ष 2009 की पहली तिमाही तक की अवधि के लिए करने का प्रयास किया गया। विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नीति-दर परिवर्तनों और भारित औसत माँग मुद्रा दरों को नीति दरों के कठोर और आसान बनाये जाने की घटनाओं में बाँटा गया। नीति दरों में और बीपीएलआर के संबंध मे भारित माँग मुद्रा दरों को बढ़ाये जाने और घटाये जाने के समसामयिक और विलंबित प्रभाव के बारे में अनुमान किया गया कि वे विविध बैंक समूहों के बीपीएलआर की नीति दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति अनुक्रियाशीलता का विश्लेषण कर सकते हैं।

वर्ष 2004 की पहली तिमाही से ले कर वर्ष 2009 की पहली तिमाही तक की अवधि के लिए रेपो दर में परिवर्तन के संबंध में रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तनों पर एआर(1) अनुमान का परिणाम नीचे दिया गया है :

**सरकारी क्षेत्र के बैंक** — **नमूना 2004ति.1-2009ति.1**

आश्रित चर (डिपेंडेंट वैरिएबल) : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक रेपो दर परिवर्तन | पिछली तिमाही में रेपो दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले रेपो दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| रेपो दर में बढ़ोतरी | ... | 0.89<br>(2.06)* | ... |
| रेपो दर में कमी | 0.66<br>(2.96)* | ... | ... |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 2.02 आर बार स्क्वेयर्ड : 0.47

**निजी बैंक** — **नमूना 2004ति.1 - 2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक रेपो दर परिवर्तन | पिछली तिमाही में रेपो दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले रेपो दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| रेपो दर में बढ़ोतरी | 1.05<br>(2.05)* | ... | 1.94<br>(2.82)* |
| रेपो दर में कमी | ... | ... | ... |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 2.36 आर बार स्क्वेयड : 0.33

**5 प्रमुख विदेशी बैंक** — **नमूना 2004ति.1 - 2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक रेपो दर परिवर्तन | पिछली तिमाही में रेपो दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले रेपो दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| रेपो दर में बढ़ोतरी | 0.77<br>(2.00)* | ... | ... |
| रेपो दर में कमी | ... | ... | ... |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 1.69 आर बार स्क्वेयर्ड : 0.17

टिप्पणी :* महत्व के 5 प्रतिशत स्तर पर टी मूल्य बताता है ... : 5 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं

## अनुबंध 2
## नीति दरों और चलनिधि स्थितियों के प्रति बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता का विश्लेषण *(जारी)*

वर्ष 2004 की पहली तिमाही से ले कर वर्ष 2009 की पहली तिमाही तक की अवधि के लिए रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन के संबंध में रिवर्स रेपो दर में परिवर्तनों पर एआर(1) अनुमान का परिणाम नीचे दिया गया है :

**सरकारी क्षेत्र के बैंक** — **नमूना 2004ति.1 - 2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन | पिछली तिमाही में रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी | ... | ... | ... |
| रिवर्स रेपो दर में कमी | ... | ... | ... |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 2.07 आर बार स्क्वेयर्ड : 0.37

**निजी बैंक नमूना** — **नमूना 2004ति.1 - 2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन | पिछली तिमाही में रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी | ... | ... | ... |
| रिवर्स रेपो दर में कमी | ... | ... | ... |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 2.43 आर बार स्क्वेयर्ड : 0.02

**5 प्रमुख विदेशी बैंक** — **नमूना 2004ति.1 - 2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन | पिछली तिमाही में रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी | ... | ... | ... |
| रिवर्स रेपो दर में कमी | ... | ... | ... |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 1.69 आर बार स्क्वेयर्ड : 0.17

टिप्पणी :* महत्व के 5 प्रतिशत स्तर पर टी मूल्य बताता है ... : 5 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं

## अनुबंध 2
## नीति दरों और चलनिधि स्थितियों के प्रति बीपीएलआर की अनुक्रियाशीलता का विश्लेषण *(समाप्त)*

वर्ष 2004 की पहली तिमाही से ले कर वर्ष 2009 की पहली तिमाही तक की अवधि के लिए भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन के संबंध में रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तनों पर एआर(1) अनुमान का परिणाम नीचे दिया गया है :

**सरकारी क्षेत्र के बैंक** — **नमूना 2004ति.1-2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन | पिछली तिमाही में भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| भारित औसत माँग मुद्रा दर में बढ़ोतरी | 0.38 | | |
| दर में बढ़ोतरी | (2.92)* | | |
| भारित औसत माँग मुद्रा | ... | ... | 0.27 |
| दर में कमी | | | (2.10)* |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक :1.73 आर बार स्क्वेयड :0.37

**निजी बैंक नमूना** — **नमूना 2004ति.1-2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन | पिछली तिमाही में भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| भारित औसत माँग मुद्रा दर में बढ़ोतरी | 0.32 | | |
| दर में बढ़ोतरी | (2.74)* | | |
| भारित औसत माँग मुद्रा | -0.30 | 0.40 | ... |
| दर में कमी | (-2.52)* | (3.42) | |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 2.16 आर बार स्क्वेयड : 0. 54

**5 प्रमुख विदेशी बैंक** — **नमूना 2004ति.1-2009ति.1**

डिपेंडेंट वैरिएबल : रूपात्मक बीपीएलआर में परिवर्तन

| व्याख्यात्मक वैरिएबल | समसामयिक भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन | पिछली तिमाही में भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन | दो तिमाहियाँ पहले भारित औसत माँग मुद्रा दर में परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| भारित औसत माँग मुद्रा दर में बढ़ोतरी | 0.33 | ... | ... |
| दर में बढ़ोतरी | (3.52)* | | |
| भारित औसत माँग मुद्रा | ... | ... | ... |
| दर में कमी | | | |

डीडब्लू स्टैटिस्टिक : 1.99 आर बार स्क्वेयड : 0.37

टिप्पणी:* महत्व के 5 प्रतिशत स्तर पर टी मूल्य बताता है ... : 5 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं

## अनुबंध 3:
## अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के उप बीपीएलआर उधार - शेष राशि

(लघु ऋण और निर्यात ऋण को छोड़कर कुल ऋण में प्रतिशत हिस्सा)

| ऋण का प्रकार | मार्च-02 | जून-02 | मार्च-03 | दिसं-03 | सितं-04 | दिसं-04 | मार्च-05 | सितं-05 | मार्च-06 | सितं-06 | मार्च-07 | जून-07 | सितं-07 | दिसं-07 | मार्च-08 | जून-08 | सितं-08 | दिसं-08 | मार्च-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **i) नकदी ऋण** | **5.4** | **5.3** | **6.5** | **6.6** | **9.5** | **6.2** | **7.7** | **10.3** | **11.7** | **12.6** | **13.2** | **14.0** | **12.5** | **13.3** | **14.0** | **13.9** | **12.9** | **12.4** | **12.4** |
| **ii) उपभोक्ता क्रेडिट** | **0.6** | **1.5** | **3.3** | **8.1** | **7.7** | **6.5** | **8.7** | **10.7** | **8.1** | **10.3** | **10.7** | **9.0** | **8.9** | **10.5** | **8.9** | **8.1** | **8.7** | **7.5** | **3.7** |
| **iii) मांग ऋण (बिल की भुनाई सहित)** | **5.9** | **8.6** | **6.9** | **7.3** | **7.6** | **5.8** | **8.2** | **7.8** | **7.4** | **5.7** | **6.4** | **6.5** | **6.4** | **8.3** | **8.5** | **11.4** | **8.2** | **6.0** | **6.9** |
| **iv) मीयादी ऋण** | **16.5** | **22.7** | **21.0** | **26.7** | **31.3** | **46.5** | **34.4** | **38.0** | **41.9** | **46.7** | **46.6** | **46.3** | **50.1** | **44.2** | **44.3** | **44.2** | **46.9** | **46.1** | **43.9** |
| क) 1-180 दिन | 2.8 | 7.3 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 3.1 |
| ख) 180 दिन-1 वर्ष | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
| ग) 1-3 वर्ष | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 7.7 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
| घ) 3-5 वर्ष | 1.4 | 2.4 | 4.8 | 10.4 | 10.9 | 10.1 | 11.2 | 14.5 | 14.0 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 20.1 | 9.8 | 11.7 | 10.0 | 17.9 | 15.7 | 15.7 |
| ङ) 5 वर्ष से अधिक | 6.4 | 3.4 | 6.6 | 5.3 | 8.9 | 27.1 | 10.2 | 11.2 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 14.9 | 12.7 | 17.1 | 13.7 | 15.4 | 13.3 | 13.3 | 13.7 |
| च) अन्य | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 7.3 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 6.3 | 4.0 |
| **जोड़ (i से iv), सभी ऋणों के प्रतिशत के रूप में** | **28.4** | **38.0** | **37.7** | **48.7** | **56.1** | **65.1** | **58.9** | **66.8** | **69.2** | **75.3** | **76.9** | **75.8** | **77.9** | **76.3** | **75.8** | **77.6** | **76.7** | **72.0** | **66.9** |

**अनुबंध 4:**
**सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उप बीपीएलआर उधार - शेष राशि**
(लघु ऋण और निर्यात ऋण को छोड़कर कुल ऋण में प्रतिशत हिस्सा)

| ऋण का प्रकार | मार्च-07 | जून-07 | सितं-07 | दिसं-07 | मार्च-08 | जून-08 | सितं-08 | दिसं-08 | मार्च-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **i) नकदी ऋण** | **14.3** | **15.6** | **13.4** | **15.4** | **15.5** | **14.3** | **12.9** | **12.6** | **12.2** |
| **ii) उपभोक्ता क्रेडिट** | **1.3** | **1.1** | **1.0** | **1.7** | **1.0** | **2.7** | **2.5** | **2.2** | **2.2** |
| **iii) मांग ऋण (बिल की भुनाई सहित)** | **5.9** | **6.3** | **5.9** | **8.0** | **8.0** | **12.6** | **7.7** | **5.2** | **6.3** |
| **iv) मीयादी ऋण** | **51.7** | **50.2** | **54.8** | **47.5** | **46.7** | **44.3** | **50.0** | **48.7** | **43.6** |
| क ) 1-180 दिन | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.6 |
| ख) 180 दिन -1 वर्ष | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| ग) 1-3 वर्ष | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 5.7 | 7.8 | 5.8 | 5.1 | 4.8 |
| घ) 3-5 वर्ष | 22.4 | 21.3 | 24.9 | 11.3 | 13.3 | 10.1 | 22.2 | 18.4 | 17.3 |
| ङ) 5 वर्ष से अधिक | 16.0 | 15.5 | 12.7 | 19.0 | 14.7 | 16.1 | 13.2 | 13.6 | 12.6 |
| च) अन्य | 5.0 | 4.7 | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 7.7 | 4.4 |
| **जोड़ (i से iv), सभी ऋणों के प्रतिशत के रूप में** | **73.2** | **73.2** | **75.0** | **72.6** | **71.2** | **73.8** | **73.1** | **68.7** | **64.2** |

**अनुबंध 5:**
**निजी क्षेत्र के बैंकों के उप बीपीएलआर उधार - शेष राशि**
(लघु ऋण और निर्यात ऋण को छोड़कर कुल ऋण में प्रतिशत हिस्सा)

| ऋण का प्रकार | मार्च-07 | जून-07 | सितं-07 | दिसं-07 | मार्च-08 | जून-08 | सितं-08 | दिसं-08 | मार्च-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **i) नकदी ऋण** | **11.7** | **11.0** | **11.1** | **10.2** | **11.8** | **13.3** | **13.9** | **13.3** | **16.0** |
| **ii) उपभोक्ता क्रेडिट** | **38.3** | **32.3** | **33.5** | **32.3** | **28.1** | **25.3** | **23.3** | **23.3** | **5.1** |
| **iii) मांग ऋण (बिल की भुनाई सहित )** | **7.3** | **6.0** | **5.9** | **6.4** | **8.6** | **7.4** | **7.2** | **6.9** | **6.5** |
| **iv) मीयादी ऋण** | **33.9** | **38.7** | **37.6** | **37.5** | **40.1** | **42.9** | **45.1** | **44.5** | **55.8** |
| क ) 1-180 दिन | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 4.2 |
| ख) 180 दिन-1 वर्ष | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.7 |
| ग) 1-3 वर्ष | 5.0 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 8.1 |
| घ) 3-5 वर्ष | 7.1 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 11.2 |
| ङ) 5 वर्ष से अधिक | 13.0 | 16.0 | 14.8 | 15.1 | 13.3 | 14.1 | 17.1 | 16.2 | 25.7 |
| च) अन्य | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 |
| **जोड़ (i से iv), सभी ऋणों के प्रतिशत के रूप में** | **91.2** | **88.0** | **88.2** | **86.4** | **88.7** | **89.0** | **89.5** | **87.9** | **83.5** |

**अनुबंध 6:**
**विदेशी बैंकों के उप बीपीएलआर उधार - शेष राशि**
(लघु ऋण और निर्यात ऋण को छोड़कर कुल ऋण में प्रतिशत हिस्सा)

| ऋण का प्रकार | मार्च-07 | जून-07 | सितं-07 | दिसं-07 | मार्च-08 | जून-08 | सितं-08 | दिसं.-08 | मार्च-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **i) नकदी ऋण** | **7.1** | **7.0** | **7.8** | **5.2** | **7.6** | **9.3** | **10.3** | **6.7** | **6.8** |
| **ii) उपभोक्ता क्रेडिट** | **21.0** | **17.9** | **22.4** | **21.0** | **21.7** | **7.2** | **23.1** | **21.2** | **24.3** |
| **iii) मांग ऋण (बिल की भुनाई सहित )** | **9.0** | **9.9** | **13.3** | **15.9** | **12.6** | **14.4** | **15.8** | **13.2** | **16.0** |
| **iv) मीयादी ऋण** | **33.5** | **31.4** | **35.1** | **35.8** | **35.8** | **50.2** | **21.2** | **20.4** | **20.5** |
| क ) 1-180 दिन | 8.1 | 9.7 | 10.6 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 5.6 | 6.4 | 7.3 |
| ख) 180 दिन-1 वर्ष | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 3.5 |
| ग) 1-3 वर्ष | 7.5 | 6.8 | 7.9 | 5.7 | 6.3 | 10.3 | 6.2 | 5.7 | 6.2 |
| घ) 3-5 वर्ष | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| ङ) 5 वर्ष से अधिक | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 9.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| च) अन्य | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 9.8 | 2.0 | 0.4 | 0.7 |
| **जोड़ (i से iv), सभी ऋणों के प्रतिशत के रूप में** | **70.6** | **66.3** | **78.5** | **77.9** | **77.6** | **81.2** | **70.5** | **61.5** | **67.5** |

## अनुबंध 7:
## ब्याज दर का स्प्रेड, चरम दरों पर किये किए गए मीयादी ऋण के 5% कारोबार को छोड़कर

(प्रतिशत)

| वर्ष | सरकारी क्षेत्र के बैंक | | | निजी क्षेत्र के बैंक | | | पांच प्रमुख विदेशी बैंक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रूपात्मक बीपीएलआर | अधिकतम स्प्रेड | न्यूनतम स्प्रेड | रूपात्मक बीपीएलआर | अधिकतम स्प्रेड | न्यूनतम स्प्रेड | रूपात्मक बीपीएलआर | अधिकतम स्प्रेड | न्यूनतम स्प्रेड |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **मार्च 04** | 11.00 | 5.00 | -5.25 | 12.00 | 9.50 | -9.00 | 12.75 | 9.25 | -9.40 |
| **जून 04** | 11.00 | 5.00 | -6.20 | 12.00 | 10.25 | -8.00 | 12.75 | 10.00 | -7.80 |
| **सितं 04** | 11.00 | 5.00 | -6.00 | 12.00 | 10.25 | -8.00 | 12.75 | 10.00 | -9.65 |
| **दिसं 04** | 11.00 | 8.50 | -7.00 | 12.00 | 11.00 | -8.50 | 12.75 | 10.00 | -8.05 |
| **मार्च 05** | 11.00 | 4.50 | -7.00 | 11.50 | 8.50 | -8.50 | 12.75 | 10.00 | -8.52 |
| **जून 05** | 11.00 | 5.00 | -7.00 | 11.50 | 11.44 | -8.00 | 12.75 | 12.00 | -7.74 |
| **सितं 05** | 11.00 | 4.50 | -7.00 | 12.00 | 8.50 | -8.00 | 12.75 | 12.00 | -9.89 |
| **दिसं 05** | 11.00 | 5.00 | -7.00 | 12.00 | 7.00 | -8.00 | 12.75 | 11.00 | -9.89 |
| **मार्च 06** | 11.00 | 5.00 | -7.00 | 12.00 | 7.00 | -8.00 | 12.75 | 13.25 | -7.74 |
| **जून 06** | 11.25 | 4.50 | -7.50 | 12.50 | 13.50 | -8.50 | 12.75 | 12.00 | -7.74 |
| **सितं 06** | 11.50 | 4.50 | -7.50 | 13.00 | 11.50 | -8.50 | 12.75 | 10.00 | -7.74 |
| **दिसं 06** | 11.50 | 4.50 | -7.50 | 13.00 | 11.00 | -8.50 | 12.75 | 10.75 | -7.74 |
| **मार्च 07** | 12.50 | 4.50 | -8.50 | 14.00 | 11.00 | -10.50 | 13.50 | 12.75 | -8.93 |
| **जून 07** | 13.25 | 4.50 | -9.25 | 15.00 | 11.00 | -10.43 | 14.50 | 12.50 | -8.60 |
| **सितं 07** | 13.25 | 4.50 | -9.25 | 14.00 | 9.50 | -11.00 | 14.50 | 12.50 | -8.50 |
| **दिसं 07** | 13.25 | 4.50 | -9.25 | 15.00 | 7.00 | -11.00 | 14.50 | 11.50 | -8.50 |
| **मार्च 08** | 13.25 | 5.00 | -9.25 | 15.00 | 7.00 | -11.00 | 14.25 | 12.50 | -8.20 |
| **जून 08** | 13.00 | 5.00 | -9.25 | 15.25 | 9.75 | -10.94 | 14.50 | 5.5 | -8.79 |
| **सितं 08** | 14.00 | 4.50 | -7.50 | 16.00 | 7.00 | -11.94 | 15.50 | 4.25 | -9.79 |
| **दिसं 08** | 13.25 | 4.50 | -6.50 | 15.75 | 13.00 | -11.44 | 15.50 | 4.75 | -9.29 |
| **मार्च 09** | 12.50 | 4.50 | -6.85 | 16.75 | 10.00 | -11.44 | 15.25 | 4.75 | -9.29 |

| अनुबंध 8<br>उद्योग संघों से प्रतिनिधि | |
|---|---|
| श्री अजित रानडे | मुख्य अर्थशास्त्री, भारतीय उद्योग परिसंघ |
| श्री वी. कुमारस्वामी | सीसीएफओ, जे के पेपर्स लिमिटेड, भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडल महासंघ |
| श्री. एम.वी.एस. शेषगिरि राव | निदेशक (वित्त), जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया |
| श्री ठक्कर | वित्त और बैंकिंग पर समिति के सह अध्यक्ष, इंडियन मर्चेंट चैंबर |
| डॉ. धनंजय सामंत | प्रभारी अधिकारी, बैंकिंग और वित्त समिति, इंडियन मर्चेंट चैंबर |
| श्री शरद कुमार सराफ | उपाध्यक्ष और अध्यक्ष (डब्लयूआर) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन |
| श्री आनंद लाडसार्य | प्रबंध समिति सदस्य, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन |
| श्री रमेश अय्यर | बैंकिंग और वित्त समिति के अध्यक्ष, बांबे चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री |
| डॉ अतीन्द्र सेन | महा निदेशक, बांबे चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री |
| डॉ. शुभदा एम राव | आर्थिक नीति और कॉर्पोरेट रणनीति के अध्यक्ष, बांबे चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री |
| श्री एस. जे. बालेश | सह अध्यक्ष, बैंकिंग और वित्त समिति, बांबे चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री |
| श्री रवि | मुख्य वित्त अधिकारी, एमएंडएम फिनांशियल सर्विसेस, बांबे चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री |
| श्री चन्द्र शेखर | सीनियर वीपी, कॉर्प फिनांस, बांबे चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री |
| श्री चंद्रकांत सालुंके | प्रेसिडेंट, स्माल एंड मीडियम बिजनेस डेवलपमेंट चैंबर ऑफ इंडिया |
| श्री एस. के. सरकार | सदस्य, फेडरेशन ऑफ माइक्रो एंड स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया |
| श्री एस.एस. राठी | राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया |
| श्री अविनाश दलाल | एक्स कॉम, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया |
| श्री पुरुषोत्तम | ठाणे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन |

## अनुबंध 9
## वे व्यक्ति जिनसे कार्यदल को सुझाव प्राप्त हुए

| | |
|---|---|
| अभीशंक जाजुर | abhishank.jajur @ gmail.com |
| अजय गर्ग | मैं. अजय गर्ग एंड एसोसिएट्स, फरीदाबाद |
| अनुपम शाह | प्रेसिडेंट, मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कोलकाता |
| आनंद | anand186@rediff.com |
| अशोक के | ashokk018@yahoo.com |
| अजीत राठौर | ajit.rathore @ gmail.com |
| चंदरपुर वर्कस् प्रा. लि. | |
| गोपालन टी.आर. | टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज |
| गुप्ता | Gupta31641@rediffmail.com |
| हिर्नेश बी हवसर | hirnesh@rediffmail.com |
| इंडियन बैंक | ibhocredit@dataone.in |
| के जी के सुब्बा राव | |
| के कनकसभापति | ईपीडब्ल्यू रिसर्च फाउंडेशन, मुम्बई |
| महेंद्र दोहारे | Mahendra_dohare@yahoo.co.in |
| पी बालगोपाल कुरुप | महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, चेन्नै |
| पी सी जॉन | एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग, फेडरल बैंक, अलवाये |
| पी डी शर्मा | अध्यक्ष, एपेक्स चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पंजाब) |
| पी एस नगरसेठ | प्रेसिडेंट, आयरन स्टील स्क्रैप एण्ड शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया |
| पुनीत श्रीवास्तव | वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बैंकिंग और वित्त, दाइवा एसएमबीसी सिक्यूरिटीज |
| आर के गुप्ता | फरीदाबाद |
| एस एच प्रसाद | |
| एस रमेश कुमार | वरिष्ठ उपाध्यक्ष, असित सी मेहता इनवेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड |
| डा. टी वी गोपालकृष्णन | बंगलौर |
| वी हरिकृष्णन | vharikrishnan@yahoo.com |

## अनुबंध 10:
## मूल उधार दर - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव *(जारी)*

| | अमरीका | जापान | रूस |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. मूल उधार दर (पीएलआर) से संबद्ध बैंक उधार का प्रतिशत | 10% से 25% के बीच | यह मुख्यतः आवास ऋण तथा लघु कंपनियों के लिए है तथा यह लघु कारपोरेटों के लिए नहीं है। | 10% से 25% के बीच |
| 2. उप पीएलआर उधार की उपस्थिति | यूएस मूल उधार दर से नीचे उधार की उल्लेखनीय मात्रा | उप पीएलआर उधार मौजूद है | उप पीएलआर उधार लगभग नहीं |
| 3. पीएलआर का निर्धारण | मूल दर आम तौर पर फेड लक्ष्य + 300 आधार अंक पर तय किया जाता है | लागत के ऊपर | लागत के ऊपर |
| 4. पीएलआर की समीक्षा की बारंबारता | जब भी एफओएमसी द्वारा दर में परिवर्तन किया जाता है (एक वर्ष में प्रायः 8 बार) | दीर्घावधि दर मासिक आधार पर निर्धारित की जाती है। अल्पावधि दरों की समीक्षा आवश्यकतानुसार की जाती है। | नहीं |
| 5. विभिन्न सहभागियों (ऋणदाता/ बैंक) के बीच पीएलआर का दायरा और फैलाव | बैंकों के बीच मूल उधार दर लगभग समान है | फैलाव संकीर्ण दायरे में 2 | फैलाव मध्यम स्तर के दायरे में 3 |
| 6. आपके देश में जमाराशि की लागत की तुलना में पीएलआर की लोच | बहुत उच्च लोच है 1 | उच्च लोच है 2 | मध्यम स्तर की 3 |
| 7. गोचर ब्याज दर के बाजार बेंचमार्क के साथ पीएलआर का सहसंबंध | निम्न सहसंबंध 4 | उच्च सहसंबंध 2 | निम्न सहसंबंध 4 |
| 8. केंद्रीय बैंक की नीति दरों के साथ पीएलआर का सहसंबंध | बहुत ही उच्च सहसंबंध 1 | उच्च सहसंबंध 2 | मध्यम स्तर का सहसंबंध 3 |
| 9. क्या एकाधिक मूल उधार दरें मौजूद हैं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 10. क्या थोक उधारकर्ताओं के लिए अलग पीएलआर है | | नहीं | नहीं |
| 11. टेनोर के अनुसार पीएलआर का अवधिवार ढांचा | | हां अल्पावधि और दीर्घावधि | हां |
| 12. क्या पीएलआर की गणना नीचे से ऊपर की ओर की जाती है | फेड लक्ष्य दर के ऊपर एक निश्चित स्प्रेड (300 आधार अंक पर) | हां | नहीं |

**स्रोत:** : सिटीबैंक, भारत द्वारा किया गया सर्वेक्षण

**नोट** : प्रश्न संख्या 5 के लिए, 1 से 5 के पैमाने पर, 1 सीमित फैलाव तथा 5 व्यापक फैलाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 6,7 तथा 8 के लिए, 1 से 5 के पैमाने पर, 1 काफी उच्च सहसंबंध और 5 बहुत निम्न सहसंबंध को दर्शाता है।

**अनुबंध 10**
**मूल उधार दर - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव** *(जारी)*

| | ब्राजील | हांगकांग | मलेशिया | पोलैंड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. मूल उधार दर (पीएलआर) से संबद्ध बैंक उधार का प्रतिशत | सीडीआइ दर एक दिवसीय अंतर बैंक दर है | 10% और 25% के बीच | 50% और 75% के बीच | 10% और 25% के बीच |
| 2. उप पीएलआर उधार की उपस्थिति | उप पीएलआर उधार न के बराबर | उप पीएलआर उधार मौजूद है | उप पीएलआर उधार मौजूद है | उप पीएलआर उधार मौजूद है |
| 3. पीएलआर का निर्धारण | सीडीआइ हमेशा सेलिक दर के बिलकुल पास रहती है। दोनों के बीच के अंतर की स्थिति से बचने के लिए केंद्रीय बैंक सीडीआइ की निगरानी करता है। | लागत के ऊपर तथा प्रतिस्पर्धी ताकतों द्वारा भी निर्धारित | पीएलआर में बदलाव किया जा सकता है, परंतु इसका कारण केंद्रीय बैंक को बताना होता है | विबोर (WIBOR) प्रतिस्पर्धी ताकतों से निर्धारित होती है। स्प्रेड में निधीयन की लागत, ऋण के प्रकार व प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। |
| 4. पीएलआर की समीक्षा की बारंबारता | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 5. विभिन्न सहभागियों (ऋणदाता/ बैंक) के बीच पीएलआर का दायरा और फैलाव | फैलाव बहुत सीमित दायरे में 1 | फैलाव बहुत सीमित दायरे में 1 | फैलाव सीमित दायरे में 2 | फैलाव सीमित दायरे में 2 |
| 6. आपके देश में जमाराशि की लागत की तुलना में पीएलआर की लोच | बहुत ही उच्च सहसंबंध 1 | उच्च सहसंबंध 2 | कंपनी अल्पावधि जमाराशि के साथ अति उच्च सहसंबद्ध । खुदरा जमाराशियों के साथ निम्न सहसंबंध | उच्च सहसंबंध 2 |
| 7. गोचर ब्याज दर के बाजार बेंचमार्क के साथ पीएलआर का सहसंबंध | बहुत ही उच्च सहसंबंध 1 | बहुत निम्न सहसंबंध 5 | बहुत निम्न सहसंबंध 5 | मध्यम स्तर का सहसंबंध 3 |
| 8. केंद्रीय बैंक की नीति दरों के साथ पीएलआर का सहसंबंध | बहुत ही उच्च सहसंबंध 1 | उच्च सहसंबंध | बहुत ही उच्च सहसंबंध 1 | मध्यम स्तर का सहसंबंध 3 |
| 9. क्या एकाधिक मूल उधार दरें मौजूद हैं | हां | नहीं | नहीं | हां |
| 10. क्या थोक उधारकर्ताओं के लिए अलग पीएलआर है | नहीं | नहीं | नहीं | हां |
| 11. टेनोर के अनुसार पीएलआर का अवधिवार ढांचा | नहीं | हां | नहीं | हां |
| 12. क्या पीएलआर की गणना नीचे से ऊपर की ओर की जाती है | नहीं। सीडीआइ सभी एक दिवसीय अंतर बैंक ऋणों की औसत दर है। | निधीयन लागत, ऋण लागत, परिचालन लागत तथा प्रतिस्पर्धा पर आधारित | नहीं | कुल पीएलआर दर में निधीयन लागत, ऋण लागत, परिचालन लागत शामिल हैं |

**अनुबंध 10**
**मूल उधार दर - अंतर्राष्ट्रीय अनुभव** *(समाप्त)*

| | सिंगापुर | ताइवान | दक्षिण अफ्रीका |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 11 |
| 1. मूल उधार दर (पीएलआर) से संबद्ध बैंक उधार का प्रतिशत | 10% तथा 25% के बीच | 50% तथा 75% के बीच | व्यक्तियों के लिए ऋण पीएलआर से जुड़ा हुआ है। कारपोरेट क्षेत्रों को ऋण चल दर (JIBAR) अथवा पीएलआर से संबद्ध है। |
| 2. उप पीएलआर उधार की उपस्थिति | उप पीएलआर उधार मौजूद है | उप पीएलआर उधार मौजूद नहीं है | बैंक, ग्राहक की साख की गुणवत्ता के आधार पर, पीएलआर के ऊपर निर्धारित स्प्रेड जोड़कर उधार देते हैं |
| 3. पीएलआर का निर्धारण | लागत के ऊपर तथा प्रतिस्पर्धी | लागत के ऊपर | केंद्रीय बैंक के साथ व्यापक समझौता करके उद्योग की संस्था पीएलआर का निर्धारण करती है |
| 4. पीएलआर की समीक्षा की बारंबारता | नहीं | नहीं | नहीं। एसए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित रिपो दर से संबद्ध है। |
| 5. विभिन्न सहभागियों (ऋणदाता/ बैंक) के बीच पीएलआर का दायरा और फैलाव | फैलाव सीमित दायरे में<br>2 | फैलाव व्यापक दायरे में<br>4 | फैलाव अति सीमित दायरे में<br>1<br>यह सभी बैंकों के लिए एकसमान है |
| 6. आपके देश में जमाराशि की लागत की तुलना में पीएलआर की लोच | निम्न सहसंबंध<br>4 | कड़ा सहसंबंध<br>2 | कड़ा सहसंबंध<br>2<br>रिपो दर पीएलआर तय करती है। जमा दरें रिपो दर से काफी प्रभावित होती हैं, यद्यपि जमाराशि की दरें भी चलनिधि की स्थिति में परिवर्तन लाती है। |
| 7. गोचर ब्याज दर के बाजार बेंचमार्क के साथ पीएलआर का सहसंबंध | बहुत निम्न सहसंबंध<br>5 | निम्न सहसंबंध<br>4 | बहुत कड़ा सहसंबंध<br>5 |
| 8. केंद्रीय बैंक की नीति दरों के साथ पीएलआर का सहसंबंध | बहुत निम्न सहसंबंध<br>5 | निम्न सहसंबंध<br>4 | बहुत कड़ा सहसंबंध<br>1 |
| 9. क्या एकाधिक मूल उधार दरें मौजूद हैं | नहीं। SIBOR, SOR जैसे अन्य बेंचमार्क ऋण के मूल्यन के लिए उपलब्ध है | नहीं | नहीं |
| 10. क्या थोक उधारकर्ताओं के लिए अलग पीएलआर है | नहीं | हां | नहीं |
| 11. टेनोर के अनुसार पीएलआर का अवधिवार ढांचा | नहीं | नहीं | नहीं<br>पीएलआर एक दिवसीय दर है |
| 12. क्या पीएलआर की गणना नीचे से ऊपर की ओर की जाती है | मुख्य घटक आरक्षित लागत और ऋण लागत हैं | मुख्य घटक जमाराशि दर और परिचालन लागत हैं | नहीं<br>यह केंद्रीय बैंक की नीति दर के ऊपर एक नीयत स्प्रेड है |

**स्रोत:** सिटीबैंक , भारत द्वारा किया गया सर्वेक्षण

## अनुबंध 11
## आधार दर (बेस रेट) : एक उदाहरण

| घटक | | |
|---|---|---|
| क. एक वर्ष की सावधि जमा दर | | 6.50% |
| ख. घटाएं:सीएएसए समायोजन (फैक्टर 1 + फैक्टर 2) | | 1.31% |
| ग. एसएलआर और सीआरआर पर ऋणात्मक कैरी | | 0.96% |
| घ. अनाबंटित उपरिव्यय | | 0.99% |
| ङ. निवल मालियत पर औसत प्रतिलाभ | | 1.41% |
| **आधार दर (क - ख + ग + घ + ङ)** | | **8.55%** |
| **आधार दर की गणना : एक उदाहरण** | | |
| **1 अवधारणाएं** | | |
| कुल जमाराशियां | 100.00 | करोड़ रुपए |
| बचत बैंक जमाराशियां (एसबी) | 22.00 | करोड़ रुपए |
| चालू खाता शेष (सीए) | 10.00 | करोड़ रुपए |
| **2 सीएएसए पर सकारात्मक कैरी** | | |
| बचत बैंक दर (ब.बैं. दर) | 3.50% | |
| अंतर (टीडी दर - ब.बैं. दर) | 3.00% | |
| बचत बैंक जमाराशियों का अनुपात (एसबीशेयर) | 22.00% | |
| ***फैक्टर 1 (एसबीशेयर * टीडी और एसबी दरों का अंतर)*** | **0.66%** | |
| चालू खाते का अनुपात (कैशशेयर) | 10.00% | |
| ***फैक्टर 2 (कैशशेयर * टीडी दर)*** | **0.65%** | |
| **3 सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक कैरी** | | |
| जमा पर ब्याज लागत (1 वर्ष जमा दर) | 6.50% | |
| यह मानते हुए कि कुल जमा हैं | 100.00 | करोड़ रुपए |
| जमाराशि से अपेक्षित प्रतिलाभ | 6.50 | करोड़ रुपए |
| सीआरआर( कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में) | 5.00% | |
| सीआरआर शेष | 5.00 | करोड़ रुपए |
| एसएलआर ( कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में) | 24.00% | |
| एसएलआर शेष | 24.00 | करोड़ रुपए |
| नियोजन योग्य जमाराशियां | 71.00 | करोड़ रुपए |
| नियोजन योग्य जमाराशियां ( कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में) | 71.00% | |
| 364 खजाना बिल प्रतिफल | 5.00% | |
| एसएलआर शेष राशि पर प्रतिलाभ | 1.20% | |
| जमाराशियों पर ब्याज लागत (1 वर्ष जमा दर), एसएलआर प्रतिलाभ के लिए समायोजित | 5.30% | |
| जमाराशि ब्याज लागत के हिसाब के लिए नियोजन योग्य जमाराशियों से अपेक्षित प्रतिलाभ | 7.46% | |
| ***सीआरआर और एसएलआर पर ऋणात्मक कैरी प्रभार*** | **0.96%** | |
| **4 अनाबंटित उपरिव्यय** | | |
| नियत उपरिव्यय एचओ और सीओ से मिलकर बनती है जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता | | |
| कुल अनाबंटनीय लागत | 0.70 | करोड़ रुपए |
| मानते हुए कि कुल जमाराशि (सीडी सहित) है | 100.00 | करोड़ रुपए |
| नियोजन के लिए उपलब्ध जमाराशि | 71.00 | करोड़ रुपए |
| ***नियोजित निधियों के प्रतिशत के रूप में अनाबंटित नियत उपरिव्यय*** | **0.99%** | |
| **5 निवल मालियत पर औसत प्रतिफल** | | |
| निवल लाभ | 1.00 | करोड़ रुपए |
| पूंजी | 0.50 | करोड़ रुपए |
| रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व छोड़कर) | 10.00 | करोड़ रुपए |
| निवल मालियत (डाली गई पूंजी अथवा इक्विटी) + रिज़र्व | 10.50 | करोड़ रुपए |
| नियोजन के लिए उपलब्ध जमाराशि | 71.00 | करोड़ रुपए |
| इक्विटी पर औसत प्रतिलाभ [( निवल लाभ/ (निवल मालियत+रिज़र्व)] | 0.0952 | |
| ***निवल मालियत पर औसत प्रतिलाभ = इक्विटी पर प्रतिलाभ * (निवल मालियत/नियोजन योग्य जमाराशि)*** | **1.41%** | |